रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/94

REGISTERED NO. DL-33001/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28, 1994 (ज्येष्ठ 7, 1916)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28, 1994 (JYAISTHA 7, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर

प्रधान कार्यालय

इन्दौर, दिनांक 27 मई 1994

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के शेयरधारियों की 33वीं वार्षिक सामान्य सभा निम्नलिखित कार्य हेतु रवीन्द्र नाट्यगृह, रवीन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर पर सोमवार दिनांक 27-6-1994 को प्रातः 11 बजे (मानक समय) आयोजित की जायेगी ।

"31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष (1-4-93 से 31-3-1994) के लिए बैंक का तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाता, इसी वर्ष के लिए बैंक के कामकाज पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र व खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना" ।

निदेशक मंडल के आदेश से,
एस. राजगोपाल
प्रबंध निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई–400005, दिनांक 1 सितम्बर 1993

सं० 3 डब्ल्यु सी० ए० (4) 2/93–94:—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर से श्री श्रीधर एन० जी०, एफ० सी० ए० (सदस्यता संख्या 021078) 10, हार्नबी बिल्डिंग 172/174, डा० डी० एन० रोड, बम्बई –400001 का नाम उनकी विनंती पर हटा दिया है ।

ए० के० मजुमदार,
सचिव

कलकत्ता-700071, दिनांक, 25 मार्च, 1994
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-ई० सी० ए० (8)/3/93-94—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझे जायेंगे क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	9378	श्री एम० सी० पाल, एफ० सी० ए०, 646, आर० एन० टैगोर रोड, कलकत्ता-700077	22-3-93
2.	51416	श्री आर० ए० झान्वर, ए० सी० ए०, 23/1ए, गरियाहाट रोड (वैस्ट) कलकत्ता—700 068	1-11-93
3.	55605	श्री ए० के० जैन, ए० सी०ए०, 16, बोनफील्ड लेन, 3 फ्लोर, कलकत्ता 700 001	30-9-93
4.	56393	श्री एन० गणेशन, ए०सी०ए०, 4ए, बिनय बोप रोड, भोवानी पोर, कलकत्ता—700 025	5-10-93
5.	4936	श्री पी० के० मुखर्जी, ए० सी० ए०, पी-395, पूर्णाबास रोड, कलकत्ता—700 029	1-4-93
6.	52830	श्री पी० एम० मोहापात्रा, एफ० सी० ए०, डिप्टी फाइनैनशियल एडवाइजर, क्वार्टर नं० एम/4/14, मधुबन, पारादीप पोर्ट, डिस्ट० कटक, पारादीप पोर्ट,—754 142	20-4-93
7.	54583	श्री ए० के० अग्रवाल, ए० सी० ए०, 309, टोडी चैम्बर्स, 3 फ्लोर, 2, लालबाजार, स्ट्रीट कलकत्ता 700 001	1-4-93
8.	55511	श्री एन० के० मुखर्जी, ए० सी० ए०, इपिटाटा स्पौंज आयरन लि०, पी०ओ० जोडा, डिस्ट० कोइंझार, जोडा—758 034	13-1-93
9.	56032	श्री जे० बणिक, ए० सी० ए०, मैसर्स एन० एन० मुखर्जी एण्ड कं०, 1 बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता—700001	1-4-93
10.	56154	श्री पी० डे, ए० सी० ए०, 5, सनातन सील लेन, कलकत्ता, 700012	1-4-93
11.	51845	श्री देव असमंजा, एफ०सी०ए०, रे एण्ड रे, 6, चर्च लेन, पी० ओ० बोक्स 706, कलकत्ता—700001	1-1-94
12.	54276	श्री मित्रा गौतम, ए०सी०ए०, ईस्ट कोदालिया लिचू बगान, पी० ओ० न्यू बेरकपोर, वेस्ट बंगाल, न्यू बेरकपोर	30-11-93
13.	54546	श्री मंधाना लक्ष्मी नारायण, ए० सी०ए०, 14, सोवाराम बायसैक स्ट्रीट, पी० ओ० कलाकार स्ट्रीट, 3 फ्लोर, कलकत्ता—700 007	24-1-94
14.	55358	श्री बेहेरा अजया कुमार, ए० सी० ए०, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, अलोय स्टील प्लांट, फाइनैन्स एण्ड एकाउन्ट्स डिपार्टमेन्टस, दुर्गापुर,—713 208	10-9-93
15.	55736	श्री भारतीया जितेन्द्रा कुमार, ए० सी० ए०, रचना अपार्टमेन्टस, पी-707, लेक टावन, ब्लोक ए 1 फ्लोर, कलकत्ता—700 089	31-12-93
16.	34777	श्री जुनेजा विवेक, ए० सी०ए० केयर आफ आर०एन० जुनेजा, फ्लेट 2/14,सी, आशा अपार्टमेन्ट, 93, देश प्राण साशमल रोड, कलकत्ता—700 033	1-1-94
17.	53616	श्री बालासुब्रिया महेश, एफ० सी० ए०, 32, हजरा स्ट्रीट, नार्थ ब्लाक, रूम नं० 663, 6 फ्लोर, कलकत्ता—700 033	14-12-93
18.	55312	श्री पटनायक गौर कृष्णा, ए० सी० ए०, 14, रूस्सा रोड, ईस्ट, सैकिंड लेन, कलकत्ता—700 033	17-12-93

1	2	3	4
19.	55945	श्री बसु तरुण, ए० सी० ए०, 10/1, मेहर लस्कर लेन, कलकत्ता 700 017	14-2-94
20.	56204	श्री अग्रवाला नारायण, ए० सी० ए०, गोल्फ ग्रीन फेज-1, फ्लैट नं० बी-8/3, कलकत्ता-700 045	2-2-94

ए० के० मजूमदार
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1994

सं० एन० 15/13/14/3/90- यो० एवं वि० (2):—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम, 1990 के विनियम 95क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा -46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-5-1994 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95क तथा तमिलनाडू कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडू राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे।

अर्थात :

"जिला चेंगलपटटू एम० जी० आर० के तालुक गुमीडीपून्डी में राजस्व ग्राम चिन्थलाकुप्पम, कान्नमबुकुप्पम, पप्पनकु पेड्डीपम कुप्पम, पुराना गुमीडीपून्डी, पुडू (नया) गुमीडीपून्डी, पालेसवरन्कानडीगाई, कूवरीयापलायम, चियूरनाथ, सीरूलालपेटाई, पेरीयाग्रो बूलापुम, माटटम, नरसिंहपुरम, थूरापल्ल, चिन्नाग्रोबूलापुरम, थेरवजही, अत्तूपक्कम, चिन्नासोली यमबक्कम, पेरीयासोली यमबक्कम, ईनाडीमेलपक्कम, कुरूवातूचेरबी, नंगापल्लम, वरकाडू, किलमुदालामबेडू, थंदलाचेरी, और वेतनामाल्ली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र"।

ओ० अब्दुल हमीद
निदेशक (यो० एव० वि०)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मई 1994

सं० एफ० पी० 1 (11)/93 कन्सोर/1574:—जहां मैसर्स कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, (कोड नं० ई०/डी०एस०-14380)—छूट ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 (1-सी) के अन्तर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 से छूट प्रदान करने के लिए अपने एक कर्मचारी श्री सन्तोष कुमार शर्मा, निदेशक वित्त (ई डी एल/14380/छूट/3044) के सम्बन्ध में आवेदन भेजा है।

चूंकि मैं, ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि भारत सरकार पेंशन नियम (सी० सी० पेंशन नियम) के अन्तर्गत परिवार पेंशन के रूप में लाभ जोकि उक्त स्थापना के इस कर्मचारी पर लागू है, कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं ब० ना० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्थापना के कर्मचारी, जोकि उक्त स्थापना में आने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की नौकरी में था, तथा सी० सी० एस पेंशन नियमों द्वारा शासित था, को निम्नलिखित शर्तों पर अधिसूचना के जारी होने के तिथि से या नौकरी की अन्तिम तिथि से, उन कर्मचारियों के संबंध में जो सरकार के 22-1-90 के आदेश के अनुसरण में 22-1-90 से 21-7-90 के बीच विकल्प देने के बाद सेवा निवृत हुए को कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सभी उपबंधों को लागू करने से छूट प्रदान करता हूं।

1. यह कर्मचारी छूट की तिथि से कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम 1971 के अन्तर्गत किसी लाभ का पात्र नहीं होगा।

2. कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971 से छूट प्रदान करने के लिए एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

3. उक्त कर्मचारी से संबंधित नियोक्ता क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को वे रिटर्न भेजेगा, वे लेखे तैयार करेगा और निरीक्षण करने के वे सुविधाएं देगा जिसे समय-समय पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त निदेश करेगा।

ब० ना० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के तहत निगमित)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1994

वास्तुकला परिषद (वास्तुविद अधिनियम, 1972 के तहत निगमित) की 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट: (1-4-1992 से 31-3-1993 तक)

वास्तुकला परिषद (वास्तुविद अधिनियम, 1972 के तहत निगमित) को 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष की अपनी वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखा-विवरण तथा कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

I. वास्तुकला परिषद

आलोच्य वर्ष के दौरान वास्तुकला परिषद ने दो बैठकों का आयोजन किया। पहली बैठक हिमाचल प्रदेश सरकार के निमंत्रण पर दिनांक 7 सितम्बर, 1992 को फेयरलान्स, शिमला में और दूसरी मध्य प्रदेश सरकार के निमंत्रण पर 1 तथा 2 फरवरी, 1993 को भोपाल में संपन्न हुई। इन बैठकों में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों के संबंध में निर्णय लिए गए:—

1. परिषद की 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखाविवरण का अनुमोदन।

2. वर्ष 1992-93 के लिए रु० 16,60,000/- (आवर्ती) तथा रु० 5,55,000/- (अनावर्ती) की राशि के बजट अनुमान का अनुमोदन।

3. वर्ष 1992–93 के लिए परिषद के लेखों की लेखापरीक्षा करने हेतु सर्वश्री रवि के० टंडन, सनदी लेखाकार, 2327, धर्मपुरा दिल्ली के श्री रवि के० टंडन की लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति । लेखा परीक्षा शुल्क 2500/– रु० निर्धारित किया गया ।

4. परिषद की सलाहकार समिति (अपील) की रिपोर्ट पर विचार एवं स्वीकृति ।

5. पंजीकृत वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जनसाधारण/सरकारी एजेंसियों से प्राप्त शिकायतों पर विचार ।

6. वास्तुविदों के विरुद्ध लगाए गए व्यावसायिक कदाचार के आरोपों के संबंध में परिषद की अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट पर विचार एवं उसकी स्वीकृति ।

7. वास्तुविद अधिनियम, 1972 के कुछ खंडों में किए गए संशोधनों का अनुमोदन और उन्हें भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित करना ।

8. पंजीकरण प्रमाण पत्र के वर्तमान फार्मेट में उपयुक्त ढंग से संशोधन करने के लिए परिषद के अध्यक्ष को प्राधिकृत करना तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुलिपि जारी करने के संबंध में सी० ओ०ए० नियमों में निर्धारित फार्म सं० 12 एवं 13 के संशोधन हेतु केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना ।

9. पी० आर० मेहता, वास्तुविद द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वास्तुकला परिषद के विरुद्ध लगाए गए व्यावसायिक कदाचार संबंधी आरोपों के बारे में दायर शिकायत पर (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वास्तुकला परिषद की अनुपस्थिति में) विस्तार-पूर्वक विचार किया गया लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा लगाए आरोपों से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वास्तुकला परिषद के विरुद्ध प्रत्यक्षत: कोई मामला सिद्ध नहीं हो सका ।

II. कार्यकारिणी समिति

आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् की कार्यकारिणी समिति की तीन बैठकें हुई । पहली बैठक दिनांक 10 जून, 1992 को दिल्ली में, दूसरी 6 सितम्बर, 1992 को शिमला में और तीसरी दिनांक 31 जनवरी, 1993 को होटल वैलेस भोपाल में आयोजित की गई । समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया और आवश्यक समझा जाने पर परिषद् द्वारा इन मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सिफारिशें भी की :–

1. परिषद् में दफ्तरी के पद पर कार्यरत श्री बचन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और श्री बचन सिंह के परिवार को उपयुक्त अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया ।

स्वर्गीय श्री बचन सिंह के परिवार को 7000/- रुपये की राशि स्वीकृत एवं अदा की गई ।

2. श्री मदन लाल को रु० 1200–30–1560–द० रो०–40–2040 के वेतनमान में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर आशुलिपिक के पद पर नियुक्त किया ।

3. श्री जगदीश चंद को रु० 950–20–1150–द० रो० 25–1500 के वेतनमान में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया ।

4. भारत के वास्तुकला विद्यालयों के निरीक्षण से संबंधित विशेष समितियों द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट पर विचार किया गया । परिषद् के लिए वर्ष 1992–93 के लिए रु० 16,60,000/–(आवर्ती) तथा रु० 5, 55, 000/– (अनावर्ती) की राशि के बजट अनुमान की सिफारिश की गई और इसके साथ ही साथ वर्ष 1993-94 के लिए रु० 14,75,000/– (आवर्ती) तथा रु० 8,75,000/- (अनावर्ती) की राशि के बजट अनुमान की भी सिफारिश की गई ।

अनुशासनिक समिति

आलोच्य वर्ष के दौरान अनुशासनिक समिति की तीन बैठकें हुई । पहली 4 सितम्बर, 1992 को नई दिल्ली में, दूसरी 26 सितम्बर, 1992 को बम्बई में तथा तीसरी 13 मार्च, 1993 को सर जे० जे० वास्तुकला महाविद्यालय में । इन बैठकों में परिषद द्वारा विस्तृत जांच – पड़ताल के लिए भेजे गए 14 मामलों पर समिति ने विचार किया । अनुशासनिक समिति ने कुल 14 मामलों में से 4 मामलों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की । परिषद् की अनुशासनिक समिति शेष मामलों के संबंध में जांच पड़ताल/सुनवाई जारी रखेगी । सुनवाई के दौरान समिति के सामने पेश होने वाले कुछ वास्तुविदों ने कुछ कानूनी मुद्दे उठाए और मामलों के स्थान की मांग की ।

IV. सलाहकार समिति (अपील)

सलाहकार समिति (अपील) की बैठक 25 जनवरी, 1993 को हुई और इस बैठक में समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए 16 अपीलार्थियों को आमंत्रित किया गया । परिषद् की भोपाल में 1 फरवरी, 1993 को हुई बैठक में सलाहकार समिति (अपील) की रिपोर्ट विचारार्थ एवं स्वीकारार्थ पेश की गई ।

V. पंजीकरण

आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद ने 1160 आवेदन प्राप्त किए । वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 25 (अ) के तहत 1134 आवेदन तथा धारा 25(ब) के तहत 26 आवेदन प्राप्त हुए । उपर्युक्त अधिनियम की धारा 25 (अ) के तहत 1094 व्यक्तियों और धारा 25 (ब) के 2 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया । 18 आवेदन अस्वीकार कर दिए गए, क्योंकि ये आवेदन न तो धारा 25 (अ) के तहत पंजीकरण के योग्य पाए गए और न धारा 25 (ब) के तहत । शेष आवेदनों की छानबीन विभिन्न

VI. नवीकरण/पुनः स्थापन

अपने नामों को वास्तुविद् पंजिका में रखवाने के सम्बन्ध में परिषद् के द्वारा पंजीकृत वास्तुविदों से परिषद् को नवीकरण शुल्क के रूप में अच्छी प्राप्ति हुई। परिषद् द्वारा पंजीकृत वास्तुविदों में से कुछ वास्तुविदों से परिषद् को 5 से 10 वर्ष का नवीकरण शुल्क पेशगी भी प्राप्त हुआ।

VII. मेडम भीकाजी कामा भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिसर का कब्जा

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पत्र सं० एफ-II(10)84/सी० एफ० दिनांक 29-11-1992 के अनुसार परिषद् ने 23 नवम्बर, 1992 को मेडम भीकाजी कामा भवन, नई दिल्ली में फ्लैट सं० 1007, टाइप-III, दसवीं मंजिल का कब्जा ले लिया है और बिजली/पानी के कनैक्शन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना अभी शेष है। परिषद् द्वारा इस उद्देश्य के निमित्त रखी गई भवन निधि से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी० डी० ए०) का भुगतान किया जा चुका है।

VIII. भवन निधि

परिषद् ने अपने संसाधनों से भवन निधि के तहत 35 लाख रुपये जमा किए थे। इस राशि में से 16,46,766/ रुपये की राशि भीकाजी कामा भवन, नई दिल्ली में वाणिज्यिक फ्लैट के लिए डी० डी० ए० को तथा 29 लाख रुपए की राशि लोधी रोड़, नई दिल्ली में कार्यालयी स्थान के लिए इंडिया हैबीटाट सेंटर को अदा की गई थी।

IX. दायित्व

परिषद् पर भारत सरकार के रु० 1,50,000/ के ब्याज-मुक्त ऋण की वापसी का दायित्व है।

X. मृत्यु के कारण नामों का हटाना

आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित वास्तुविदों के दुखद निधन पर परिषद् गहरा शोक व्यक्त करती है :—

वास्तुविद् का नाम	पंजीकरण सं०
सर्वश्री	
1. रामलाल लक्ष्मण नायक	सी० ए० /75/1536
2. जे० जी० बोडे	सी० ए० /75/1558
3. एच० जी० बनर्जी	सी० ए० /77/3624
4. यू० पी० घाटगे	सी० ए० /83/7662
5. पी० डी० मुंगेल	सी० ए० /85/8847
6. वी० बी० परहाते	सी० ए० /75/1141
7. एम० डब्ल्यू० इंदपवार	सी० ए० /75/1152
8. एम० के० दबे	सी० ए० /75/412
9. बिमल शर्मा	सी० ए० /75/1538
10. जे० एन० गुप्ता	सी० ए० /76/3142

XI. वास्तुविद् निर्देशिका

परिषद् ने पहली बार बृहत वास्तुविद् निर्देशिका प्रकाशित की है। इस निर्देशिका में केवल राज्य/शहरवार अकारादि क्रम में परिषद् द्वारा पंजीकृत वास्तुविदों की सूची ही नहीं दी गई है बल्कि वास्तुविद् अधिनियम, नियम, वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम स्तर संबंधी विनियम, वास्तुकला प्रतियोगिता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, व्यावसायिक आचरण, विनियमों समेत परिषद् के प्रवेश भी दिए गए हैं। विनिर्माताओं, भवन सामग्री के पूर्ति करने वाले तथा भवन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं द्वारा उदारपूर्वक दी गई सहायता से ही इस निर्देशिका का प्रकाशन संभव हो पाया। वास्तुकला परिषद् के कार्यालय से यह निर्देशिका खरीदी जा सकती है। वास्तुविद् निर्देशिका की मानार्थ प्रतियां परिषद् के सभी सदस्यों, भारत में वास्तुकला विद्यालयों, भारतीय वास्तुविद् संस्था, IIए चेप्टर्स तथा पी० ई० ए० टी० ए, सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्षों तथा भवन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत सरकारी विभागों को परिषद् द्वारा भेजी जा चुकी है।

XII. सी० ए० समाचार

सदस्यों को महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी देने तथा संबंधित मामलों के संबंध में सदस्यों की अन्योन्यक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आलोच्य अवधि के दौरान वास्तुकला परिषद् ने सी० ए० समाचार के दो और अंक प्रकाशित किए। परिषद् के सदस्यों, वास्तुकला विद्यालयों, सभी पंजीकृत वास्तुविदों, जिनकी संख्या लगभग 16000 है, और परिषद् की गतिविधियों में रुचि रखने वाले अन्य लोगों को सी० ए० समाचार के दोनों अंक प्रेषित किए गए। सी० ए० समाचार प्रकाशित करने के परिषद् के प्रयासों की प्रशंसा अधिकांश वास्तुविदों ने की है। वास्तुविदों की जानकारी के लिए सी० ए० समाचार के नियमित अंक कम से कम प्रतिवर्ष तीन प्रकाशित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

XIII. वास्तुकला विद्यालयों का निरीक्षण

परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित संस्थानों का निरीक्षण किया। जैसे-जैसे इन समितियों की रिपोर्टें प्राप्त हुई, वैसे-ही-वैसे समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर उपचारी कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित की गई। रिपोर्टें कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को भी भेजी गई हैं :—

संस्थान का नाम	निरीक्षण की तिथि	विशेषज्ञों के नाम
1	2	3
1. वास्तुकला विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, तथा रुड़की	3-11-92 4-11-92	1. प्रो० एम० एम०राणा (संयोजक) 2. श्री जे०एम० बेंजामिन 3. श्री आदित्य प्रकाश
2. वास्तुकला विभाग, एम०एस० यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ौदा	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	1. प्रो० एम०आर० अग्निहोत्री (संयोजक) 2. श्री हुसमुख पटेल

1	2	3	4
3.	वास्तुकला विभाग, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली	20-2-92 (जून, 93 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई)	1. प्रो० एस०ए० दुंगडे (संयोजक) 2. श्री सी०एन० राघवेन्द्रन
4.	सुशांत कला तथा वास्तुकला विद्यालय, हरियाणा	20-10-92 तथा 21-10-92	1. श्री जसवीर सचदेव (संयोजक) 2. प्रो० एम० आर० अग्निहोत्री 3. श्री कुलभूषण जैन
5.	गोवा कालेज आफ आर्किटेक्चर, गोवा	20-10-92	1. प्रो० एस० ए० दुंगडे (संयोजक) 2. श्री एन०ए० बढेका 3. श्री ए०के०बिस्वाल
6.	वास्तुकला विभाग, टी०एम०के० कालेज आफ इंजीनियरिंग, कीलान (केरल)	11-3-93 तथा 12-3-93	1. श्री सी० एन० राघवेन्द्रन (संयोजक) 2. डा० के० एस० अनंत कृष्ण

XIV. सी० ओ० ए० और ए० आई०सी० टी० ई० के बीच समझौता ज्ञापन के तहत स्थापित अखिल भारतीय वास्तुकला अध्ययन मंडल'

सी० ओ० ए० और ए० आई० सी० टी० ई० के बीच हुए समझौते ज्ञापन के तहत अखिल भारतीय वास्तुकला तथा नगर योजना अध्ययन मंडल की बैठकें दिनांक 10 जून, 1992, 4 दिसम्बर, 1992 तथा 19 मार्च 1993 को नई दिल्ली में आयोजित की गई और इन बैठकों में पूर्व स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर वास्तुकला शिक्षा तथा संबद्ध विषयों के लिए नये संस्थानों के प्रारंभ करने संबंधी निम्नलिखित प्रस्तावों पर विस्तृत रूप से विचार किया गया :

1. हिन्ने स्त्री शिक्षण समस्ता कालेज आफ आर्किटेक्चर, पूणे;
2. एम० टी० बी० कालेज आफ आर्किटेक्चर, नंदुरबार, जिला – धुले (एम० एस०);
3. (अ) भारती विद्यापीठ कालेज आफ आर्किटेक्चर, कटराज-धन्कावाड़ी, पूणे;

   (ब) भारती विद्यापीठ कालेज आफ आर्किटेक्चर, सी० बी० डी०, नई बम्बई;
4. डा० डी० वाई० पाटिल कालेज आफ आर्किटेक्चर, सी० बी० डी०, नई बम्बई;
5. अजय बिनय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोम्मस पीलू मोदी कालेज आफ आर्किटेक्चर, कटक;
6. एस० ई० सी० ए० बी० एसोशिएशन, नौबाग, बीजापुर
7. बी० एल० डी० ई० एसोशिएशन, बीजापुर;
8. अधीयमान एजूकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन,
9. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम);
10. लेडी अमृतबाई डागा कालेज फार वूमेन, नागपुर;
11. जाकीर हुसैन कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालोजी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़;
12. हिंदुस्तान कालेज आफ इंजीनियरिंग, पदूर जिला चिंगलपुट;
13. मोहम्मद साथक ट्रस्ट, किलकराय;
14. भारत इंस्टीट्यूट आफ साईंस एंड टेक्नालोजी, सलाईपुर, ताम्बरम, मद्रास;
15. सत्यबामा इंजीनियरिंग कालेज, जपय्यार नगर, मद्रास;
16. अरुलमीगु मीनाक्षी अम्मन कालेज आफ इंजीनियरिंग, यदमावंडल, चय्यार तालुक, टी०एस० जिला, तमिलनाडु;
17. श्री० बी० बी० पाटिल ट्रस्ट अप्पासाहब कालेज आफ आर्किटेक्चर, सांगली (एम० एस०);
18. श्री सिद्धेश्वर शिक्षण मंडल कालेज आफ आर्किटेक्चर, सोलापुर (एम० एस०);
19. आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम्;
20. चंडीगढ़ कालेज आफ आर्किटेक्चर (मास्टर आफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम) चंडीगढ़;
21. करुण्य इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, करुण्य नगर, कोयम्बटूर;
22. विवेकानन्द इंस्टीट्यूट आफ, टेक्नालाजी, पूणे; और
23. बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रांची।

वास्तुकला में पूर्व स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के इच्छुक प्राधिकारियों से प्रस्ताव लेना मंडल जारी रखे हुए है। सी० ओ० ए० और ए० आई० सी० टी० ई० के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के समय से ही परिषद् का सचिवालय इस अतिरिक्त भार को वहन कर रहा है। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सहायता से मंडल ने उपर्युक्त प्रस्तावों में से अधिकांश प्रस्तावों का मूल्यांकन कर लिया है। अंत में मंडल ने ए० आई० सी० टी० ई० से निम्नलिखित प्रस्तावों के बारे में अनुमोदन देने की सिफारिश की :

1. हिन्ने स्त्री शिक्षण समस्ता कालेज आफ आर्किटेक्चर, पूणे;
2. एन० टी० बी० कालेज आफ आर्किटेक्चर; नंदुरबार, जिला धूले (एम० एस०);
3. भारती विद्यापीठ कालेज आफ आर्किटेक्चर, सी० बी० डी०, नई बम्बई;

4. डा० डी० वाई० पाटिल कालेज ऑफ आर्किटेक्चर, सी० बी० डी०, नई बम्बई;
5. अजय-विनय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी द्वारा प्रोन्नत पीलू मोदी कालेज आफ आर्किटेक्चर, कटक;
6. अधीयमान एजूकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मद्रास;
7. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम);
8. लेडी अमृताबाई डागा कालेज फार वूमेन, नागपुर;
9. जाकीर हुसैन कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालाजी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़;
10. हिंदुस्तान कालेज आफ इंजीनियरिंग, पदुर, जिला चिंगलपुट (तमिलनाडु);
11. मोहम्मद साथक ट्रस्ट, कीलकराय;
12. भारत इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालाजी, सलईपूर, ताम्बरम, मद्रास;
13. सत्यबामा इंजीनियरिंग कालेज, अप्पयार नगर, मद्रास;
14. अरूलमीगु मीनाक्षी अम्मन कालेज आफ इंजीनियरिंग, वदमावंडल, चय्यार तालुका, टी० एस० जिला, तमिलनाडु;
15. श्री वी० बी० पाटिल ट्रस्ट अप्पासाहब कालेज आफ आर्किटेक्चर, सांगली (एम० एस०);
16. श्री सिद्धेश्वर शिक्षण मंडल कालेज आफ आर्किटेक्चर, सोलापुर (एम० एस०);
17. आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापतनम;
18. करूण्य इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, करूण्य नगर, कोयम्बटूर;
19. विवेकानन्द इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, पूणे; और
20. बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रांची।

XV. विदेशी नागरिकों का पंजीकरण

अधिनियम के अनुसार योग्यता रखने वाले अनेक विदेशी नागरिकों ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 25 (अ) के तहत पंजीकरण कराने के लिए आवेदन दिए हैं अधिनियम के तहत इन विदेशी नागरिकों का पंजीकरण करने से पूर्व परिषद् ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए इन आवेदन पत्रों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया है। मामले को शीघ्र निपटाने के लिए मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है ताकि अधिनियम के अनुसार मान्यता प्राप्त योग्यताएं रखने वाले इन विदेशी नागरिकों को पंजीकृत किया जा सके।

XVI. वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में संशोधन

वास्तुकला परिषद् ने दिनांक 1 फरवरी, 1993 को भोपाल में हुई अपनी 25वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कुछ खंडों में संशोधन के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और इस विचार-विमर्श के आधार पर वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंध के कुछ खंडों में किए गए संशोधनों को परिषद् ने अनुमोदित किया। परिषद् द्वारा अनुमोदित संशोधन केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ भेजे गए हैं।

VII. वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम

वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक संबंधी संशोधित प्रलेख मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्र सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा गया है। केंद्र सरकार का अनुमोदन शीघ्र ही मिलने की संभावना है और तदुपरांत इसे लागू करने के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाएगा।

XVIII. विविध

वास्तुविदों की नियुक्ति, आबंध की शर्तों तथा शुल्क आदि के मान के संबंध में निजी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संगठनों के ग्राहकों द्वारा मांगी गई अनेक प्रकार की जानकारी परिषद् देती रहती है। जब कभी प्रतियोगिताओं में डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए अथवा वास्तुकला प्रतियोगिता के लिए वास्तुकला परिषद् द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण करने के संबंध में मोहरबंद निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए वास्तुविदों को आमंत्रित किया जाता है, उस समय परिषद् सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संगठनों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करती रहती है और इस संबंध में उनका पूरा सहयोग लिया जाता है।

केंद्र सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं में भर्ती के लिए (परीक्षा द्वारा) भारतीय वास्तुविद् संस्थान की सह-सदस्यता को मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय की वास्तुकला में स्नातक उपाधि के बराबर मान्यता देने के केंद्र सरकार के निर्णय की सूचना परिषद् ने राज्य लोक सेवा आयोगों एवं राज्य सरकारों के प्राधिकारियों को दे दी है। परिषद् ने उनसे यह भी अनुरोध किया है कि वे इस योग्यता को अपने भर्ती नियमों में शामिल कर लें। इस पत्र की प्रति परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकारों के नामित व्यक्तियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई है कि वे संबंधित सरकारों के साथ इस मामले की पैरवी करते हैं।

स्थान एवं अन्य सुविधाओं की कमियों के बावजूद वास्तुकला परिषद् का कार्यालय नदर्न चेप्टर, भारतीय वास्तुविद् संस्थान के परिसर से ही कार्य कर रहा है, क्योंकि कार्यालय के लिए दूसरा उपयुक्त भवन अभी भी निर्माण के अंतिम चरणों में है।

परिषद्/परिषद् की समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए दी गई सुविधाओं के निमित्त परिषद् निम्नलिखित संगठनों के प्रति आभार व्यक्त करती है :-

1. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
2. सर जे० जे० कालेज आफ आर्किटेक्चर, बम्बई
3. भारतीय वास्तुविद् संस्थान, बम्बई

4. पी० ई० ए० टी० ए०, बम्बई
5. हिमाचल प्रदेश सरकार
6. मध्य प्रदेश सरकार
7. हरियाणा सरकार
8. सर्वश्री स्टीन, दोशी, भल्ला, नई दिल्ली, और
9. भारतीय वास्तुविद् संस्थान (नदर्न चेप्टर), नई दिल्ली

आलोच्य वर्ष के दौरान जिन वास्तुकला विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, है, उन सबके प्रति उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान दिए गए पूर्ण सहयोग के लिए परिषद् आभार प्रकट करती है। परिषद् उन विशेषज्ञों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती है जिन्होंने आलोच्य वर्ष के दौरान वास्तुकला विद्यालयों का निरीक्षण किया है।

परिषद् अपने सेवा निवृत होने वाले सदस्यों और अपनी समितियों/उपसमितियों के साथ-साथ उन विशिष्ट आमंत्रित व्यक्तियों के प्रति परिषद् धन्यवाद ज्ञापित करती है जिन्होंने आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् के कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान एवं सहायता प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त परिषद् भारतीय वास्तुविद् संस्था नई दिल्ली के नदर्न चेप्टर के प्रति विशेष रूप से आभार प्र ट करती है, क्योंकि उन्होंने वर्ष के दौरान अपने परिसर में परिषद् को कार्य करने की अनुमति दी।

परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली को भी वास्तुविद् अधिनियम, 1972 लागू करने में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देती है।

परिषद् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देती है।

परिषद् सर्वश्री रवि के० टंडन, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली के प्रति वर्ष के दौरान परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा करने में दी गई सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है।

एस० के० रंजन
रजिस्ट्रार

रवि के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
रवि के० टण्डन
एफ० सी० ए०, ए० एम० आई० एम० ए०

दिनांक 20 जुलाई, 1993

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने वास्तुकला परिषद्, 8बी, शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993 के संबंध तुलन-पत्र और इस तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखे तथा हमें प्रस्तुत की गई लेखा-बहियां एवं वाउचरों की परीक्षा कर ली है। हम रिपोर्ट देते हैं कि :

(i) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिये आवश्यक थे।

(ii) हमारी राय में तथा हमारे द्वारा की परीक्षा के अनुसार परिषद् द्वारा रखी गई लेखा-बहियां कानून की दृष्टि से सही हैं।

(iii) इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन पत्र तथा आय-व्यय लेखा परिषद् लेखा की बहियों से मेल खाते हैं।

(iv) हमारी राय में, हमारी जानकारी और विश्वास तथा हमें जो सूचना एवं स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके अनुसार उक्त लेखा विवरण—

(क) 31 मार्च, 1993 को परिषद् के कारोबार के तुलन-पत्र की दृष्टि से; और

(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के व्यय से अधिक आय के लाभ तथा व्यय लेखा की दृष्टि से स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं।

कृते रवि के० टंडन एंड कं०
सनदी लेखाकार
ह०/—
(रवि के० टंडन स्वामी)
रवि के० टंडन एंड कं० सनदी लेखाकार
एफ० सी० ए०, ए० एम० आई० एम० ए०
दिनांक 20 जुलाई, 1993
वास्तुकला परिषद्
(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत निगमित)
8—बी. शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली—1

31 मार्च, 1993 को लेखा विवरण के रूप में लेखों सम्बन्धी टिप्पणियां

1. गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यक समझे जाने पर पुनर्वर्गीकृत एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया है;
2. लेखा-बहियां मुख्यतः प्राप्ति आधार पर तैयार की गई है;
3. सामान्य रिजर्व से रु० 8,50,000 की राशि इण्डिया हेबीटाट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली की भवन निधि में स्थानान्तरित की गई है। आज के दिन तक कुल रु० 35,00,00 की राशि स्थानान्तरित की गई है।

कृते रवि के० टण्डन एण्ड कं०,
सनदी लेखाकार

परिषद् के लिये
तथा उसकी ओर से

ह०
(रवि के० टण्डन,)
स्वामी

ह०
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०
(अशोक यादव)
रजिस्ट्रार

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद, अधिनियम, 1972 के तहत निगमित)

31 मार्च 1993 को तुलन-पत्र

गत वर्ष	देयताएं		रकम	गत वर्ष	परिसम्पत्तियां		रकम
1196368.37	सामान्य रिजर्व			35341.44	नियत परिसम्पत्तियां		1676068.38
	1-4-92 को शेष	1196358.37			निवेश		
	जोड़ें: व्यय से अधिक आय	993338.90		819511.80	(I) दि० वि० प्रा० की स्वयं वि० यो० के तहत मेडम भीकाजी कामा भवन नई दिल्ली में (आवंटित) भवन	819511.80	
		2189697.27			जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	827254.20	
	घटाएं इंडिया हेवीटाट सेंटर भवन निधि में स्थानांतरित राशि	850000.00	1339697.27			1646766.00	
	सी० ए० समाचार-पत्र (चंदा) निधि		3433.00		घटाएं : नियत परिसम्पत्तियों में स्थानांतरित राशि	1646766.00	
	भवन निधियां :						
1650000.00	(1) मेडम भीकाजी कामा भवन	1650000.00	2000000.00	2000000.00	(II) इंडिया हेवीटाट सेंटर, लोधी रोड नई दिल्ली में (आवंटित) भवन	2000000.00	
2650000.00	(2) इंडिया हेबीटाट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली				जोड़ें वर्ष के दौरान वृद्धि	900000.00	2900000.00
	1-4-92 को शेष	2650000.00		1953738.95	आवधिक जमा प्राप्तियां		1953738.95
	जोड़ें : वर्ष के दौरान स्थानांतरित	850000.00	3500000.00	47819.19	ऋण तथा पेशगियां		11331.19
	ऋण				रोकड़ तथा पेशगियां		
150000.00	भारत सरकार से ऋण		150000.00		(I) भा० स्टे० बैंक मुख्य शाखा		
	अन्य देयताएं			821925.12	चालू खाता 22/65334	624519.27	
10304.62	संगोष्ठी (अव्ययित) (गत वर्ष के अनुसार)		10304.62	77609.94	(II) सिंडीकेट बैंक, सुपर बाजार बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली चालू खाता 3370	102033.46	726552.73
99283.45	अव्ययित मूल्यांकन शुल्क		314256.36				
5755946.44			6967691.25	5755946.44			6967691

टिप्पणी : मेडम भीकाजी कामा भवन में भवन के लिए रु० 1646766/- नियत परिसम्पत्ति में स्थानातंरित किए गए हैं ।

दिनांक : 20 जुलाई, 1993

स्थान : नई दिल्ली

ह०/- (जे० आर० भल्ला) अध्यक्ष

ह./- (अशोक यादव) रजिस्ट्रार

कृते रवि के० टंडन एंड कं०
सनदी लेखाकार
ह.
(रवि० के० टंडन)
स्वामी

31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष का

आय-व्यय लेखा

गत वर्ष	विवरण		रकम	गत वर्ष	विवरण		रकम
5,50880.20	वेतन तथा स्थापना को		614668.50	1919793.35	प्राप्त किये गये शुल्क से		
8013.00	उपदान प्रावधान को		5618.00		पंजीकरण शुल्क (निवल) से	235000.00	
50956.42	मुद्रण तथा स्टेशनरी को		48343.17		नवीकरण शुल्क (निवल) से	1248811.00	
52520.00	अधिसूचना प्रभार को		—		पुनः स्थापन शुल्क (निवल) से	241230.00	
56486.05	डाक प्रभार (निवल) को		44453.85		अनुलिपि पंजीकरण प्रमाण पत्र शुल्क (निवल) से	4320.00	
33118.55	माल भत्ते को		67674.00		अतिरिक्त योग्यता शुल्क	70.00	
7759.00	सवारी किराया प्रभार को		10747.30		अन्य शुल्क	100.00	
38188.00	दूरभाष व्यय (निवल) को		47145.00				1739531.00
388.55	सफाई के सामान को		[371.15		प्रकाशनों की बिक्री से		6370.00
2571.95	जलपान प्रभार को		6244.85		आ० ज० प्रा० (सकल) पर ब्याज से		202185.90
1208.35	वर्दियों को		—		बैंक कमीशन (निवल) से		1589.10
5637.85	बिजली प्रभार को		6648.00	9500.00	सी० ए० समाचार पत्र (निवल) से		—
3433.30	बिजली के सामान को		818.75	79625.00	वास्तुविद निर्देशिका (निवल) से		—
—	जल प्रभार को		500.00		वास्तुविद निर्देशिका को		
1500.00	प्रकाशन प्रभार को		—	—	बिक्री से		83805.00
6246.93	विधि व्यय (निवल) को		4540.18				
10000.00	किराया को		20000.00				
4575.00	विधिक व्यय को		9900.00				
2000.00	लेखा परीक्षा शुल्क को		2000.00				
3813.80	कार्यालय पुस्तकों एवं पत्रिकाओं, समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं	3617.20					
	कार्यालय पुस्तकों को	490.17	4107.27				
6388.00	मरम्मत एवं रख-रखाव		6619.67				
—	वास्तुकला शिक्षा पर संगोष्ठी व्यय, कार्यशाला को		1905.60				
294.00	जनरेटर रख-रखाव को		—				
48502.00	आयकर अ० वर्ष 1993–94 को		67509.00				
1100.00	परामर्श शुल्क को		1100.00				
—	वास्तुविद निर्देशिका		60760.50				
—	बीमा किस्त को		1220.00				
9373.81	मूल्यह्रास						
	उपस्कर	6285.98					
	फर्नीचर	1151.22					
			7437.31				

46,609.01	सामान्य रिजर्व खाते में व्यय से अधिक आय को	9,93,338.00				
21,51,343.87		20,33,461.00	21,51,343.87			20,33,461.00

परिषद के लिये तथा उसकी ओर से

दिनांक 20 जुलाई, 1993
स्थान : नई दिल्ली

ह०
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०
अशोक यादव
रजिस्ट्रार

इसी तारीख की हमारी
अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि के टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
ह०
(रवि के० टण्डन)
स्वामी

31 मार्च, 1993 को अखिल भारतीय वास्तुकला एवं
नगर योजना अध्ययन मण्डल का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

गत वर्ष	प्राप्तियां	राशि	गत वर्ष	भुगतान		रकम
—	आदि शेष को	99,283.45	1,15,971.70	पूंजी व्यय से		
3,25,000.00	मूल्यांकन शुल्क को (23 संस्थायें प्रत्येक को 25,000/–	5,75,000.00		इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर	10,000.00	
				आटोमेटिक प्लेन पेपर प्रतिलिपित्र	1,00,000,00.00	1,10,000.00
				मूल्यांकन खर्च से		
			25,976.00	वेतन तथा स्थापना		40,783.00
			44,000.00	मानदेय		93,600.00
			21,133.85	यात्रा भत्ता		49,178.00
			13,750.00	सवारी किराया प्रभार		24,193.00
			1,722.50	दूरभाष व्यय		18,312.00
			—	मुद्रण तथा स्टेशनरी		14,585.60
			—	मरम्मत एवं रख रखाव		6,480.00
			1,000.00	जलपान प्रभार		1,888.50
			510.00	डाक शुल्क		395.00
			—	बैंक कमीशन		50.00
			652.50	विविध खर्च		41.50
			—	जनरेटर का रखरखाव		520.49
			99,283.45	तुलन पत्र में अव्ययित अग्रेनीत शेष		3,14,256.36
3,25,000.00		6,74,283.45	3,25,000.00			6,74,283.45

ए० आई० बी० एस० आई० ए० तथा टी० पी० के लिये एवं उनकी ओर से।

ह०
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०
(अशोक यादव)
सदस्य सचिव

इसी तारीख की हमारी अलग
रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
ह०
(रवि के० टंडन)
स्वामी

दिनांक: 20 जुलाई, 1993
स्थान : नई दिल्ली

रवि० के० टण्डन एण्ड कं०
समदी लेखाकार

रवि के० टण्डन,
एफ० सी० ए० ए० एम० आई०
एम० ए०,

दिनांक 20 जुलाई, 1993

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने, "वास्तुकला परिषद्" अंशदायी भविष्य निधि लेखा, 8-बी, शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 के संलग्न तुलन-पत्र और हमें प्रस्तुत की गई लेखा-बहियां एवं वाउचरों की परीक्षा कर ली है। हम रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक थे ;

2. हमारी राय में और बहियों की हमारी परीक्षा की दृष्टि से वास्तुकला परिषद् अंशदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा रखी गई लेखा-बहियां कानून के अनुसार उचित हैं ;

3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र लेखा-बहियों से मेल खाता है; और

4. हमारी राय में, हमारी जानकारी और विश्वास तथा हमें जो सूचना एवं स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके अनुसार उक्त लेखा-विवरण 31 मार्च, 1993 को कारोबार के तुलन-पत्र की दृष्टि से सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं।

कृते रवि के० टण्डन एण्ड कं०,
समदी लेखाकार

(रवि के० टण्डन)
स्वामी

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत निर्मित)

31 मार्च, 1993 को अंशदायी भविष्य निधि का तुलन-पत्र

गत वर्ष	देयतायें		राशि	गत वर्ष	परिसम्पत्तियां	राशि
	वास्तुकला परिषद्				निवेश	
1,37,050.00	सी० पी एफ अंशदान	1,37,050.00		4,44,145.00	सिंडिकेट बैंक में	
	जोड़ेः वर्ष के दौरान अंशदान	13,394.00			आवधिक जमा	4,86,545.00
	जोड़े : सी० पी० एफ० अंशदान पर ब्याज	16,448.00	1,66,892.00	3,595.00	ऋण तथा पेशगियां	
					सी० पी० एफ० पेशगियां	9,965.00
1,18,873.00	सी० पी० एफ० अंशदान	1,18,873.00			रोकड़ तथा बैंक शेष	
	जोड़े : वर्ष के दौरान चन्दा	13,806.00		23,148.51	सिण्डीकेट बैंक में खाता सं० 30554	76,969.71
	जोड़े : सी० पी० एफ० चन्दे पर ब्याज	13,974.00				
	जोड़े : सी० पी० एफ० पेशगी पर ब्याज	920.00	1,47,573.00			
2,14,965.51	रिजर्व निधि					
	प्रारंभिक शेष	2,14,965.51				
	जोड़े : बचत खाते पर ब्याज	1,348.00				
	जोड़ेः आवधिक जमा पर ब्याज	42,701.20	25,9,014.71			
4,70,888.51			5,73,479.71	470888.51		5,73,479.71

कृते रवि के० एण्ड क०
सनदी लेखाकार
ह०/–
(रवि के० टंडन)
स्वामी

परिषद् के लिये तथा उसकी ओर

दिनांक: 20 जुलाई, 1993
स्थान : नई दिल्ली

ह०/–
(के० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०/–
(अशोक यादव)
रजिस्ट्रार

31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष का अंशदायी भविष्य निधि
प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा

गत वर्ष	प्राप्तियां		राशि	गत वर्ष	भुगतान	राशि
	आदि शेष				आवधिक जमा	
55693.07	सिण्डीकेट बैंक में अंशदान		23148.51	222445.00	वर्ष के दौरान खरीद तथा नवीकृत	244100.00
				4920.00	अंशदायी भविष्य निधि पेशगियां	12360.00
16564.00	कर्मचारी का चन्दा		13806.00	25000.00	अंशदायी भविष्य निधि से लौटायी जाने वाली वापसी	—
15268.00	परिषद् का अंशदान		13394.00			
8865.00	पेशगी की वसूली		5990.00		सेवा निवृत्ति एवं मृत्यु पर भविष्य निधि का भुगतान	—
41170.44	आवधिक जमा पर ब्याज			27724.00	कर्मचारी का चन्दा	—
	सकल	44051.20		18599.00	परिषद् का अंशदान	—
	घटायें: आय स्रोत पर कर—कटौती	1350.00	42701.20		शेष	
				23148.51	सिण्डीकेट बैंक में खाता सं० 30554	76969.71
1312.00	बचत खाते पर ब्याज		1348.00			
1155.00	अंशदायी भविष्य निधि पेशगी पर ब्याज		920.00			
51100.00	आवधिक जमा (वर्ष के दौरान परिपक्व)		201700.00			
	प्राप्त ब्याज					
15098.00	कर्मचारी के चन्दे पर		13974.00			
15281.00	परिषद् के अंशदान पर		16448.00			
321836.51			333429.71	321836.51		333429.71

परिषद् के लिये और उसकी ओर से

दिनांक: 20 जुलाई, 1993
स्थान: नई दिल्ली

ह०/—
(जे० आर० मल्ला)
अध्यक्ष

ह०/—
(अशोक यादव)
रजिस्ट्रार

इसी तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि० के० टंडन एण्ड कं०,
सनदी लेखाकार

ह०/—
(रवि० के० टंडन)
स्वामी

रवि० के० टंडन, एण्ड कं०,
सनदी लेखाकार

रवि० के० टंडन,
एफ० सी० ए०, ए० एम०
आई० एम० ए०,
दिनांक : 20 जुलाई, 1993

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद्" उपदान निधि, 8—बी, शंकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली,—110001 के संलग्न तुलन—पत्र और हमें प्रस्तुत की गई लेखा—बहियों एवं वाउचरों की परीक्षा कर ली है। हम रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा के लिये आवश्यक थे;

2. हमारी राय में और बहियों की हमारी परीक्षा की दृष्टि से वास्तुकला परिषद उपदान निधि द्वारा रखी गई लेखा-बहियां कानून के अनुसार उचित हैं ;

3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र लेखा-बहियों से मेल खाता है; और

4. हमारी राय में, हमारी जानकारी और विश्वास तथा हमें जो सूचना एवं स्पष्टीकरण दिये गये हैं उनके अनुसार उक्त लेखा—विवरण में 31—3—1993 को परिषद के कारोबार के तुलन-पत्र की दृष्टि से सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते रवि के टंडन एण्ड कं०,
सनदी लेखाकार
ह०/—
(रवि के० टंडन,)
स्वामी

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम 1972 के तहत निर्मित)

31 मार्च, 1993 को तुलन-पत्र

(उपदान निधि)

गत वर्ष	देयतायें		राशि	गत वर्ष	परिसम्पत्तियां		राशि
	उपदान निधि			17073.50	निवेश		
					सिण्डीकेट बैंक में आवधिक जमा		
	आदि शेष				ए-985584/7728	5000.00	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	11638.00			डी-0968170/16596	6073.50	
	घटायें: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	11638.00					11073.50
27958.27	रिजर्व निधि			10884.77	रोकड़ तथा बैंक शेष		
	आदि शेष	27958.27			सिण्डीकेट बैंक खाता सं० 35584		12217.17
	जोड़ें: एफ० डी० आर० पर ब्याज	1310.40					
	घटायें: टी० डी० एस०	40.00	1270.40				
	जोड़ें: बचत खाते पर ब्याज	72.00					
		29300.67					
	घटायें: वर्ष के दौरान उपदान का भुगतान करने के लिए निकाली गई राशि	6010.00	23290.67				
27958.27			23290.67	27958.27			23290.67

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

दिनांक : 20 जुलाई, 1993
स्थान : नई दिल्ली

ह०
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष

ह०
(अशोक यादव)
रजिस्ट्रार

टिप्पणियां : 1. उपदान के भुगतान के कारण उपदान निधि की कमी पूरी करने के लिए रिजर्व निधि से रु० 6010/— की राशि उपदान निधि में स्थानांतरित की गई है।

2. एफ० डी० आर० पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर लगाया गया है।

कृते रवि के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
ह०
(रवि० के० टण्डन)
स्वामी

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संस्कृति विभाग

रामपुर रजा पुस्तकालय, बोर्ड, रामपुर

रामपुर-244901, दिनांक 16 मई 1994

संख्या एक 8-4/आर. आर. एल./84—रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 (संख्या 22 वर्ष 1975) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रामपुर रजा पुस्तकालय समिति बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ एतद्द्वारा निमनलिखित विनियम बनाती है ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये विनियम रामपुर रजा पुस्तकालय सेवा विनियम, 1994 कहलायेंगे ।

2. विनियमों का लागू होना :—ये विनियम रामपुर रजा पुस्तकालय की तिथि से लागू होंगे ।

2. विनियमों का लागू होना :—ये विनियम रामपुर रजा पुस्तकालय, बोर्ड के अंतर्गत सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, परन्तु ये विनियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो—

(क) पूर्ण कालिक बोर्ड की सेवा में न हों ।

(ख) जो दैनिक वेतन पर कार्य करते हों ।

(ग) वह व्यक्ति जिनकी सेवायें राजकीय कार्यालयों या अन्य संस्थाओं से अस्थाई रूप से ली गई है । जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति अस्थाई रूप से भेजने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन से उन विनियमों को धारण करने का विकल्प नहीं चुनता है ।

(घ) जिनकी सेवायें विशेष संविदा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ नियोजित होती है जब तक कि संबन्धित व्यक्ति इन विनियमों का पालन करना स्वीकार नहीं करता है ।

3. परिभाषाएं :—इन विनियमों में जब तक सन्दर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य है, रामपुर रजा पुस्तकालय अधिनियम, 1975 (सं 22 वर्ष 1975) ।

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी", किसी पद के संबंध से तात्पर्य है, सक्षम प्राधिकारी जो विनियम 6 के अंतर्गत नियुक्ति कर सकने में सक्षम हो ।

(ग) "बोर्ड" से तात्पर्य है, रामपुर रजा पुस्तकालय बोर्ड ।

(घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है, बोर्ड का अध्यक्ष ।

(ङ) "निदेशक" से तात्पर्य है, पुस्तकालय का निदेशक ।

(च) "सरकार" से तात्पर्य है, भारत सरकार ।

(छ) "नियमावली" से तात्पर्य है, रामपुर रजा पुस्तकालय, नियमावली-1975 ।

(ज) "अनुसूची" से तात्पर्य है, अनुसूची जो कि इन विनियमों के साथ संलग्न है ।

(झ) "उपाध्यक्ष" से तात्पर्य है, बोर्ड का उपाध्यक्ष ।

4. पदों का सृजन :—केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अधिनियम के प्रावधानों द्वारा और प्रतिबन्धों के अंतर्गत, बोर्ड—

(क) वर्ग "ख", "ग" और "घ" के ऐसे पदों को सृजित कर सकता है जो पुस्तकालय के प्रबन्ध के लिये ( ) स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार के जरूरी हों और वर्ग (क) के ऐसे पदों का सृजन कर सकता है जिनका वेतनमान निर्धारित है, किन्तु ऐसे वेतनमान के पदों के लिए जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिमास 4500/- से अधिक होगी सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(ख) ऐसे पदों का ग्रेड, वेतनमान और भत्ता का निर्धारण या फेर बदले करना :—बशर्ते कि ऐसे वेतनमान तथा भत्ता किसी भी दशा में उन पदों के मुकाबले अच्छा नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार के तुलनात्मक पदों या जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते है, और पहले केन्द्रीय सरकार से ऐसे पदों के सृजन के लिये अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो । जिनका वेतनमान अधिकतम 4500/- रुपये प्रतिमास से अधिक न होगा ।

(ग) पदों की संख्या को सुनिश्चित करना और यह निर्धारण करना कि कोई पद अस्थाई या स्थायी होगा । अस्थाई रूप से सृजित होने वाले पद की सेवा अवधि को उल्लिखित करना । विभिन्न प्रकार के पदों से संबंधित कर्तव्य सुनिश्चित करना ।

5. पदों का वर्गीकरण :—जैसा कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है । पुस्तकालय के पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में होगा :—

पद जिसका वेतन या वेतनमान अधिकृत एवं पदों का वर्गीकरण	
रुपये 4000/- और ऊपर	वर्ग "क"
रुपये 2900/- से 3,999 तक	वर्ग "ख"
रुपये 1,151 से 2,899 तक	वर्ग "ग"
रुपये 1,150/- तक	वर्ग "घ"

इसके अतिरिक्त उन सेवानिवृत कर्मचारियों के मामले में, जिनकी सेवाएं एक करार के आधार पर ली गई है और जो अपने मासिक वेतन के अतिरिक्त पेंशन भी लेते हों उनका वर्गीकरण कुल पेंशन और वेतनमान के आधार पर होगा ।

स्पष्टीकरण :—किसी पद के वर्गीकरण के उद्देश्य से वेतन का तात्पर्य नियमानुसार मूल वेतन से होगा ।

मूल वेतन में विशेष वेतन, व्यक्तिगत योग्यता के आधार के स्वीकृत वेतन, किसी कर्मचारी की मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप में स्वीकृत वेतन और वेतन जो वह किन्हीं भी कारणों से अपने संवर्ग में पाने का पात्र हो, वह मूल वेतन की गणना में सम्मिलित नहीं होगा ।

6. नियुक्ति प्राधिकारी :—बोर्ड के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी :—

(क) वर्ग "क" और "ख" के लिये बोर्ड द्वारा ।

(ख) वर्ग "ग" और "घ" के लिये निदेशक द्वारा ।

7. "1" भर्ती प्रक्रिया :—बोर्ड के अधीन पदों पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी—

(क) प्रोन्नति द्वारा ।

(ख) सीधी भर्ती द्वारा ।

(ग) राज्य अथवा केन्द्र सरकार से अथवा अर्धसरकारी संगठनों अथवा अन्य विधिक निकायों से प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा ।

(घ) पारस्परिक सहमति, शर्तों और सेवा शर्तों द्वारा करार पर ।

"2" वर्ग क, ख, ग, तथा घ के जब भी रिक्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे, निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—

(क) वर्ग "क" और "ख" के पदों की रिक्तियां समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जायेंगी ।

(ख) वर्ग "ग" और "घ" की रिक्तियां रोजगार कार्यालयों को दी जायेंगी और रोजगार कार्यालय द्वारा जब इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि अभी उनके पास कर्मचारी नहीं है तो ये समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी जायेगी ।

8. प्रोन्नति द्वारा भर्ती :—(अ) प्रोन्नति द्वारा किसी पद पर नियुक्ति द्वितीय अनुसूची के अनुसार होगी । (ब) जैसा कि तृतीय अनुसूची में कहा गया है कि पदोन्नति या तो वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर होगी या चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत बनी प्रक्रिया योग्यता सूची के आधार पर अथवा विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर होगी ।

9. प्रत्यक्ष भर्ती :—द्वितीय अनुसूची के अनुसार किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति होगी और तृतीय अनुसूची में दिये अनुसार चयन समिति की सिफारिशों पर भर्ती होगी ।

(अ) उन अभ्यर्थीगण में जिन्होंने किसी विज्ञापन के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया हो, या

(ब) उन अभ्यर्थीगण में से जो रोजगार कार्यालय से मांगे जाने, रोजगार अधिकारी ने जिनको भेजे हों या

(स) उन अभ्यर्थीगण में से जो सरकारों, स्वायत्त संस्थान या विधिक संगठन के कर्मचारी हों जिन्होंने किसी परिपत्र के अनुपालन में प्रार्थना पत्र दिया है ।

10. गृहीत कर्मचारी की नियुक्ति :—गृहीत कर्मचारी किसी भी पद पर स्थानान्तरण के आधार पर या या प्रतिनियुक्ति के रूप में चयन समिति के अनुमोदन पर ऐसी शर्तों के आधार पर जो बोर्ड तथा ऋण अधिकारी के मध्य सहमति से विनियम के उपबन्ध के उप नियम (ग) के अंतर्गत नियुक्ति की जा सकती है ।

11. पदोन्नति सम्भव न हो सकने पर अन्य विधि द्वारा भर्ती :—यदि बोर्ड इस बात को सत्यापित करता है कि कोई भी अभ्यर्थी पदोन्नति देने के योग्य नहीं है, या उन्नति देने के योग्य नहीं है, तो उन पदों को जो विभागीय उन्नति के लिये सुरक्षित है, प्रत्यक्ष रूप से भर्ती करने या किसी अन्य संस्थान से स्थानान्तरण द्वारा आये कर्मचारी में से भर्ती कर दी जायेगी ।

12. योग्यताएं :—किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता वही होगी जो संबंधित पद हेतु द्वितीय अनुसूची में निर्धारित की गई है, किन्तु अधिक योग्य अभ्यर्थी होने की दशा में विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड निर्धारित योग्यता में छूट प्रदान कर सकता है ।

13. आयु :—वर्ग "ग" तथा "घ" में दिये गये पदों में सीधे भर्ती के समय आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होगी । दूसरे वर्गों में दिये पदों की आयु सीमा वह होगी जो द्वितीय अनुसूची में निर्धारित कर दी गई है तथापि अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होने की दशा में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट होगी, और ऐसे ही अन्य श्रेणी के लोग जिन्हें भारत सरकार ने समय-समय पर निर्दिष्ट कर दिया है उनके लिये भी यह छूट होगी नये नियुक्त हुये कर्मचारी अपनी नियुक्ति के समय अपनी जन्म-तिथि के लिये साक्ष्य उपस्थित करेगा ।

14. आरंभिक नियुक्ति समय शारीरिक आरोग्यता :—कोई भी व्यक्ति किसी पद पर सीधी भर्ती से तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह :—

(अ) वह व्यक्ति जो तीन महीने से कम की अवधि के अनुसार क चिकित्सा जांच में स्वस्थ घोषित कर दिया गया हो । वर्ग "क" और "ख" के कर्मचारियों की जांच राज्य या केन्द्रीय सरकार के मुख्य चिकित्साधिकारी/अधीक्षक तथा वर्ग "ग" और "घ" के कर्मचारियों की जांच उस चिकित्साधिकारी द्वारा की जायेगी जिसको बोर्ड इस विषय में विनिर्दिष्ट करें ।

टिप्पणी :—निम्नलिखित वर्ग के नियुक्ति के समय चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त है ।

(अ) वह व्यक्ति जो तीन महीने से कम की अवधि के लिये अस्थाई पद पर नियुक्त किये गये हों ।

(ब) सेवा निवृत कर्मचारी जो सेवा निवृत होने के तुरन्त पश्चात् दोबारा नियुक्त किया गया हो ।

(स) कर्मचारी जिसकी चिकित्सा जांच पहले से ही किसी निम्न पद या उसके समान किसी पद पर हो चुकी है ।

(द) वह व्यक्ति जिसके विषय में बोर्ड लिखित कारणों से लिखित रूप से इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान करें ।

15. चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन :—किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति उस समय तक किसी पद पर सीधे रूप से नहीं की जा सकती जब तक कि वह भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अनुसार उसके चरित्र तथा आचरण का सत्यापन विस्तृत रूप से नहीं हो जाये ।

16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सेवकों आदि के लिये विशेष प्रतिनिधित्व :—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूतपूर्व सेवकों के लिये रिक्त स्थान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों के अनुसार आरक्षित किये जायेंगे ।

17. अयोग्यता :—इन अधिनियमों के अधीन कोई भी व्यक्ति नियुक्त किये जाने के योग्य नहीं होगा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है या शादी करने का करार किया है । जिसका एक पति/पत्नी, जीवित हो या जिसको पत्नी/पति होते हुए किसी दूसरे से शादी करती/करता है या शादी करने का करार किया है । यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाये कि की गई ऐसी शादी उसके व्यक्तिगत कानून के अधीन है जो उस पर तथा शादी के द्वितीय पक्ष पर भी लागू है तथा ऐसा करने के दूसरे कारण भी हैं जो किसी भी व्यक्ति को इस प्रदत्त अधिनियम से छूट प्रदान करने योग्य हैं, तो ऐसी छूट बोर्ड द्वारा ही प्रदान की जा सकती है ।

18. पदावधि :—सभी नियुक्तियां उस तिथि से प्रभावी होंगी जिस तिथि से कर्मचारी नियुक्त ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है ।

19. परिवीक्षा तथा परिवीक्षा की समाप्ति :—(क) प्रत्येक वह व्यक्ति जो बोर्ड के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हुआ है चाहे उसकी नियुक्ति पदोन्नति से हुई हो या वह सीधी भर्ती से नियुक्त हुआ हो वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगा, किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं लिखित कारणों से किसी व्यक्तिगत मामले में परिवीक्षा की अवधि को घटा-बढ़ा सकता है । जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक न होगी ।

(ख) जब कोई व्यक्ति बोर्ड के अधीन किसी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त हुआ है और वह व्यक्ति इस परिवीक्षा की अवधि के बीच इस पद पर रहने के अयोग्य पाया जाए या उसने सन्तोषजनक रूप से इस परिवीक्षा की अवधि को पूरा नहीं किया हो तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी दशा में यदि :—

(अ) वह व्यक्ति पदोन्नति से नियुक्त किया गया हो तो उसको तुरन्त उसी पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा जिस पद पर नियुक्ति करते समय वह नियुक्त था, और

(ब) वह व्यक्ति जो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो उसकी सेवायें बोर्ड द्वारा बिना नोटिस के समाप्त कर दी जायेंगी ।

20. अस्थाई तथा स्थाई सेवाएं 3-(अ) कर्मचारी जो बोर्ड के अधीन किसी पद पर प्रथम नियुक्ति पर आया हो, वह अस्थाई कर्मचारी माना जाएगा और उस समय तक अस्थाई कर्मचारी रहेगा जब तक कि वह बोर्ड के अधीन किसी स्थाई पद पर वास्तविक रूप से नियुक्त न कर दिया जाए ।

(ब) एक कर्मचारी जो वास्तविक रूप से बोर्ड के अधीन किसी स्थाई पद पर नियुक्त हुआ है, वह बोर्ड का स्थाई कर्मचारी होगा ।

21. मौलिक नियुक्ति :—(क) समस्त मौलिक नियुक्तियां वरिष्ठता के अनुक्रम में आवश्यक विचारोपरान्त गुणाक्रम के आधार पर होंगी ।

(ख) कोई भी कर्मचारी किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त नहीं होगा जब तक कि—

(अ) ऐसा पद स्थाई हो और कोई भी अन्य व्यक्ति उस पद पर वास्तविक रूप से नियुक्त न हुआ हो ।

(ब) उसने संतुष्ट रूप से परिवीक्षा काल की अवधि या परिवीक्षा की बढ़ाई हुई अवधि पूरी न कर ली हो ।

(ग) किसी भी तिथि से उसे पूर्वव्यापी कार्य को देखते हुए वास्तविक नियुक्तियां होंगी बशर्ते कि :—

(अ) स्थाई रिक्ति की तिथि से या उससे पूर्व की तिथि से स्थाई पद विद्यमान हो तथा रिक्त हो ।

(ब) वह संबंधित कर्मचारी जो तत्संबंधी तिथि पर कार्यरत था । अन्यथा वह कर्मचारी जो केवल अस्थाई रूप से कार्य कर रहा था या उस पर कार्य कर चुका था या यदि वह उच्च पद पर नियुक्त न किया गया होता तो उस पद पर कार्य करता रहता ।

(स) चयन पद पर होने की दशा में संबंधित कर्मचारी का संबंधित तिथि से पूर्व ही उसका चयन पद पर कर लिया गया हो तथा वह पहले ही स्थानापन्न (स्थानापन्न) रूप में पद पर अस्थाई प्रबंध के लिए सेवा कर चुका हो या वह उस पद पर कार्य करता रहता यदि स्थानापन्न पद पर नियुक्ति न पाया होता ।

(द) नियमित नियुक्ति तथा अन्य समस्त स्थाई नियुक्ति की अपेक्षाओं से पूर्व संतुष्टि हो गई हो ।

(घ) त्रुटिपूर्ण रूप से की गई मौलिक नियुक्ति :—रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मौलिक नियुक्ति के आदेश जो संबंधित नियमों या प्रशासनिक निदेशों के प्रतिकूल है; सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल निरस्त कर दिए जाएंगे किन्तु प्रभावित कर्मचारी को उसकी मौलिक नियुक्ति से हटाने से पहले उसको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा ।

22. कर्मचारीगण को मानदेय, विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन का भुगतान :—बोर्ड किसी भी कर्मचारी को किसी विशेष परिस्थिति में विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन; मानदेय अथवा अन्य किसी प्रकार की फीस आदि स्वीकृत कर सकता है बशर्ते कि वह नियमानुसार हों ।

किन्तु यदि उस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार से किसी फण्ड की आवश्यकता पड़ती है तो वह ऐसे भुगतान, मानदेय भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा ।

23. सेवा की समाप्ति :—(क) नियुक्ति करने वाला प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय नोटिस देकर बगैर कारण बताए कर्मचारी की सेवा, किसी भी समय उसको एक मास का वेतन और भत्ता का भुगतान करके या किसी ऐसी अवधि के वेतन का भुगतान जिसकी अवधि नोटिस में एक मास से कम हो, समाप्त कर सकता है ।

(ख) बिना पूर्वाग्रह के उप नियम (1) के अनुसार अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी ।

(अ) यदि उसकी नियुक्ति किसी नियत अवधि के लिए हुई है तब वह अवधि समाप्त होने पर जब तक कि उसकी नियुक्ति की अवधि और अधिक बढ़ा न दी गई हो ।

(ग) यदि मौलिक रूप से नियुक्ति का पद समाप्त हो जाता है तो स्थाई कर्मचारी की सेवा तीन मास का नोटिस देकर या ऐसी अवधि का वेतन देकर जिससे नोटिस की अवधि तीन मास से कम पड़ती हो, या उस पद का तीन महीने का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है ।

(घ) जब किसी कर्मचारी को उप विनियम (3) के अधीन सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया हो उसको नोटिस की अवधि के दौरान का अर्जित अवकाश देय होगा और जब कभी ऐसा अवकाश देय है, और स्वीकृति अवधि 3 मास से अधिक हो तो इसकी सेवाएं ऐसी अवधि की समाप्ति की तिथि से समाप्त होंगी ।

24. सेवा निवृत्ति :—(क) बोर्ड का कोई भी कर्मचारी बोर्ड की सेवा से इन दशाओं में सेवा निवृत्त होगा :

(अ) ऐसी दशा में जबकि इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से पहले से पुस्तकालय के कर्मचारियों की श्रेणी में सम्मिलित हो और उसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ।

(ब) अन्य मामलों में वर्ग "क" व "ख" और "ग" के विषय में व अट्ठावन वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा वर्ग "घ" के कर्मचारियों के संबंध में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ।

(स) इस विषय में उस सेवा के लिए बोर्ड के द्वारा निर्धारित मेडीकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो ।

(द) दण्डात्मक कार्यवाही के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति परन्तु यह प्रावधान है कि अपवाद स्वरूप प्रकरणों में वह कर्मचारी जिसकी सेवाएं करार पर ली गई हो बोर्ड के विवेक पर—(जो आत्मनिष्ठ होगा) उसकी आयु 58 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी सेवा में रखा जा सकता है जबकि बोर्ड इस बात का विश्वास करेगा कि निम्न मानदण्ड का पालन कर लिया गया है ।

(ल) अधिनियम के अधीन बोर्ड के निर्देश के अनुसार संबंधित व्यक्ति का कार्य/सेवा आवश्यक और अनिवार्य है ।

(थ) संबंधित व्यक्ति का सेवा में रखे रखना बोर्ड तथा जन-हित में आवश्यक है ।

(ट) संबंधित व्यक्ति मानसिक तथा शारीरिक रूप से वह कार्य जो बोर्ड ने उसके सुपुर्द किए हों उसके करने के लिए सक्षम हो और,

(ध) पहली बार उस पद पर बने रहने के लिए एक वर्ष की अनुमति मिलेगी यह अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक न होगी ।

(ख) उपनियम (1) के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि अमुक कर्मचारी ने पचास वर्ष की आयु पूरी कर ली है और इसे सेवा नियत करना बोर्ड के हित में है तो नियुक्ति अधिकारी किसी भी कर्मचारी को लिखित में कारण बताकर कम से कम तीन मास का नोटिस देकर या नोटिस के बदले तीन मास के वेतन तथा भत्ते देकर सेवा निवृत कर सकता है ।

(ग) कोई भी कर्मचारी पचास वर्ष की आयु पूर्ण होने पर नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को कम से कम तीन मास का नोटिस देकर सेवा से निवृत्त हो सकता है । कोई भी कर्मचारी यदि निलंबित है और अपनी 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वह अपनी इच्छा से सेवा निवृत्ति लेना चाहता है तो इस उप-नियम के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी को उसकी सेवा निवृत्ति को रोकने का पूर्ण अधिकार है ।

(घ) किसी विशेष मामले में बोर्ड को किसी कर्मचारी को एक समय में एक वर्ष तक सेवाओं का पुनः नियुक्ति देने का अधिकार होगा परन्तु इस प्रकार की पुनः नियुक्ति की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

25. त्याग-पत्र :—(1) एक अस्थाई कर्मचारी लिखित रूप में एक माह का नोटिस देकर बोर्ड की सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है । नियुक्ति प्राधिकारी किसी विशेष स्थिति में यदि यह उचित समझता है तो वह अस्थाई कर्मचारी को एक मास से कम अवधि का नोटिस देकर बोर्ड की सेवा से त्याग-पत्र देने की आज्ञा दे सकता है ।

(2) एक स्थाई कर्मचारी तीन मास की अवधि का लिखित नोटिस देकर या तीन मास के वेतन व भत्ते के बराबर धनराशि जमा करने के पश्चात् और ऐसी अवधि जिसकी, जो नोटिस में तीन मास से जितनी कम है, का वेतन और भत्ता बगैर नोटिस से तीन मास के दिए पुस्तकालय में जमा करके त्याग-पत्र दे सकता है, जब उसका त्याग पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हो जाएगा तो वह अपने कार्यभार से मुक्त हो जाएगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार किए जाने की तिथि से ही त्याग-पत्र प्रभावी होगा ।

26. वेतनमान :—बोर्ड के अधीन पदों का वेतनमान वह होगा जो प्रथम-अनुसूची में दिया है ।

27. प्रारम्भिक वेतन :—एक कर्मचारी टाईम स्केल वेतन पर किसी पद पर नियुक्त होने पर कम से कम टाईम स्केल का न्यूनतम वेतन पाएगा । किसी भी पद पर सीधी भर्ती होने पर चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड अधिक से अधिक पांच अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर कर सकता है ।

28. प्रारम्भिक वेतन नियत करना, वेतन वृद्धि, अवकाश वेतन आदि का निर्धारण :—बोर्ड के आरम्भिक वेतन निश्चित करने, वेतन वृद्धि और विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के वेतन और भत्ते निलंबन काल के भत्ते के विषय में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित निर्धारण उस समय प्रभावी सरकारी नियमों के अनुसार होगा ।

29. पुनः रोजगार पर रखे गए व्यक्तियों का भुगतान :—उन व्यक्तियों का वेतन जो सरकारी सेवा से सेवा निवृत होने के पश्चात् या विश्वविद्यालय की सेवा या राजकीय उपक्रम या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं से सेवा निवृत होने के बाद पुनः रोजगार पर रखे गए हैं उनका वेतन सरकार के विद्यमान नियमों तथा आदेशों के अनुसार निर्धारित होगा ।

30. वेतन का आहरण :—(अ) कोई भी कर्मचारी किसी भी पद पर जिस तारीख से कार्यभार ग्रहण करता है, उसी तारीख से वह उस पद का वेतन पाने का अधिकारी होगा ।

(ब) किसी भी महीने का वेतन या उससे अगले महीने की पहली दिन भुगतान के लिए देय होगा ।

(स) विनियम 25 के अधीन निर्धारित नोटिस के दिए बिना बोर्ड की सेवा से त्याग पत्र देने वाला कर्मचारी का वेतन जब तक बोर्ड निर्देश न दे आहारित नहीं होगा, किन्तु इस प्रकार से वेतन आहारित करने की अनुमति न देने पर इस प्रकार के वेतन की अवधि निर्धारित नोटिस अवधि से अधिक नहीं होगी।

31. भत्ते, अग्रिम धन तथा अन्य सुविधाएं :—कर्मचारीगण वह समस्त भत्ता पाने के अधिकृत होंगे जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीगण को समय-समय पर मिलता है।

(2) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान ही पुस्तकालय के अधिकारी कर्मचारी भी त्यौहार अग्रिम, मकान बनाने के लिए अग्रिम, वाहन खरीदने के लिए अग्रिम आदि उन सभी नियमों व शर्तों पर पाने के अधिकारी होंगे जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पाते हैं।

(3) कर्मचारीगण उन सभी शर्तों के साथ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति निर्देशित नियमानुसार सेवा निवृत होने पर समय-समय पर बच्चों की शिक्षा का भत्ता, उपचार की सुविधाएं जो मेडीकल-अटेन्डेन्स नियम के अधीन ग्राह्य हैं, यात्रा रियायत भत्ता, अवकाश की सुविधाएं तथा वैकल्पिक छुट्टी पाने के अधिकारी होंगे।

32. छुट्टी :—कर्मचारीगण पर पुनरीक्षित अवकाशीय नियम 1972 लागू होगा जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीगण पर समय-समय पर संशोधनानुसार लागू होता है।

33. आचरण :—बोर्ड के कर्मचारीगण केन्द्रीय सिविल सर्विस (आचरण) नियम 1964 जैसा कि वह समय-समय पर संशोधित हुए हैं। के अधीन होंगे।

34. सेवा पंजिकाएं तथा चरित्र पंजिका :—(1) केन्द्रीय सरकार के निर्धारित प्रपत्र में पुस्तकालय प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पंजिका तथा चरित्र पंजिका रखेगा।

(2) कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में समस्त प्रविष्टियां मुख्य लिपिक द्वारा की जाएगी उनके उच्च अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित की जाएंगी।

(3) कर्मचारी की चरित्र पंजिका में प्रविष्टियां उन प्राधिकारी द्वारा किए आदेश जिसके वह तत्काल रूप से अधीन है तथा उच्च अधिकारी द्वारा यदि कोई हो, तो उसकी टिप्पणी सहित प्रति-हस्ताक्षरित होगी।

(4) चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने पर निदेशक द्वारा संबंधित व्यक्ति को सूचित की जाएगी। प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा।

35. अंशदायी भविष्य निधि एवं उपादान स्कीम तथा सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन तथा उपादान स्कीम :—(1) बोर्ड भविष्य निधि स्थापित करेगा जिसे रामपुर रजा पुस्तकालय सामान्य भविष्य निधि के नाम से जाना जाएगा।

(2) बोर्ड के सभी कर्मचारियों पर यह विनियम लागू होता है, सिवाए उन कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन्होंने प्रस्तुत अंशदायी भविष्य निधि एवं उपादान स्कीम को विकल्प देकर स्वीकार कर लिया है। एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के बाद निधि में अंशदान करेंगे किन्तु उन कर्मचारीगण के लिए जिन्होंने प्रस्तुत अंशदायी भविष्य निधि में इन विनियम को जिस तारीख से मान लिया है बोर्ड का अंशदान इस विषय में इन विनियम को स्वीकार करने पर विनियम उसी तारीख से भारत सरकार के आदेशों/निर्देशों के अनुसार होंगे।

(3) अभिदान तथा ब्याज की दरें, अग्रिम धन राशियां व निकासी नामांकन दूसरे प्रासंगिक मामले और वह मामले जो निधि से संबंधित है वह सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 जो समय-समय पर परिवर्तित तथा संशोधित है और सरकार के आदेश से प्रदत्त हुए हैं, की अनुसार होंगे। किन्तु ऐसे परिवर्तन इस बात के लिए आवश्यक तथा सोचीन हो कि निधि बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा।

(4) उपरोक्त प्राविधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रामपुर रजा पुस्तकालय पर प्रवृत होने पर सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 में जहां कहीं शब्द "कार्यालय का प्रधान या विभाग का प्रधान" आया है उसका अर्थ होगा निदेशक और उपरोक्त नियमावली में जहां कहीं शर्तें सरकार का विभाग है उसका अर्थ है, बोर्ड। प्रतिकूल प्रविष्टियों पर दिए गए प्रत्यावेदनों पर बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

5. (अ) सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली 1960 में ऐसा होते हुए भी निधि का समस्त अंशदान तथा धन-राशि भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित किसी बैंक जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो, के अलग खाते में फिक्स्ड डिपाजिट में निधि के नाम रखे जाएंगे।

(ब) बैंक खाता, निदेशक द्वारा संचालित किया जाएगा।

(स) ऐसी कोई भी धनराशि जिसके निकट भविष्य में तुरन्त उपयोग होने की संभावना न हो बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करके फिक्स्ड डिपाजिट या अल्पकालीन सावधि जमा खाते में स्टेट बैंक आफ इण्डिया या बोर्ड की बाहरी किसी सूचक पत्र में सम्मिलित बैंक में जमा करा दी जाएगी या निधि के नाम परिषद् द्वारा दिए गए निर्देशानुसार लाभकर्ता निधि अनुसार लगाई जाए किन्तु यह कार्य केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार के ट्रस्ट निधियों के लिए लागू नियमानुसार अनुमोदित हो।

36. पेंशन :—केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन राशिकरण) नियम 1981 पेंशन (पेंशन/पारिवारिक पेंशन, असाधारण पेंशन) राशिकरण के अंतर्गत समय-समय पर संशोधित हुए हों, बोर्ड के कर्मचारी इन नियमों के अनुसार अंशदान के पात्र होंगे।

(2) उक्त प्राविधानों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, "कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष", जहां भी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के प्रयुक्त का हो, का अभिप्राय निदेशक और शब्द "शासकीय विभाग" का अर्थ परिषद् होगा।

स्पष्टीकरण :—(क) महंगाई भत्ते की ही धनराशि, पेंशन की परिलब्धियों के लिए गणित की जाएगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर आदेशित होगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अपने कर्मचारियों के लिए प्रदत्त सामान्य आदेश पेंशन हेतु स्वतः ही लागू नहीं होंगे।

(ख) महायता या तदर्थ सहायता जो भी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पेंशनर्स को उस सीमा तक तथा तिथि से देय होगा, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर पेंशनर्स के लिए स्वीकृत होगा जिस सीमा तक परिषद् समय समय पर आदेश देगी।

3. (अ) उप नियम (4) में कि एतद्विधानों के अधीन बोर्ड के समस्त कर्मचारी, जिन पर यह नियम लागू होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत भविष्य निधि, पेंशन, अंशदान तथा सेवानिवृत्ति लाभ पाने हेतु पात्र समझे जाएंगे ।

(ब) यह नियम प्रभावी होने की तिथि से खंड "अ" के अधीन भविष्य निधि पेंशन अंशदान और दूसरे सेवा निवृत्ति लाभ अथवा अन्य मामले जिन पर यह नियम प्रभावी होते हैं, लाभ पाने वाले कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की सदस्यता, निधि सहित उपादान योजना, सामान्य भविष्य निधि सहित पेंशन, उपादान, सिगुनी लाभ योजना अथवा अन्य विनियमों और योजनाओं के लाभ से पंचित हो जाएंगे ।

(स) ऐसे कर्मचारीगण, जिन पर नियम 35 व 36 प्रभावी होता है, कि अंशदायी भविष्य निधि या सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के खाते में समाधान इन नियमों के प्रभावी होने के दिनांक को रामपुर रजा पुस्तकालय के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में विनियम 35 के अधीन ब्याज सहित स्थानान्तरित करा दिए जाएंगे । दूसरी समस्त धनराशियां आवश्यक लाभ सहित जिनके लिए कर्मचारी इन नियमों के प्रभावी होने के दिनांक से पूर्व अधिकृत था अन्य साथ-साथ सेवा योजक द्वारा अंशदायी निर्वाह निधि का अंशदान उस पर अंकित ब्याज सहित समाप्त हो जाएंगे और बोर्ड द्वारा पुनः ग्रहण किए जाएंगे ।

4 (अ) ऐसा कर्मचारी जो बोर्ड के अधीन मौलिक रूप से यह नियम प्रभावी होने के दिनांक को स्थाई पद पर कार्यरत होगा, अंशदायी निर्वाह निधि सहित उपादान योजना अथवा अन्य नियम जिसके अधीन रामपुर रजा पुस्तकालय अधिष्ठानीय नियम 1961 के अधीन मिलने वाले लाभ जारी नहीं रख सकेगा जिनके लिए वह यह नियम प्रभावी होने के दिनांक को पात्र था ।

(ब) जिस कर्मचारी की सेवाएं परस्पर सहमति और शर्तों के साथ करार पर ली गई हैं और सरकारी सेवा से निवृत्ति के बाद तथा वह अतिरिक्त पेंशन के अतिरिक्त एक निश्चित धनराशि इन नियमों के प्रभावी होने के दिनांक से ले रहे हैं । पहले की तरह ही अंशदायी निर्वाह निधि सहित उपदान योजना अथवा सेवा निवृत्ति से संबंधित अन्य वे सभी लाभ पाते रहेंगे जोकि इन नियमों के प्रभावी होने की तारीख को पा रहे थे ।

(स) उक्त धारा (अ) के अधीन विकल्प इन नियमों के प्रभावी होने के दिनांक से अथवा कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तिथि से जो भी पहले हो, से तीन मास के अंदर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ।

(द) निदेशक द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अपना विकल्प लिखित रूप में निदेशक के नाम हो जिस पर वे निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए हों और कर्मचारी की सेवा पुस्तिका एवं अन्य सेवा संबंधी रिकार्ड में हो इस प्रकार यह एक बार दे दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।

(य) जो कर्मचारी सेवा में हैं और विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है वह पूर्ण रूप से वर्तमान नियम लागू होने के दिनांक से वर्तमान नियमों के अधीन ही कार्यरत समझा जाएगा ।

37. अनुशासन-दण्ड, अपीलें तथा पुनः विचार :—

1. बोर्ड के कर्मचारीगण, केन्द्रीय सिविल सर्विस (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 जो समय-समय पर अनुशासन दण्ड निर्धारण अपीलों तथा पुनः विचार के विषय में संशोधित हैं, के अधीन रहेंगे ।

2. (अ) कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी या कोई भी उसे वरिष्ठ अधिकारी जिसके अधीन वह कर्मचारी हो या पांचवीं अनुसूची में दिया निर्दिष्ट अधिकारी, कर्मचारी को निलंबित कर सकता है ।

(क) जहां उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है या लंबित है, या

(ख) उपरोक्त प्राधिकारी की राय में उसने स्वयं को राज्य की सुरक्षा के हित में हानिकारक गतिविधियों में व्यस्त कर रखा है ।

(ग) उसके विरुद्ध दण्डनीय अपराध के विषय में बोर्ड द्वारा तफतीश इन्क्वायरी या जांच विचाराधीन हो ।

यदि निलंबन आदेश नियुक्ति प्राधिकारी के पद से निम्न अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, तो ऐसे अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को उन परिस्थितियों के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाएगी जिनके अंतर्गत निलंबन आदेश जारी किए गए हैं ।

स्पष्टीकरण :—अनुशासकीय प्राधिकारी का अर्थ उस सक्षम अधिकारी से है, जो उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट विनियम के अंतर्गत दण्ड दे सकता हो ।

(ब) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश के अंतर्गत एक कर्मचारी निलंबित समझा जाएगा ।

(क) वह चाहे किसी भी दण्डनीय अपराध के अंतर्गत या अन्यथा वह 48 घंटे से अधिक बंदी रहा हो । वह बंदी होने की तिथि से निलंबित माना जाएगा ।

(ख) दण्डित होने की तारीख से अगर वह किसी दण्ड के अवसर पर 48 घंटे से अधिक अवधि में बंदी रहा हो या किसी अपराध में दण्डित हुआ हो। यदि वह ऐसे दण्डनीय अपराध के कारण पद से हटाया न गया हो, या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त न कर दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण :—नियम के खंड (2) के अधीन 48 घंटों की अवधि, बंदी बनाए जाने के बाद बंदीगृह में दिन के समय से मानी जाएंगी । इसके लिए जल का वह समय जो लगातार नहीं है, भी सम्मिलित किया जाएगा ।

(स) जब कभी किसी कर्मचारी को बरखास्त किए जाए सेवा मुक्त किए जाने, सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश को अपील या पुनः विचार के अंतर्गत इन नियमों के अधीन रद्द किए जाते हैं और बाद में आगामी जांच के लिए दे दिया जाता है या अन्यथा निर्देश दिया जाता है तो कर्मचारी को निलंबन, पद से हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि, आगे भी निलंबन की मूल तिथि से ही आगामी आदेशों तक प्रभावी समझी जाएगी ।

(द) यदि न्यायिक प्रक्रिया और अनुशासनिक अधिकारी द्वारा कर्मचारी को बरखास्त किए जाने या पद से हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के दिए गए दण्ड को रद्द करने, निसप्रभावी करते हुए बाद की परिस्थितियों

वश कर्मचारी पर लगाए गए अभियोगों की विरुद्ध पुनः जांच करने के आदेश दिए जाते हैं तो कर्मचारी को उस प्रकार के आदेशों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किए गए निलंबन की मूल तिथि से आगामी आदेशों तक बरखास्त निलंबित या अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त समझा जाएगा ।

(घ) (क) निलम्बन आदेश इस नियम के अंतर्गत उस समय तक प्रभावी रहेगा जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जायेगा ।

(ख) जब कोई कर्मचारी किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही से किसी अन्य कारण से निलम्बित चल रहा है और इसी निलम्बन के दौरान उचित अधिकारी इसे दुबारा से लिखित कारण बताकर निलम्बित कर देते हैं तो कर्मचारी तब तक निलम्बित रहेगा जब तक वह निलम्बन आदेश या कार्रवाई से खत्म न कर दी जाये ।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया निलम्बन आदेश किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ प्राधिकारी, जिसने ऐसे आदेश दिये हों, द्वारा संशोधित अथवा निरस्त किया जा सकता है ।

3. पर्याप्त कारणों तथा हित को दृष्टिगत रखते हुये निम्न दण्ड उपनियम में किये गये प्राविधानुसार कर्मचारी पर किये जा सकते हैं ।

छोटे दण्ड :—

(क) निन्दा प्रस्ताव पास करके ।

(ख) पदोन्नति रोकना और या वेतन वृद्धि रोका जाना ।

(ग) बोर्ड के आदेशों की अपेक्षा अथवा अवहेलना किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारी द्वारा बोर्ड को पहुंचाई गयी आर्थिक हानि के फलस्वरूप कर्मचारी के वेतन से हानि की पूर्ण धनराशि अथवा किसी भाग की प्राप्ति करना ।

बड़े दण्ड :—

(घ) किसी निश्चित अवधि के लिए वेतनमान में मिल रहे स्तर में कटौती करना तथा स्पष्ट निर्देश देना कि, कर्मचारी इस कटौती के समय में वेतन वृद्धि पाने का पात्र होगा अथवा नहीं या ऐसी अवधि की समाप्ति पर इस कटौती का प्रभाव कर्मचारी को वेतनमान में मिलने वाली अगली वेतन वृद्धियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ।

(ङ) वेतनमान में कमी, पद क्रम या पद में पदावनति जिससे साधारणतया कर्मचारी को पदोन्नति पद क्रम अथवा पद पर रोक होगी जब तक कि पद क्रम तथा पद के प्रतिपादित होने के आदेश नहीं होते और जिसका प्रभाव कर्मचारी की वरिष्ठता और वेतन पर भी उस समय तक पड़ेगा जब तक कि ऐसे प्रतिपादन के आदेश न हों ।

(च) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ।

(छ) सेवा से हटाया जाना या पदमुक्त किया जाना ।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के अंतर्गत दण्ड का प्रभाव निम्न दशाओं में नहीं होगा, यदि —

(क) कर्मचारी द्वारा उसके धारण पद से संबंधित नियमानुसार नियुक्ति होने पर आदेशानुसार विभागीय परीक्षा में सफल न होने के फलस्वरूप वेतन वृद्धि रोकी गई हो ।

(ख) धारित पद पर वेतनमान में उल्लिखित दक्षता रोध कर्मचारी की अक्षमता-वश पार करने की अनुमति न दी गई हो ।

(ग) मौलिक पद अथवा स्थानापन्न पद से पदोन्नति के लिये कर्मचारी के वेतनमान आदि को दृष्टिगत रखते हुये पदोन्नति न की गई हो ।

(घ) उच्च वेतन क्रम में स्थानापन्न रूप से कार्यरत कर्मचारी को उसके पद या वेतनमान के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से विचारोपरान्त अक्षम पाया गया हो तो उस समयधारित पद से नीचे के पद पर लाया जा सकता है ।

(ङ) कोई कर्मचारी किसी दूसरे पद पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त हो परन्तु उसकी नियुक्ति आदेश या परिवीक्षा अवधि की शर्तों के अनुसार अथवा नियमानुसार अथवा परिवीक्षा अवधि की नियुक्ति आदेशों के उल्लेखानसार शर्तों को परा न करने के अन्तर्गत उसके मल पद क्रम अथवा पद का वेतनमान में प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो ।

(च) कोई कर्मचारी जिसकी सेवायें उसके सेवाशोजक, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण से उधार ली गई हों से मांगी गई हों और वह वापस आ गया हो ।

(छ) अधिवर्षता सेवा निवृत्ति नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार समय के पूर्व निवृत्ति कर दिया गया हो ।

(ज) सेवा समाप्ति :—

(अ) कर्मचारी परिवीक्षा काल में नियुक्ति हो और उसकी सेवायें उसके परिवीक्षा काल हेतु नियुक्ति आदेश की शर्तों या हेतु प्रभावी नियमानुसार समाप्त की गई हों ।

(ब) इन नियमों के दिये गये प्राविधानसार अस्थाई कर्मचारी की सेवायें समाप्त की गई हों ।

(स) किसी करार के अन्तर्गत कर्मचारी की सेवायें समाप्त की गई हों ।

4. (क) कोई उप नियम (3) के अन्तर्गत दण्ड दे सकता है ।

(ख) खण्ड (अ) में उल्लिखित प्राविधानों को बिना प्रभावित किये, किन्तु खण्ड (ब) में उल्लिखित प्राविधानसार उपनियम (3) के अन्तर्गत बोर्ड में सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी इस नियम के अधीन कार्यरत होंगे यदि अधिसूची 6 में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अथवा बोर्ड द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेशों में उल्लेख न किया गया हो ।

(ग) इस नियम में ऐसा होते हुए भी उपनियम (3) के खण्ड "घ" से "छ" में उल्लिखित कोई भी दण्ड नियुक्त प्राधिकारी के अधीनस्थ द्वारा लागू नहीं किये जायेंगे ।

5. (अ) बोर्ड अथवा अन्य अधिकारी जिसको सामान्य अथवा विशेष अधिकार प्राप्त हो निम्न कार्य कर सकता है ।

(क) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलाना ।

(ख) सक्षम अधिकारी जो उपनियम (3) के अंतर्गत दण्ड का अधिकारी है, द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश देना ।

(ब) इन नियमों के अन्तर्गत सक्षम अनुशासनिक अधिकारी उप-नियम (3) के खण्ड "क" से "ग" के प्राविधानुसार दण्ड दे सकता है । ऐसा होते हुये भी दण्डाधिकारी बाद में कोई भी दण्ड देने हेतु सक्षम नहीं है ।

6 (क) उप-नियम (3) के खण्ड "घ" से "छ" तक में प्राविधानित दण्ड दिए जाने के आदेश इन नियमों के अनुसार निम्न कार्य विधि के पूर्व नहीं दिये जा सकते ।

(ख) जहां कहीं भी अनुशासक अधिकारी का मत यह है कि कर्मचारी के विरुद्ध दुराचार के अभ्यारोपण और दुर्व्यवहार की वास्तविकता के आधारों हेतु जांच कराई जाये तो वह स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त अधिकारी के माध्यम से वास्तविकता की जांच करा सकता है । जब अनुशासक अधिकारी ऐसी जांच स्वयं करता है तो जांच प्राधिकारी को कोई संदर्भ देने का अर्थ अनुशासक अधिकारी को संदर्भ किया जाना है ।

(ग) इन नियमों के अधीन जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच प्रस्तावित होगी तो अनुशासक अधिकारी लिखित रूप में ऐसा करने और उसके दुराचार एवं दुर्व्यवहार का स्पष्ट उदधरण सहित उल्लेख करते हुए उसके विरुद्ध रचित कार्यवाही किए जाने की सूचना देगा तथा कर्मचारी को अपने बचाव हेतु प्रत्यावेदन आदि प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा ताकि वह प्रस्तावित अभ्यारोपण की वास्तविकता को स्पष्ट कर सके ।

(घ) (अ) कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में दिया गया प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर अनुशासक अधिकारी ऐसे अभ्यारोपों की जांच स्वयं कर सकता है कि आरोप सिद्ध होना है या नहीं अथवा यदि वह आवश्यक समझता है तो खण्ड (2) के अधीन किसी को तदर्देश्य की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और जहां आरोपित अनुच्छेद कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में अपने बचाव संबंध स्पष्टीकरण में स्वीकार किये गये हों अनुशासक अधिकारी अपना निर्णय आरोप-वार, जैसा भी उचित समझे लिखेगा और खण्ड "झ" में दिए गए निर्देशानुसार कार्य करेगा ।

(ब) यदि कर्मचारी द्वारा अपना बचाव पत्र प्रदान करने पर प्रस्तुत नहीं किया जाता तो अनुशासक अधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है अथवा खण्ड "ख" के अधीन इस उद्देश्य हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है ।

(ङ) जांच अधिकारी अपनी अभ्यारोपों से संबंधित उपपत्ति अनुशासक अधिकारी को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत बचाव पत्र सहित वापस करेगा ।

(च) कर्मचारी जिसको आरोप पत्र की एक प्रति मिल चुकी है, अपना बचाव पत्र निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व प्रस्तुत नहीं करता है या जांच अधिकारी के समक्ष निर्देशानुसार व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहीं होता है अथवा वह जांच अधिकारी के आदेश इन नियमों के प्राविधानुसार मानने से इनकार करता है तो जांच अधिकारी एक तरफा जांच कर सकता है ।

(छ) (अ) जहां कहीं सक्षम अनुशासक अधिकारी उपनियम (3) के खण्ड "क" से (3) के अंतर्गत प्रस्तावित दण्ड दे सकता है वह उप नियम (3) के खण्ड "घ" से "छ" में निर्धारित दण्ड देने हेतु प्राधिकृत नहीं होगा, भले ही उसने आरोपों की जांच स्वयं की हो अथवा किसी जांच अधिकारी के माध्यम से यदि नियुक्ति जांच अधिकारी का मत है कि उप नियम (3) के खण्ड "घ" से "छ" के प्रस्तावित दण्ड कर्मचारी को दिये जाने चाहिये तो वह अपनी जांच आख्या समस्त पत्रों सहित ऐसे अनुशासक अधिकारी को अपनी उपपत्ति सहित भेजेगा तो बाद में उल्लिखित दण्ड देने हेतु सक्षम होगा ।

(ब) अनुशासक अधिकारी जिसको इस प्रकार रिकार्ड अग्रेषित दिये जाते है वह इस जांच आख्या में प्रस्तुत उदधरणों के आधार पर कार्य कर सकता है । यदि उसका मत है कि न्याय हेतु अग्रिम जांच आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकता है और कर्मचारी को ऐसे दण्ड दे सकता है जो उसे इन नियमों के अधीन उचित समझता हो ।

(ज) जांच आख्या के निष्कर्ष की रिपोर्ट तैयार कर अनुशासक अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी ।

(झ) (अ) अनुशासक अधिकारी यदि वह स्वयं जांच अधिकारी है, कारणों को लिखित रूप में उल्लेखित करते हुए पूर्ण यदि जांच अधिकारी को जांच आख्या आगे और जांच करने के उददेश्य से भेज सकता है और पुन: आख्या मंग सकता है । जांच अधिकारी नियमों के प्राविधानसार यथा संभव जांच कर सकता है ।

(ब) अनुशासक अधिकारी, यदि जांच अधिकारी की उपपत्ति से सहमत नहीं है तो वह असहमति का स्पष्टीकरण उल्लिखित करते हुये अपनी उपपत्ति ऐसे अभ्यारोप के सम्बन्ध में दे सकता है यदि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है ।

(स) यदि अनुशासक अधिकारी, वाद की उपपत्ति या किसी अभ्यारोप के संबंध में समझता है कि उप नियम (3) के खण्ड "क" व "ग" के अंतर्गत कर्मचारी को दंडित किया जाये तो वह ऐसे दण्ड कर्मचारी को दे सकता है ।

बशर्ते कि निदेशक के संबंध में जांच आख्या अनुशासक अधिकारी द्वारा भारत सरकार को मार्ग दर्शन हेतु भेजी जाएगी, और निदेशक पर दण्ड लागू करते समय ऐसे मार्ग दर्शन पर पूर्ण ध्यान दिया जायेगा ।

(द) "1" यदि अनुशासक अधिकारी प्रस्तुत की गई उपपत्ति या अभ्यारोपण के किसी खण्ड के संबंध में समझता है कि उप नियम (3) के खण्ड "ख" से "छ" के अंतर्गत कर्मचारी दण्डित किया जाए, तो वह ऐसा कर सकता है ।

(अ) कर्मचारी को जांच आख्या की प्रति और आरोप धार उपपत्ति की प्रति, या जहां जांच अधिकारी नियुक्त हुआ हो तो उसकी जांच आख्या तथा आरोप उपपत्ति की प्रति दी जायेगी । तथा स्पष्ट कारण का उल्लेख किया जायेगा कि जांच अधिकारी की संस्तुति से किस कारण वश सहमति नहीं हुई है ।

(आ) निदेशक के मामले में, परामर्श की प्रति, या यदि सरकार द्वारा किया गया हो, तथा अनुशासक अधिकारी द्वारा यदि भारत सरकार के परामर्श को स्वीकार नहीं किया गया है, तो संक्षिप्त विवरण जिसमें ऐसे परामर्श को स्वीकार किए जाने के कारण का उल्लेख होगा, की एक प्रति निदेशक को प्रदान की जायेगी ।

(स) कर्मचारी को एक नोटिस जिसमें उस पर लागू किये जाने वाले प्रस्तावित दण्डों का उल्लेख होगा, दिया जायेगा और उसमें अनुदेशित होगा कि यदि कर्मचारी इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर अपना उत्तर देते हुये अपना प्रत्यावेदन नहीं प्रस्तुत करेगा तो यह समझा जायेगा कि वह प्रस्तावित दण्डों से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर है । तथा इस नियम के अनुसार सम्पन्न की गई जांच से पूर्णतया सहमत है ।

"2." तदुपरान्त अनुशासक अधिकारी, कर्मचारी के प्राप्त प्रत्यावेदन पर यदि आवश्यक हो, विचार करेगा तथा उसे खण्ड "क" के अधीन दिये जाने वाले दण्ड को सुनिश्चित करेगा और तदनुसार ऐसे आदेश निर्गत करेगा जो वह उचित समझता हो ।

7. खण्ड (झ) के उप खण्ड "ब" (नियम-6) के प्राविधानों के अधीन नियम (3) के खण्ड "क" से "ग" के निर्धारित कोई भी दण्डात्मक आदेश निर्गत नहीं किए जाएंगे जब तक कि :—

(अ) कर्मचारी को उसके दुराचरण या दुर्व्यवहार के लिए उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही तथा आधारों की लिखित सूचना उसे प्रस्तावों के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रस्तावित किया जाएगा ।

(ब) प्रत्यावेदन यदि कोई हो, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर खण्ड (अ) के अधीन विचार किया जाएगा ।

(स) कर्मचारी के दुराचार तथा दुर्व्यवहार के प्रति प्रत्येक अनुच्छेद पर उपपत्ति लिखी जाएगी ।

(द) निदेशक के मामले में भारत सरकार से परामर्श किया जाएगा ।

8. अनुशासक अधिकारी के आदेश कर्मचारी को सूचित किए जाएंगे ।

9. (1) यदि किसी वाद में दो या अधिक कर्मचारीगण का संबंध है तो परिषद या अन्य सक्षम अधिकारी, जो सेवाओं से हटाने व दण्ड दे सकता है, उन सब कर्मचारियों के विरुद्ध समान अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश दे सकता है ।

नोट :—यदि कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने के आदेश निर्गत करने वाला अधिकारी भिन्न है तो अनुशासनिक कार्यवाही सामान्य रूप से किए जाने के आदेश ऐसे अधिकारी से उच्चाधिकारी द्वारा दूसरों की सहमति से निर्गत किए जायेंगे ।

(2) ऐसे आदेशों में निर्दिष्ट किया जाएगा :—

(क) कौन अधिकारी सामान्य रूप से की जाने वाली कार्यवाही के लिए अनुशासक अधिकारी का कार्य करेगा ।

(ख) उप नियम (3) के अंतर्गत दण्ड निश्चित करने वाला सक्षम अनुशासक अधिकारी कौन होगा ।

(ग) क्या इस नियम के निर्दिष्ट विधि का परिपालन, संचालित कार्यवाही में होगा ।

10. इस नियम में ऐसा होते हुए भी सम्मिलित है कि :—

(क) जहां कोई व्यक्ति पद से हटा दिया जाता है, सेवा से हटाया जाता है, अथवा आचरण के आधार पर उसको आपराधिक आरोप के अंतर्गत पदावनति की जाती है, या

(ख) अनुशासक अधिकारी वाद की परिस्थितियों पर विचारोपरान्त ऐसे आदेश पारित करता है जो वह उचित समझे यदि वह लिखित कारणों से सन्तुष्ट है और वह समझता है कि पर्याप्त कारणों के संदर्भ में उन नियमों को प्राविधान के अनुसार अधीन जांच किया जाना संभव नहीं है ।

11. 1. जब एक कर्मचारी की सेवायें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत संगठनों से ली गई हैं (जिनको नियमानुसार अधिगृहित अधिकारी कहा जाएगा) तो अधिग्रहित अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी का अधिकार कर्मचारी को निलम्बित करने, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु अनुशासक अधिकारी के अधिकार प्राप्त होंगे ।

बशर्ते कि अधिग्रहणाधिकारी इसकी सूचना ऐसे अधिकारी को देगा जिसने कर्मचारी की सेवाएं अर्पित की हों (जिसको इन नियमों के अधीन अर्पण करने वाला अधिकारी कहा जाएगा) तथा उन परिस्थितियों का उल्लेख करेगा जिनके कारण कर्मचारी को निलम्बित करना अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना (जैसा भी हो आवश्यक है ।

2. कर्मचारी के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही की उपपत्ति के प्रकाश में :—

(क) यदि अधिग्रहण अधिकारी समझता है कि उप नियम (3) के खण्ड "क" से "ग" के अधीन निर्दिष्ट दण्ड कर्मचारी को दिए जाने चाहिए, तो वह कर्मचारी को अर्पित करने वाले अधिकारी के परामर्श से जो उचित समझे कर सकता है ।

बशर्ते कि अधिग्रहण अधिकारी व अर्पित करने वाले अधिकारी के मतों में विरोधाभास होने की स्थिति में कर्मचारी की सेवायें कर्मचारी को अर्पित करने वाले अधिकारी की इच्छा पर उसकी सेवाएं पुर्नस्थापित की जा सकती हैं ।

(ख) यदि कर्मचारी को मांगने वाला अधिकारी समझता है कि कर्मचारी को उप नियम (3) के खण्ड "घ" से "छ" के अधीन दण्ड दिया जाना चाहिए तो वह कर्मचारी को अर्पित करने वाले अधिकारों की इच्छा पर जांच संबंधी कार्यवाही करने हेतु वाद भेज देगा यदि वह अनुशासक अधिकारी है तो वह उचित आदेश जो आवश्यक समझता हो पारित कर सकता है अथवा यदि वह अनुशासक अधिकारी नहीं है तो प्रकरण अनुशासक अधिकारी उचित आदेश पारित करेगा ।

किन्तु अनुशासक अधिकारी ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व उप नियम (6) के खण्ड (झ) के उप खण्ड (घ) के निर्देशों का परिपालन करेगा ।

12. (अ) मांगे गए कर्मचारी के विरुद्ध जब अनुशासनिक कार्यवाही या उसके निलम्बन आदेश निर्गत किए जाते हैं तो अर्पित करने वाले अधिकारी को उन परिस्थितियों की सूचना दी जाएगी जिनके अंतर्गत निलम्बन के आदेश अथवा अनुशासनिक कार्यवाही, जैसी भी स्थिति हो करना आवश्यक होगा ।

(ब) कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उपपत्तियों के प्रकाश में की जाएगी :—

(क) यदि दण्डाधिकारी समझता है कि उप नियम (3) के खण्ड "घ" से "छ" में प्राविधानित दण्ड दिए जाना चाहिए तो कर्मचारी की सेवाओं का पर्नस्थापन अर्पित करने वाले प्राधिकारी पर निर्भर रहेगा और दण्डाधिकारी उसकी जांच रिपोर्ट और आवश्यक कार्यवाही, जो वह उचित समझता हो, कर्मचारी को अर्पित करने वाले अधिकारी को प्रेषित करेगा और

(ख) यदि दण्डधिकारी समझता है कि कोई दूसरा दण्ड कर्मचारी को दिया जाना चाहिए तो वह ऐसा कर्मचारी को अर्पित करने वाले प्राधिकारी से परामर्श उपरान्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह आवश्यक समझता हो ।

किन्तु कर्मचारी को अर्पित करने वाले प्राधिकारी तथा दण्डाधिकारी के मत में विरोधाभास होने की स्थिति में कर्मचारी की सेवाओं को पुर्नस्थापन कर्मचारी को अर्पित करने वाले अधिकारी पर निर्भर रहेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उप नियम में अर्पित करने वाले अधिकारी का अभिप्राय उस अधिकारी से होगा जिसने मांगे गए कर्मचारी की सेवाएं बोर्ड की इच्छा से स्थापित की हैं ।

13. अपील एवं पुनरावलोकन :—1. इस नियम में प्राविधानानुसार कोई अपील निम्न परिस्थितियों में मान्य नहीं होगी :—

(क) यदि आदेश बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं ।

(ख) अन्तःकालीन प्रकृति या पद क्षेप सहायक प्रकृति के आदेश अथवा निलम्बन आदेश को छोड़ कर अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश हों ।

(ग) कोई भी आदेश जो जांच अधिकारी ने जांच के अंतर्गत किए हों ।

2. ऐसे आदेश जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है । खण्ड (क) के अधीन कोई कर्मचारी निम्न समस्त या किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :—

(क) उप नियम (2) के अधीन निलम्बन आदेश किए गए हों ।

(ख) उप नियम (3) के अधीन दण्डात्मक आदेश लागू किए गए हों भले ही अनुशासक अधिकारी या अपील से सम्बन्धित अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा किए गए हों ।

(ग) उप नियम (3) के अंतर्गत दण्ड बढ़ाए जाने वाले आदेश लागू किए गए हों ।

(घ) ऐसे आदेश जो :—

(अ) वेतन, भत्ते, पेन्शन अथवा नियमानुसार सेवा की शर्तों के अथवा समझौते के लिए हानिकारक हो, इनके अनुकूल न हो, इनसे भिन्न हों ।

(ब) ऐसे नियमों या करार की व्यवस्थाओं की हानियों की स्पष्ट रूप से बताता हो ।

(ङ) आदेश :—

(अ) वेतनमान में अलिखित दक्षता रोध अयोग्यता के आधार पर रोकी गई हों ।

(ब) छोटे पद से बड़े पद में काम करते हुए दुबारा से उसी पहले छोटे पद पर तैनात कर दिया हो, अथवा अन्य स्थिति में दण्ड दिया गया हो ।

(स) सेवा निवत्ति के लाभ को कम किया गया हो, या रोका गया हो या सेवा निवत्ति पर देय के अधिकतम लाभ (जो नियमानुसार देय हो) रोका गया हो ।

(ङ) निलम्बन भत्ता तथा अन्य भत्ते निलम्बन अवधि हेतु निश्चित किए गए हों या ऐसी अवधि अथवा कोई भाग जिसे निलम्बन काल समझा गया हो ।

(या) वेतन और भत्तों की सुनिश्चितता .—

(अ) निलम्बन काल हेतु या

(ब) निम्न पद क्रम अथवा पद, वेतनमान अथवा वेतनमान के स्तर में की गई कमी की अवधि से उसके बहाल होने तक या पद क्रम अथवा पद की गढ़ाई गई अवधि तक या

(स) निलम्बन, पदच्युति, सेवा के हटाए जाने, अनिवार्य सेवा निवृत्ति या निम्न पद क्रम, पद, वेतनमान या वेतनमान के स्तर में की गई कमी की तिथि से बहाली, पद क्रम अथवा पद के पुर्नस्थापन की तिथि तक की अवधि को निजी उद्देश्य हेतु कार्य काल माना गया हो ।

स्पष्टीकरण :—इस उप नियम के अधीन,

(क) "कर्मचारी" शब्द में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसकी सेवाएं बोर्ड से समाप्त हो गई हों ।

(ख) शब्द सेवा निवृत्ति लाभ में अंशदायी निर्वाह निधि, उपादान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सम्मिलित है ।

14. (अ) कोई भी अपील मूल आदेश के अंतर्गत होगी :—

(क) निदेशक द्वारा अध्यक्ष की ओर

(ख) अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की ओर

(ब) कोई भी अपील जब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि यह आदेश की प्रति अपीलकर्ता को हस्तगत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत न की गई हो ।

किन्तु अपील अधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता के पास समय से अपील प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं ।

(स) (क) प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के नाम से अलग अलग अपील करेगा ।

(ख) अपील उसी अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जो अपील प्राप्त करने का अधिकारी है । अपील की एक प्रति कर्मचारी द्वारा उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसके आदेशों के विरुद्ध अपील की गई है। अपील में सम्पूर्ण सामग्री, विवरण पत्र तथा तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे जिस पर अपील आधारित हो, इसमें अनादरणीय और अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा तथा यह स्वयं में सम्पूर्ण होगी ।

(ग) अधिकारी, जिसके आदेशों के विरुद्ध अपील की गई है, अपील की प्रति मिलने पर अविलम्ब ही अपनी समीक्षात्मक आख्या समस्त सम्बन्धित रिकार्ड सहित अपील अधिकारी को बिना निर्देश के प्राप्त होने की प्रतीक्षा होने की प्रतीक्षा किए, भेज देगा ।

(द) अपील अधिकारी द्वारा प्रत्येक अपील पर ऐसे विचार करेगा, जो वह उचित समझें और परिस्थितियों के अनुसार बाद पर -आदेश निर्गत करेगा ।

किन्तु आदेश में दण्ड बढ़ाए जाने के आदेश तक निर्गत नहीं किए जाएंगे जब तक अपीलकर्ता को अपने प्रत्यावेदन पर दण्ड बढ़ाए जाने से सम्बन्धित आदेश निर्गत करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया जाता ।

15. (1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड किसी भी समय इसके स्वयं अथवा अन्यथा पूर्ण विचार संबंधित अपने आदेश दे सकता है अथवा किसी दूसरे अधिकारी द्वारा इन नियमों के आदेशों से सम्बन्धित जांच सम्बन्धी समस्त रिकार्ड मांग सकता है । और

(अ) आदेश की पुष्टि, आदेश में संशोधन कर सकता है। अथवा निरस्त कर सकता है ।

(ब) आदेशों में दिए गए दण्डों की पुष्टि कर सकता है । दण्ड घटा-बढ़ा सकता है अथवा दिए गए दण्डों को निरस्त कर सकता है । या कोई और ऐसा दण्ड दे सकता है जो दिया न गया हो । या

(स) वाद उस अधिकारी को भेज सकता है जिसने आदेश दिए हों, अथवा किसी अन्य अधिकारी को अग्रिम जांच के लिए, परिस्थितियों पर उचित विचारोपरान्त जैसा भी उचित समझे, हेतु भेज सकता है ।

या

(द) जो उचित समझे आदेश पारित कर सकता है ।

किन्तु दण्ड दिए जाने, बढ़ाए जाने सम्बन्धी कोई भी आदेश सम्बन्धित कर्मचारी को प्रस्तावित दण्डों, दण्ड न बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में नोटिस देकर प्रत्यावेदन दिए जाने का उचित अवसर बोर्ड द्वारा नहीं दिया जाता और यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से भी परामर्श करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है ।

(2) पुनरीक्षण सम्बन्धी कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि :—

(क) किसी भी अपील का निर्धारित समय समाप्त हो गया हो ।

(ख) प्रस्तुत की गई अपील का निस्तारण हो चुका हो ।

(3) अपील पुर्न विचार या पुनरीक्षण किए जाने के प्रार्थना पत्र पर उसी प्रकार विचार किया जाएगा जिस प्रकार नियमों के अधीन अपील पर किया जाता है ।

16. इन विनियम के अंतर्गत प्रत्येक पारित या प्रदत्त आदेश/नोटिस या अन्य कार्यक्रमों की तामील संबंधित कर्मचारी पर कराई जाएगी या उसको रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

17. अहलियत के तौर पर इन विनियम में विनिर्दिष्ट आदेश करने वाला सक्षम प्राधिकारी उचित या पर्याप्त कारणों पर, या पर्याप्त कारण दिखा दिए गए हों तो इन विनियम में विनिर्दिष्ट समय कोई आवश्यक व्यवस्था इन विनियम के अंतर्गत करने या देरी माफी का आदेश पारित कर सकता है ।

18. जब कभी भी निदेशक पर अर्थ दण्ड लगाने के विषय में केन्द्रीय सरकार से परामर्श लिया गया है, तो उस सरकार के परामर्श की प्रतिलिपि, और जबकि ऐसा परामर्श स्वीकार न किया गया हो तो, उसकी भी प्रतिलिपि स्वीकार न करने के संक्षिप्त विवरणों के कारणों की प्रतिलिपि निदरशक को दी जाएगी, जिसके साथ बाद में आदेश करने वाले प्राधिकारी के पारित आदेश की प्रतिलिपि भी होगी ।

38. पूरे समय की सेवा :—(क) पूर्ण समय कम करने वाला कर्मचारी बोर्ड के निर्णय पर होगा तथा उसको विनियोजित कर्तव्य के पालन हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(ग) उप नियम (1) की समानता के पूर्वग्रह के बगैर :—

(1) कर्मचारी को भारत के या भारत से बाहर शिक्षा या निर्देश ग्रहण करने हेतु भेजा जा सकता है ।

(2) कर्मचारी को भारत में किसी भी स्थान पर किसी भी पद जो उसकी नियुक्ति के समय के पद से कम न हो । जब तक उसे विनियम 37 के अंतर्गत दण्डित होने के कारण पद कम न किया गया हो । बोर्ड की सेवा हेतु भेजा जा सकता है ।

(3) कर्मचारी को बाह्य सेवा करने हेतु स्थानान्तरित करके भारत या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है ।

39. निष्ठा शपथ :—प्रथम नियुक्ति पर समस्त कर्मचारीगण भारत के विधान के प्रति निष्ठावान रहने हेतु चतुर्थ खण्ड में निर्धारित प्रपत्र पर शपथ ग्रहण करेंगे । वर्तमान कर्मचारीगण जिन्होंने शपथ नहीं ली है, भी ऐसी ही निष्ठा शपथ ग्रहण करेंगे।

40. सेवा की शर्तें:—(1)उन विनियम से संबंधित बोर्ड की शक्तियां तथा विभिन्न मूल नियम और भारत सरकार के उन नियम अधीनस्थ प्राधिकारी को, जैसा कि सातवें खण्ड मे दिखाए गए है, प्रत्यायोजित कर दिए गए है ।

(2) अधिकारीगण और अन्य कर्मचारीगण की सेवा की वह सेवा शर्तें जिनका इस विनिमय में प्राविधान नहीं है, वही होंगे जो भारत सरकार अधिकारीगणों तथा कर्मचारीगणों पर समय-समय पर लागू होंगे ।

41. अधिप्रमाणिकता :—बोर्ड के समस्त निर्णय और आदेश तथा इसकी स्थाई समितियों की अधिप्रमाणिकरण निदेशक अथवा परिषद् द्वारा निर्देशित किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों द्वारा होगी ।

42. छुट्टियां :—पुस्तकालय वह छुट्टियां मनाएगा जो भारत सरकार विनिर्दिष्ट करती है और ऐसी ही वह छुट्टियां जो बोर्ड द्वारा नियत कर दी गई है ।

43. नियमों में ढील देना :—इन नियमों में किसी अन्य बात के होते हुए भी बोर्ड इस विनियमों के किसी भी ऐसे उपबन्ध को कर्मचारी के मामले में निर्देश कर सकता है जिससे नियमों के उपबंधों से उत्पन्न हुई कठिनाइयों से कर्मचारियों को मुक्ति मिले या वह बोर्ड के हित में हो ।

44. निरस्तिकरण :—(क) इस विनिमय के प्रारम्भ होने की तिथि से रामपुर रजा पुस्तकालय संस्थान स्थापन नियमावली 1961, जिसका बोर्ड द्वारा पालन किया जा रहा है तथा कर्मचारीगण की सेवाओं की स्थिति पर लागू था, समाप्त कर दिया जाएगा । किन्तु इस विनिमय की प्रारम्भ होने की तिथि से वर्तमान कर्मचारी, जो वास्तविक रूप से बोर्ड के अधीन स्थाई पद पर है । उनको पूर्ण रूप से प्रस्तुत रामपुर रजा पुस्तकालय नियमावली 1961 के अधीन जो इन विनियमों के प्रचलन में हों, रहने का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है ।

(ख) विकल्प :—इस विनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से, या इन विनियम के कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने की तिथि से पहले जो भी पहले होगी, प्रस्तुत कर सकता है ।

(ग) यह विकल्प लिखित रूप से होगा और कर्मचारी द्वारा, निदेशक द्वारा, निर्धारित प्रारूप में निर्देशक को भेजी जाएगी जो उस पर हस्ताक्षर करेगा और कर्मचारी की सेवा पुस्तिका या उसके तत्संबंधी अन्य अभिलेखों में प्रविष्टि करवाएगा । एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम होगा ।

(घ) वर्तमान कर्मचारी जो वर्तमान नियमों के अधीन पूर्ण रूपेण बने रहने का विकल्प इन नियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व नहीं प्रस्तुत करेगा, यह इन नियमों के प्रारम्भ होने की तिथि से वर्तमान नियमों के अधीन ही माना जाएगा ।

45. आशंकाओं का निरस्तिकरण :—अगर यह आशंका उत्पन्न हो जाए कि बोर्ड का कौन प्राधिकारी दूसरे प्राधिकारी से उच्चतम है या इन विनियम के किसी उपबंध के समझने में या उसके लागू होने में कोई शंका हो तो इस पर बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा ।

डब्ल्यू एच. सिद्दकी
विशेष अधिकारी अफसर

प्रथम अनुसूची

(विनियम 5 देखें)

लाइब्रेरी के पदों के वर्गीकरण

क्र० स०	वर्ग	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	वर्ग "क" (संशोधन से पूर्व वेतनमान के अनुसार)	निदेशक	रु० 1500–60–1800 (संशोधन पूर्व)	1
2.	वर्ग 'क' (संशोधन से पूर्व वेतनमान के अनुसार)	अपर निदेशक	रु० 800–50–1450	1
		अथवा	(संशोधनपूर्व)	
	वर्ग "ख"	पुस्तकाल्याध्यक्ष	रु० 2200–75–2800–रु०–100–4000	
	वर्ग "ख"	सहायक पुस्तकाल्याध्यक्ष	रु० 1640–60–2600–रु०–75–2900	2
	वर्ग "ख"	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेप्रोग्राफी)	रु० 1640–60–2600–रु०–75–2900	1

1	2	3	4	योग
5.	वर्ग "ख"	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (संरक्षण)	रु० 1640–60–2600–द०–75–2900	1
6.	वर्ग "ग"	तकनीकी सहायक (फोटो)	रु० 1400–40–1800–द०–50–2300	1
7.	वर्ग "ग"	तकनीकी सहायक (संरक्षण)	रु० 1400–40–1800–द०–50–2300	1
8.	वर्ग "ग"	वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक	रु० 1400–40–1800–द०–50–2300	1
9.	वर्ग "ग"	प्रधान लिपिक	रु० 1400–40–1800–द०–50–2300	1
10.	वर्ग "ग"	पुस्तकालय सहायक	रु० 1350–30–1440–40–1800–द०–50–2200	1
11.	वर्ग "ग"	वरिष्ठ श्रेणी लिपिक	रु० 1200–30–1560–द०–40–2040	1
12.	वर्ग "ग"	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	रु० 950–20–1150–द०–25–1600	2
13.	वर्ग "ग"	वरिष्ठ जिल्दसाज	रु० 950–20–1150–द०–25–1500	1
14.	वर्ग "ग"	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर	रु० 950–20–1150–द०–25–1500	1
15.	वर्ग "ग"	जिल्दसाज	रु० 825–15–900–द०–20–1200	1
16.	वर्ग "घ"	पुस्तकालय परिचर	रु० 800–15–1010–द०–20–1150	1
17.	वर्ग "घ"	मैसेंजर	रु० 800–15–1010–द०–20–1150	1
18.	वर्ग "घ"	चौकीदार	रु० 750–12–870–द०–14–940	3
19.	वर्ग "घ"	डस्टर	रु० 750–12–870–द०–14–940	2
20.	वर्ग "घ"	माली	रु० 750–12–870–द०–14–940	1
21.	वर्ग "घ"	फर्राश कम चपरासी	रु० 750–12–870–द०–14–940	3
			योग	31

नोट :—उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संविदाकालीन सफाई कर्मचारी लगाये जा सकते हैं।

द्वितीय

(विनियम 8,9 और

भर्ती

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रकरण पद है अप्रकरण पद	प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सर्विस में (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन नियम 30 के अन्तर्गत स्वीकृत सेवा के वृद्धि हुए वर्षों का लाभांश देय है
1	2	3	4	5	6	6(अ)
1. निदेशक	1	वर्ग 'क' (संशोधन से पूर्व वेतनमान के अनुसार)	रुपये 1500-60-1800 (संशोधनापूर्व)	लागू नहीं होता	आयु 35-45 वर्ष के बीच	हां
2. निदेशक	1	वर्ग "क" (संशोधन से पूर्व वेतनमान के अनुसार)	रुपये 800-50-1450 (संशोधनापूर्व)	लागू नहीं होता	आयु 35-45 वर्ष के बीच	हां
अथवा						
पुस्तकालाध्यक्ष	1	वर्ग "ख" (संशोधनापूर्व)	रुपये 2200-75-2800 द-100-4000	लागू नहीं होता	आयु 25-35 वर्ष के बीच	हां
3. सहायक, पुस्तकालाध्यक्ष (अरबी/फारसी/ उर्दू/संस्कृत/हिन्दी)	2	वर्ग "ख"	रुपये 1640-60-2600 द-75-2900	चयन द्वारा	आयु 25-35 वर्ष के बीच	हां
4. वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रेडियोग्राफी)	1	वर्ग "ख"	रुपये 1640-60-2600-द-75-2900	चयन	25-35 वर्ष की आयु के मध्य	हां

अनुसूची I

12 देखें)

के नियम

प्रत्यक्ष भर्ती हेतु वांछनीय शैक्षिक तथा योग्यताएं	क्या प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएं पद उन्नति किये जाने की दशा में लागू होंगी	भर्ती करने की विधि प्रत्यक्ष भर्ती, पद-उन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा या विभिन्न विधि द्वारा रिक्त पदों के प्रतिशत के अनुसार भर्ती करने की प्रक्रिया	प्रवरण भर्ती द्वारा या पद-उन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने की दशा में उस तिथि से पद-उन्नतियां मानी जायेगी जिससे प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा स्थानान्तरण हुआ हो ।
7	8	9	10
(क) न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अरबी, फारसी, इस्लामिक, भारतीय इतिहास, अथवा उच्च शैक्षिक योग्यताओं के विषय में स्नातकोत्तर (ख) अरबी, फारसी, इस्लामिक, भारतीय इतिहास में पी० एच० डी० हो । (ग) लाइब्रेरी साइंस की डिग्री । (घ) उच्च शैक्षिक स्तर के अन्वेषण प्रकाशित कार्य (ङ) अन्वेषणाध्येता के मार्ग प्रदर्शन करने की योग्यता (च) भारतीय सभ्यता की जानकारी अनुभव : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशासन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव अथवा मार्ग दर्शक अन्वेषण अथवा दोनों	अप्रोज्य	प्रत्यक्ष भर्ती	अप्रयोज्य
(क) अरबी, फारसी, इस्लामिक, भारतीय इतिहास में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में एम० ए० हो । अरबी, फारसी, इस्लामिक/भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट छात्र-वृत्ति (ख) लाइब्रेरी साइंस की डिग्री (ग) शोधध्येताओं की मार्गदर्शक करने की योग्यता हो (घ) भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का ज्ञान अनुभव : प्रशासन अथवा शोधध्येताओं का मार्गदर्शक करने अन्यथा दोनों में कम से कम सात वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती	लागू नहीं होता
(क) कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम० ए०/अरबी/फारसी/इस्लामिक/भारतीय इतिहास अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता इन विषय में (ख) लाइब्रेरी साइंस की डिग्री अनुभव : स्थाई पुस्तकालय में प्रशासन तथा संगठन न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो ।	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती	लागू नहीं होता
(क) स्नातक अथवा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से अरबी/फारसी/संस्कृत/भारतीय इतिहास की समानता प्राप्त डिग्री अथवा इन विषयों में शैक्षिक योग्यता (ख) लाइब्रेरी साइंस की डिग्री अनुभव : किसी स्थाई पुस्तकालय में पांच वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा लिये 50 प्रतिशत तथा पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत	पदोन्नति : कैटालागर को पुराने ग्रेड में कम से कम इस ग्रेड में 5 वर्ष का अनुभव
(क) विज्ञान स्नातक या समकक्ष उपाधि भौतिकी विषय के साथ अनुभव : किसी स्थाई पुस्तकालय में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव	आयु—नहीं शैक्षिक योग्यता—हां	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा असमर्थ रहने पर-सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ऐसे व्यक्तियों से जो केन्द्रीय/प्रादेशिक शासन के अधीन तुलनात्मक पुस्तकालयों में/संग्रहालयों इत्यादि में 5 वर्ष की निरंतर सेवा में हों ।

अ

1	2	3	4	5	6	6(अ)
5. वरिष्ठ तकनीकी (संरक्षण)	1	वर्ग "ख"	रुपये 1640-60-2600-ब-75-2900	चयन	आयु 25-35 वर्ष के मध्य	हां
6. तकनीकी सहायक (फोटो)	1	वर्ग "ग"	रुपये 1400-40-1800-ब-50-2300	चयन	आयु 21-30 वर्ष के मध्य	हां
7. तकनीकी सहायक (संरक्षण)	1	वर्ग "ग"	रुपये 1400-40-1800-ब-50-2300	चयन	आयु 21-30 वर्ष के मध्य	हां
8. वरिष्ठ पुस्तकालय सहायक	1	वर्ग "ग"	रुपये 1400-40-1800-ब-50-2300	चयन	आयु 21-30 वर्ष के मध्य	हां
9. प्रक्षाल लिपिक	1	वर्ग "ग"	रुपये 1400-40-1800 ब-50-2300	चयन	आयु 25-35 वर्ष के मध्य	नहीं
10. पुस्तकालय सहायक	1	वर्ग "ग"	रुपये 1350-30-1440-40-1800-50-2200	लागू नहीं होता	आयु 21-30 वर्ष के मध्य	नहीं
11. वरिष्ठ श्रेणी लिपिक	1	वर्ग "ग"	रुपये 1200-30-1560 ब-40-2040	चयन	आयु 25-35 वर्ष के मध्य	नहीं

6	7	8	9	10
विज्ञान स्नातक अथवा रसायन विषय के साथ समकक्ष उपाधि अनुभव : किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अभिलेख संरक्षण के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वांछनीय : अभिलेख संरक्षण एवं अनुरक्षण में किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र	आयु—नहीं शैक्षिक योग्यता—हां	स्थानान्तरण द्वारा भर्ती यदि ऐसा नहीं है तो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ऐसे व्यक्तियों से केन्द्रीय/राज्य शासन के अधीन पुस्तकालयों/संग्रहालयों आदि में तुलनात्मक पद पर कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो ।	
(क) विज्ञान स्नातक या भौतिकी विषय के साथ समकक्ष उपाधि प्राप्त हो । (ख) फोटोग्राफी में किसी मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त हो । अनुभव : फोटोग्राफी में व्यवसाय परीक्षा में कम से कम एक वर्ष का अनुभव वांछनीय : अनुरक्षण और अभिलेख संरक्षण में किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र प्राप्त हो ।	आयु—नहीं शैक्षिक योग्यता हां	स्थानान्तरण द्वारा भर्ती, यदि ऐसा नहीं है तो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पद स्थानान्तरण द्वारा उन व्यक्तियों से जिन्होंने केन्द्रीय/राजकीय शासन के अधीन पुस्तकालयों/संग्रहालयों में तुलनात्मक पद पर कम से कम तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की हो।	
विज्ञान स्नातक या रसायन विषय के साथ समकक्ष उपाधि अनुभव : किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अभिलेख संरक्षण क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का प्रायोगिक अनुभव वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्था के अभिलेख अनुरक्षण व संरक्षण में प्रमाण पत्र हो ।	आयु नहीं शैक्षिक योग्यता—हां	स्थानान्तरण द्वारा यदि ऐसा नहीं है तो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पद स्थानान्तरण द्वारा उन व्यक्तियों से जिन्होंने केन्द्रीय/राजकीय शासन के अधीन पुस्तकालयों/संग्रहालयों में तुलनात्मक पद पर कम से कम तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की हो ।	
अरबी/फारसी और भारतीय इतिहास में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या इन विषयों में शैक्षिक योग्यता ।	आयु—नहीं शैक्षिक योग्यता—हां	प्रोन्नति द्वारा असमर्थ रहने पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : नियमित पुस्तकालय सहायक ग्रेड में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की हो ।	
हाई स्कूल उत्तीर्ण जो सरकारी विभागों में प्रयोज्य कार्यालय अभिक्रिया, लेखा सम्बंधी नियमों और विनियमों का ज्ञान रखता हो सरकारी कार्यालयों की वरियता प्रदान अनुभव : कार्यालय में प्रशासन और लेखा सम्बन्धी कम से कम 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय : उर्दू हिन्दी और अंग्रेजी टंकण का अच्छा ज्ञान	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा असमर्थ रहने पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : वरिष्ठ श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो । असमर्थ रहने पर कनिष्ठ लिपिक जिन्होंने सात वर्ष की सेवा पूर्ण की हो ।	
(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो (ख) हाई स्कूल या समकक्ष स्तर पर उर्दू/हिन्दी में प्रवीणता (ग) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा । अनुभव : किसी स्थाई पुस्तकालय में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं	प्रत्यक्ष भर्ती	लागू नहीं होना	
(क) शासकीय विभागों में प्रयोज्य कार्यालय प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों तथा अधिनियमों व लेखा कार्य सहित मैट्रिकुलेट (ख) अंग्रेजी/हिन्दी/उर्दू टंकण में 30 शब्द प्रति मि० की गति अनुभव : लिपिकीय कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होना	प्रोन्नति द्वारा असमर्थ रहने पर प्रत्यक्ष भर्ती	प्रोन्नति :— कनिष्ठ श्रेणी के लिपिकों जिन्होंने पांच वर्ष को निरन्तर सेवा ग्रेड में पूर्ण की हो ।	

1	2	3	4	5	6	6(अ)
12. कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	2	वर्ग "ग"	रुपये 950–20–1150–द–25–1500	लागू नहीं होता	आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं
13. वरिष्ठ जिल्दसाज	1	वर्ग "ग"	रुपये 950–20–1150–द–25–1500	चयन	आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं
14. वरिष्ठ पुस्तकालय अनुचारक	1	वर्ग "ग"	रुपये 950–20–1150–द–25–1500	चयन	आयु 18–2[illegible] वर्ष के मध्य	नहीं
15. जिल्दसाज	1	वर्ग "ग"	रुपये 825–15–900–द–20–1200	चयन	आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं
16. पुस्तकालय अनुचारक	4	वर्ग "ग"	रुपये 800–15–1010–द–20–1150	चयन	आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं
17. मेण्डर	1	वर्ग "घ"	रुपये 800–15–1010–द–20–1150	अप्रोज्य	आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं
18. चौकीदार	3	वर्ग "घ"	रुपये 750–12–870–द–14–940	लागू नहीं होता	आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं
19. डस्टर	2	वर्ग "घ"	रुपये 750–12–870–द–14–940	लागू नहीं होता	आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं
20. माली	1	वर्ग "घ"	रुपये 750–12–840–द–14–940		आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं
21 फराश-कम-चपरासी	3	वर्ग "घ"	रुपये 750–12–870–द–14–940	लागू नहीं होता	आयु 18–25 वर्ष के मध्य	नहीं

7	8	9	10
(क) मैट्रिकुलेट अथवा समकक्ष । (ख) अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण में न्यूनतम गति 25 शब्द प्रतिमिनट, उर्दू टंकण में न्यूनतम गति टंकण परीक्षा द्वारा निश्चित होगी ।	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती	अप्रयोज्य
मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण अनुभव :—शासकीय अथवा वाणिज्यक संस्थाओं में पुरानी पुस्तकों, कोमल अभिलेखों, हस्तलिपियों के अनुरक्षण एवं जिल्दसाजी का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव इस क्षेत्र में कुशलता व्यावसायिक परीक्षा द्वारा आंकलित की जायेगी ।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा असमर्थ रहने पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :— जिल्दसाजी के ग्रेड में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो ।
मिडिल स्कूल स्तर का प्रमाण पत्र । अनुभव : किसी स्थाई पुस्तकालय में पुस्तकों, हस्तलिपियों के प्रसार सम्बन्धी कार्य के साथ पुस्तकालय में वाचकों/पाठकों पर ध्यान देने के कार्य में तीन वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा असमर्थ रहने पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :— पुस्तकालय अनुचारक के ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण हो या वर्ग "घ" के पद व ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा
मिडिल स्कूल स्तर का प्रमाण पत्र हो अनुभव : किसी राजकीय या वाणिज्यि संगठन का उच्च श्रेणी में जिल्दसाजी के कार्य का तीन वर्ष का अनुभव हो, कार्य कुशलता का निर्णय व्यवसायिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा ।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा असमर्थ रहने पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	पदोन्नति :— मेन्डर के सुधार के ग्रेड में 3 वर्ष की निरन्तर सेवा या वर्ग "घ" के पद व ग्रेड में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा वांछित अनुभव
(क) मिडिल स्कूल स्तर का प्रमाण पत्र । (ख) हिन्दी व उर्दू भाषाओं का ज्ञान ।	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा असमर्थ रहने पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा	पदोन्नति :— चौकीदार/डस्टर/माली/फराश कम चपरासी के ग्रेड में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा
मिडिल स्कूल स्तर का प्रमाण पत्र हो । अनुभव : पुरानी पुस्तकों एवं पाण्डुलिपियों की मरम्मत और जिल्दसाजी के कार्य का प्रयोगात्मक रूप से कम से कम एक वर्ष का अनुभव, कार्य कुशलता व्यावसायिक परीक्षा द्वारा निर्णित की जायेगी ।	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती	लागू नहीं होता
(क) मिडिल स्कूल स्तर का प्रमाण पत्र हो । (ख) आर्मी/पुलिस/पैरामिलिट्री फोर्स में/होम गार्डों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो ।	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती	लागू नहीं होता
मिडिल स्कूल स्तर का प्रमाण पत्र हो ।	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती	लागू नहीं होता
(क) प्राइमरी स्कूल स्तर प्रमाण पत्र हो । (ख) लानों का रख रखाव/पुष्पों के उगाने की तकनीकी/खाद एवं बीज की जानकारी रखता हो । अनुभव : किसी स्थाई बगीचे के माली का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ।	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती	लागू नहीं होता
प्राइमरी स्कूल स्तर का प्रमाण पत्र हो ।	लागू नहीं होता	प्रत्यक्ष भर्ती	लागू नहीं होता

नोट :—अपर निदेशक का पद विद्यमान कर्मचारी द्वारा रिक्त किये जाने पर समाप्त हो जायेगा । पुस्तकालय अध्यक्ष का पद विद्यमान अपर ग्रेड निर्देशक के पद के रिक्त और समाप्त होने पर भरा जायेगा । विशेष कार्याधिकारी का पद निदेशक की नियुक्ति हो जाने पर समाप्त हो जायेगा इसलिए पुस्तकालय को कुल वर्ग सहित किसी दिये गए समय में 31 रहेगी ।

तीसरी अनुसूची

चयन समिति तथा विभागीय प्रोन्नति समिति का बनाया जाना

(विनियम 8 तथा 9 देखें)

क. चयन समिति —जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जायेंगे

(अ) वर्ग "क" के पद हेतु —

(1) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	—अध्यक्ष
(2) भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	—सदस्य
(3) बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा मनोनीत किया गया सदस्य	—सदस्य
(4) चयन समिति अध्यक्ष के अनुमोदनाधीन विषय विशेषज्ञ	—सदस्य
(5) उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय का एक अधिकारी जिसका मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा	—सदस्य
(6) निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में एक्ट की धारा 24 के अधीन बोर्ड द्वारा मनोनीत बोर्ड अधिकारी	—सदस्य/सचि

यदि किसी विषय में चयन समिति सदस्यों के मत समान रूप से विभाजित होते हैं तो अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(ब) वर्ग "ख" एवं "ग" (लिपिकीय वर्ग सम्मिलित नहीं है) के लिए :—

(1) बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा मनोनीत किया गया सदस्य	—अध्यक्ष
(2) भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	—सदस्य
(3) चुनाव समिति के अध्यक्ष के अनुमोदनाधीन मनोनीत विषय विशेषज्ञ	—सदस्य
(4) निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में एक्ट की धारा 24 के अधीन बोर्ड द्वारा मनोनीत बोर्ड अधिकारी	सचिव/सदस्य

किसी भी प्रकरण में चयन समिति के सदस्यों के मत समान रूप से विभाजित होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(स) वर्ग "ग" लिपिकीय वर्ग तथा वर्ग "घ" के पद हेतु :—

(1) निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा एक्ट की धारा 24 के अधीन मनोनीत किया गया अधिकारी	—अध्यक्ष
(2) जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, रामपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	—सदस्य
(3) यदि आवश्यकता हो तो चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विषय विशेषज्ञ	—सदस्य

किसी प्रकरण में चयन समिति के सदस्यों के मत समान रूप से विभाजित होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(ब) विभागीय प्रोन्नति समिति :— (प्रोन्नति द्वारा पद भरे जाने हेतु)

(अ) वर्ग "क" और "ख" के पद हेतु

(1) बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा मनोनीत बोर्ड सदस्य	—अध्यक्ष
(2) भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	—सदस्य
(3) उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय का अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी	—सदस्य
(4) निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा एक्ट की धारा 24 के अधीन नामित एक अधिकारी	—सदस्य

किसी प्रकरण में विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्यों के मत समान रूप से विभाजित होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(ब) वर्ग "ग" व "घ" के पद हेतु :—

(1) निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड द्वारा एक्ट की धारा 24 के अधीन मनोनीत एक अधिकारी	—अध्यक्ष
(2) जिलाधिकारी/कलेक्टर रामपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	—सदस्य

किसी प्रकरण में विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्यों के मत समान रूप से विभाजित होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

चतुर्थ अनुसूची

(विनियम 14 व 39 देखें)

1. चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण-पत्र का प्रारूप

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री/श्रीमती ..... जो रामपुर रजा पुस्तकालय, परिषद के अधीन नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी हैं, की स्वास्थ्य परीक्षा कर ली है और उनमें ..... को छोड़कर जो रोग, शारीरिक दुर्बलता अथवा प्राकृतिक दुर्बलता नहीं पाई गई।

मेरे मतानुसार वह रामपुर रजा पुस्तकालय में नियुक्ति करने के अयोग्य नहीं है।

श्री/श्रीमती ..... की आयु उनके अपने विवरणानुसार ..... वर्ष है और प्रकट रूप से वह लगभग ..... वर्ष के है।

मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/
स्वास्थ्य अधिकारी

2. निष्ठा शपथ प्रमाण-पत्र

मैं ..... निष्ठापूर्वक, सत्यनिष्ठा से प्रतीज्ञात शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं भारत वर्ष और विधि सम्मत रूप से संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा तथा भारत वर्ष की प्रभुसत्ता एवं मर्यादा तथा सच्ची निष्ठा को सदैव बनाए रखूंगा और मैं अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठावान रहकर सच्चाई/ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करूंगा।

"ईश्वर मेरी सहायता करे"।

पांचवीं अनुसूची

[(विनियम 37 (2) "ग" देखें)]

बोर्ड के कर्मचारियों को निलम्बित करने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियां :—

	पदों का विवरण	नियोजक प्राधिकारी	कर्मचारियों के निलम्बन करने का सक्षम प्राधिकारी
1.	वर्ग "क" पद	बोर्ड	अध्यक्ष
2.	वर्ग "ख" पद	बोर्ड	अध्यक्ष
3	वर्ग "ग" पद	निदेशक	निदेशक
4.	वर्ग "घ" पद	निदेशक	निदेशक

छठी अनुसूची

[(विनियम 37 (4) ("ब" देख)]

परिषद् के कर्मचारियों पर शास्ति लगाने वाले सक्षम प्राधिकारी

	पदों का विवरण	नियोजक प्राधिकारी	शास्ति लगाने वाली सक्षम प्राधिकारी	
			प्राधिकारी	शास्ति
1	वर्ग "क" पद	बोर्ड	अध्यक्ष	समस्त
2	वर्ग "ख" पद	बोर्ड	अध्यक्ष	समस्त
3	वर्ग "ग" पद	निदेशक	निदेशक	समस्त
4	वर्ग "घ" पद	निदेशक	निदेशक	समस्त

सातवीं अनुसूची

[विनियम 40 (1) देखें]

अधीनस्थ प्राधिकारियों को अधिकार प्रत्यायोजन

क्रम संख्या	मूल नियमों एवं नियमों का संदर्भ	प्राधिकार की प्रकृति	प्राधिकारी जिसको अधिकार प्रत्यायुक्त की गई	प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा
1	2	3	4	5
		मूल नियम में सम्बन्धित अधिकार		
1.	एफ० आर० 9 (6क)	आदेश निर्गत करने का अधिकार जिसके अधीन बोर्ड के कर्मचारी कुछ परिस्थितियों में कार्य पर माने जायेंगे ।	अध्यक्ष	पूर्णाधिकार
2.	एफ० आर० 10	किसी भी व्यक्तिगत प्रकरण से बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व स्वस्थता प्रमाण पत्र का समाप्त करना ।	1—अध्यक्ष 2—निदेशक	पूर्णाधिकार पूर्णाधिकार वर्ग "क" के पदों के अतिरिक्त
3.	एफ० आर० 15	कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद में । स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकार	निदेशक	पूर्णाधिकार
4.	एफ० आर० 24	वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार ।	कोई प्राधिकारी जो पद पर मौलिक नियुक्ति करने का अधिकारी है और जो कर्मचारी कार्यरत हैं अथवा नियमानुसार वेतन वृद्धि रोकने हेतु सक्षम प्राधिकारी	पूर्णाधिकार
5	एफ० आर० 36	कार्यवाही प्रोन्नति की स्वीकृति से सम्बन्धित सामान्य अथवा विशेष आदेश निर्गत करना जिससे कर्मचारी को कार्य पर माना जायेगा ।	1—अध्यक्ष 2—निदेशक	पूर्णाधिकार पूर्णाधिकार वर्ग "क" के पदों के अतिरिक्त ।

1	2	3	4	5
6.	एफ० आर० 46 (बी)	वचनबद्ध कार्य की स्वीकृति के अंतर्गत मान देय प्राप्त करने या स्वीकार किये जाने संबंधी अधिकार	1–अध्यक्ष	अधिकतम रु० 1000/ तक के प्रत्यक्ष प्रकरण में आवर्ती आदेश स्वीकार करना। इस सीमा में आवर्ती भुगतान, जो एक कर्मचारी को वित्तीय वर्ष में प्राप्त होना है, सम्मिलित रहेगा।
			2–निदेशक	आवर्ती मान देय से संबंधी प्रत्येक प्रकरण में अधिकतम सीमा रु० 500/– हेतु पूर्णाधिकार। इस सीमा में किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में किया गया आवर्ती भुगतान सम्मिलित होगा।
7.	एफ० आर० 56	58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किसी कर्मचारी की सेवा में बनाये रखना	अध्यक्ष	पूर्णाधिकार किन्तु किसी भी एक समय में यह सीमा एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
			निदेशक	पूर्णाधिकार वर्ग "क" के अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी एक समय में यह सीमा एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8.	एफ० आर० 83	विशेष अक्षता अवकाश स्वीकार करने का अधिकार	अध्यक्ष	पूर्णाधिकार
		पूरक नियमों से सम्बन्धित अधिकार		
9.	नि० 11	वचन बद्ध कार्य जिस पर बोर्ड शुल्क दिया जाये या शुल्क स्वीकार किया जाता है, की स्वीकृति प्रदान करना।	1–अध्यक्ष 2–निदेशक	पूर्णाधिकार प्रत्यक प्रकरण में अधिकतम 1200/– रु० आवर्ती शुल्क तक का पूर्ण अधिकार इस सीमा में किसी भी एक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में मिलने वाला सब आवर्ती भुगतान सम्मिलित होगा।
10.	पू० नि० 20	ग्रेड घोषित करना जिस पर अल्पकालिक अथवा मुल्क धारित कर्मचारी कार्यरत रहेगा	अध्यक्ष	पूर्णाधिकारी
11	पू० नि० 48(ब)	हवाई यात्रा करने की स्वीकृति का अधिकार	अध्यक्ष	पूर्णाधिकार
12	पू० नि० 52	कर्मचारी ग्रेड से ऊंची दर पर दैनिक भत्ता स्वीकार करने का अधिकार	अध्यक्ष	पूर्णाधिकार
13.	पू० नि० 67 के नीचे का प्रतिबंध	माइलेज भत्ता के स्थान पर दुगना स्वाई यात्रा परिवर्तित करने का अधिकार	अध्यक्ष	पूर्णाधिकार
14.	पू० नि० 73	10 दिन के अवस्थान की सीमा से अधिक की छूट प्रदान करने का अधिकार	1–अध्यक्ष 2–निदेशक	पूर्णाधिकार पूर्णाधिकार 30 दिवस की सीमा तक
15.	पू० नि० 128 के प्रतिबंध	पर्वतीय क्षेत्रों में 10 दिनों से अधिक के अवस्थान की स्वीकृति का अधिकार	1–अध्यक्ष 2–निदेशक	पूर्णाधिकार पूर्णाधिकार 30 दिवस तक की सीमा तक
16	पू० नि० 135	कर्मचारी जो अवकाश पर हों को भारत में जनहित में 3 वर्ष पर अवकाश पर रहने के स्थान के अतिरिक्त स्थान पर (भ्रमण पर भेजने हेतु यात्रा भत्ता व यात्रा स्वीकृत करने का अधिकार	1–अध्यक्ष 2–निदेशक	पूर्णाधिकार किन्तु यात्रा भत्ता अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा अवकाश से काटने हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा। वर्ग "ब" "ग" व "घ" के कर्मचारी प्रतिबन्ध के साथ पूर्णाधिकार।

STATE BANK OF INDORE

HEAD OFFICE

Indore, the 27th May 1994

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Indore will be held at Ravindra Natya Grah, Ravindra Nath Tagore Marg, Indore on Monday the 27th June, 1994 at 11.00 A.M. (Standard Time) to transact the following business :—

"To receive the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 1994. (1-4-1993 to 31-3-1994), the report of the Board of Directors on the working of the Bank for the same period and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

By Order of the Board of Directors,

S. RAJAGOPAL
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400 005, the 1st September 1993

No. 3WCA(4)2/93-94.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed the name of Shri Sridhar N G, FCA (M. No. 021078) 10-Hornby Bldg., 172/174, Dr. D. N. Road, Bombay 400 001, from the Register of Members of this Institute on request with effect from 30/04/93.

A. K. MAJUMDAR,
Secretary.

Calcutta-700 071, the 25th March 1994

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/8/3/94-95—In pursuance of Regulation 10(i) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same :—

Sl. No	Membership. No.	Name & Address	Date of Cancellation
1	2	3	4
1.	9378	Shri M.C. Pal FCA 646 R.N. Tagore Road Calcutta-700077.	22-03-93
2.	51416	Shri R.A. Jhanwar, ACA 23/1A Garlahat Road (West) Calcutta-700 068.	01-11-93
3.	55605	Shri S.K. Jain, ACA 16 Bonfield Lane, 3rd floor Calcutta-700 001.	30-09-93
4.	56393	Shri N. Ganesh, ACA 4A Binoy Bose Road, Bhowanipore Calcutta-700 025.	05-10-93
5.	4936	Shri P.K. Mukherji, ACA P-395 Purna Das Road Calcutta-700 029.	01-04-93
6.	52830	Shri P.M. Mohapatra, FCA Dy. Financial Adviser Qr. No. M/IV/14 Madhuban Paradeep port Dt. Cuttack Paradeep Port-754142.	20-04-93
7.	54583	Shri A.K. Agrawal, ACA 309 Todi Chambers, 3rd floor 2 Lal Bazar Street Calcutta-700 001	1104-93
8.	55511	Shri N.K. Mukherjee, ACA Ipitata Sponge Iron Ltd. P O. Joda Dt. Keonjhar Joda-758 034.	13-01-93
9.	56032	Shri J. Banik, ACA M/s. S.N. Mukherji & Co. 1B Old Post Office Street Calcutta-700001.	13-01-93
10.	56154	Shri P. De, ACA 5 Sanatan Sil Lane Calcutta-700 012.	01-04-93
11.	051845	Mr. Deb Asamanja, FCA Ray & Ray 6 Church Lane P.O. Box 706 Calcutta-700 001.	01-01-94
12.	054276	Mr. Mitra Goutam, ACA East Kodalla Lichu Bagan P.O. New Barrackpore West Bengal New Barrpckpore-0	30-11-93
13.	054546	Mr. Mandhana Laxmi Narayan, ACA 14, Sovaram Bysack Street, P.O. Kalakar Street, 3rd Floor, Calcutta-700 002.	24-01-94
14.	055358	Mr Behera Ajaya Kumar, ACA Steel Authoriiy of India Ltd. Alloy Steels Plant Finance & Accounts Dept. Durgapur W.B. 713 208.	10-09-93
15.	055736	Mr. Bhartia Jitendra Kumar, ACA Rachna Appartment P-707 Lake Town Block A 1st Floor Calcutta-700 089.	31-12-93
17.	034777	Mr. Juneja Vivek, ACA C/o R.N. Juneja Flat II/14-C Asha Appartment 93 Deshpran Sashmal Road Calcutta-700 033.	01-01-94
18.	053616	Mr. Balasaria Mahesh, FCA 32 Ezra Street North Block Room No. 663, 6th Floor Calcutta-700 001.	14-12-93
19.	055312	Mr. Pattanayak Gour Krishna, ACA 14 Russa Road East Second Lane Calcutta-700 033.	17-12-93
20.	055945	Mr. Basu Tarun, ACA 10/1. Mehar Laskar Lane Calcutta-700 017.	14-02-94
21.	056204	Mr. Agarwal Narayan, ACA Golf Green, Phase 1 Flat No. B-8/3 Calcutta-700 045.	02-02-94

A K MAJUMDAR
Secretary.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 25th April 1994

No. N-15/13/14/3/90-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-5-94 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Areas Comprising revenue village of Chinthalakuppam, Karumbukuppam, Pappankuppam, Peddikuppam, Old Gummidipoondi, Pudu (New) Gummidipundi, Palesswarankandigai, Ecuvariapalayam, Chithurnatham, Sirupalalalpettai, Periaobulapuram, Nattam, Narasingapuram, Thurapallam, Chinna Obulapuram, Thervazhi, Attupakkam, Chinnasoliambakkam, Periasoliambakkam, Enadimelpakkam, Kuruvatucherby, Nangapallam, Verkadu, Kilmudalambedu, Thandalacherry, Ketanamalle of Gummidipoondi taluk in Chengalpattu M.G.R. District.

O. ABDUL HAMEED,
Director (P&D)

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 2nd May 1994

No. FP-1(11)/93/1574.—whereas M/s Container Corporation of India Ltd., Ashok Road, New Delhi-1 Code No. E/DL-14380/Relaxed has forwarded an application in respect of its employee Shri Santosh Kumar Sharma, Director Finance, E/DL-14380/Relaxed/3044 for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 under section 17 (I-C) of Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952).

And whereas, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner am satisfied that the benefits in the nature of Family Pension under the Government of India Pension Rules (c.c. Pension Rules) applicable to this individual employee of the said establishment are more favourable than the benefit provided under the Employees Family Pension Scheme, 1971.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (I-c) of sectioin 17 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, hereby exempt, the above said individual employee of the said establishment who was under the employment of the Central Government before absorption in the above establishment and was governed by the C.C.S. Pension Rules, from the operation of all provisions of the Employees Family Pension Scheme, 1971 with effect from the date of issue of the Notification or from the last date of service of those who retired after exercising option from 22-1-90 to 21-7-90 in terms of Govt. orders dated 22-1-90 on the following terms and conditions :

1. these employees will not be entitled to or claim any benefit(s) under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 from the date of exemption.
2. Option once exercised for grant of exemption from Employees' Family Pension Scheme, 1971 will be irrevocable.

The employer in relation to each of the said employee shall submit such returns to the Regional Provident Fund commissioner concerned, maintain such accounts and provided such facilities for inspection as Central Provident Fund commissioner may direct from time to time.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner.

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(INCORPORATED UNDER THE ARCHITECTS' ACT, 1972)

New Delhi-110 001, the 1994

Annual Report of the Council of Architecture (Incorporated under the Achitects' Act, 1972) for the year ending 31st March, 1993 (1-4-1992 to 31-3-1993).

The Council of Architecture (Incorporated under the Architects' Act, 1972) has pleasure in presenting herewith its Annual Report together with the Audited Statement of Accounts, reviewing the progress for the year ending 31st March, 1993.

I COUNCIL OF ARCHITECTURE

The Council of Architecture met twice on 7th September, 1992 at Fairlawns, Shimla at the kind invitation of Government of Himachal Pradesh and on 1st and 2nd February, 1993 at Bhopal at the kind invitation of the Govt. of Madhya Pradesh and deliberated/took decisions on the following important matters :

1. Approved the Annual Report and Audited Statement of Accounts of the Council for the period ending 31st March, 1992.
2. Approved the Budget estimates for the year 1992-93 amounting to Rs. 16,60,000/- (Recurring) and Rs. 5,55,000/- (non-recurring).
3. Appointed Shri Ravi K. Tandon of M/s Ravi K. Tandon, Chartered Accountants, 2327, Dharmpura, Delhi as Auditor for auditing the accounts of the Council for the year 1992-93 on an audit fee of Rs. 2,500/-.
4. Considered and accepted the report of its Advisory Committee (Appeals).
5. Considered the complaints received from general public/Govt. agencies against the registered architects for alleged professional mis-conduct.
6. Considered and accepted the report of the Disciplinary Committee of the Council against the architects for alleged profesional mis-conduct.
7. Approved amendments to certain clauses of the Architects' Act, 1972 and forwarded the same to the Govt. of India for approval.
8. Authorised the President of the Council to suitably amend the present format of Certificate of Registration and obtain the approval of the Central Government for amendment of Form No. XII and XIII as prescribed under C.O.A. Rules, 1973 pertaining to issue of Certificate of Registration and Duplicate Certificate of Registration.
9. Deliberated in detail (in the absence of President, Vice-President, Council of Architecture) on the complaint filed by Shri P. R. Mehta architect against the President, Vice-President and the Council of Architecture for alleged professional mis-conduct and no prima facie case established by the Council against the President, Vice-President and Council of Architecture as alleged by the complainant.

II EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee of the Council met thrice on 10th June, 1992 at New Delhi, 6th September, 1992 at Simla and 31st January, 1993 at Hotel Palash, Bhopal. The Committee discussed in detail and made recommendations wherever necessary to the Council for its decisions on the following issues :—

1. Condoled the death of Shri Bachan Singh, Daftry in the Council and authorised the Chairman to sanction a suitable amount of ex-gratia to the family of Shri Bachan Singh. A sum of Rs. 7,000/- was sanctioned and paid to the family of Late Shri Bachan Singh.
2. Appointed Shri Madan Lal as Stenographer in the pay-scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 on probation for a period of two years.
3. Appointed Shri Jagdish Chand as Lower Division Clerk in the pay scale of Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 on probation for a period of two years.
4. Considered report of the Committees of Experts on the inspection of Schools of Architecture in India undertaken during the year under report.

   Recommended the Budget estimates to the Council for the year 1992-93 amounting to Rs 16,60,000/- (recurring) and Rs. 5,55,000/- (non-recurring) and also the Budget estimates for the year 1993-94 Rs. 14,75,000/- (recurring) and Rs. 8,75,000/- (non-recurring).

III. DISCIPLINARY COMMITTEE

The Disciplinary Committee met thrice—once on 4th September 1992 in New Delhi and twice in Bombay on 26th September, 1992 and 13th March, 1993 at Sir J J College of Architecture. At these meetings the Committee considered 14 cases referred by the Council for detailed investigation. The Disciplinary Committee had furnished detailed report on 4 cases out of total 14 cases. The Disciplinary Committee of the Council would continue the investigations/hearings on the remaining cases. During the course of the hearings some architects appearing beford the Committee raised points of legal issue and sought adjournments.

IV. ADVISORY COMMITTEE (APPEALS)

The Advisory Committee (appeals) met on 25th January, 1993 and invited 16 appellants to appear in person before the Committee. The report of the Advisory Committee (appeals) was presented to the Council for consideration and adoption at its meeting held on 1st February, 1993 at Bhopal.

V. REGISTRATION

The Council received 1160 applications during the year under report. 1134 applications received under section 25(a) and 26 applications received under section 25(b) of the Architects Act, 1972. Under section 25(a) 1094 persons and 2 persons under section 25(b) have been registered. 18 applications were rejected as these applicants were not found eligible for registration either under section 25(a) or under section 25(b). The remaining applications are in various stages of scrutiny. The Original Certificates of Registration were issued to all the 1096 persons registered during the year under report. The total number of architects registered as on 31-03-1993 are 15947.

VI. RENEWAL/RESTORATION

There was good response of collection of renewal fee from architects registered with the Council for retention of their names in the Register of Architects. The Council also received renewal fee in advance in some cases from 5 to 10 years from architects registered with the Council.

VII. POSSESSION OF OFFICE PREMISES AT MADAM BHIKAIJI CAMA BHAWAN, NEW DELHI

In response to DDA's letter No. F. 11(10)84/C.F. dated 29-11-1992, the Council has taken the physical possession of Flat No. 1007, Type-III on Xth Floor at Madam Bhikaiji Cama Bhawan, New Delhi on 23rd November, 1992 and formalities for electricity/water connection are still to be completed. The payment has been made to the D.D.A. from out of the building fund maitained by the Council for the purpose.

VIII. BUILDING FUND

The Council was able to build a building fund of Rs. 35 lakhs so far from out of its own resources. Out of this, a sum of Rs. 16,46,766/- had been paid to DDA for the Commercial Flat at Bhikaiji Cama Bhawan New Delhi and a sum of Rs. 29 lakhs to India Habitat Centre for the office accommodation at Lodhi Road, New Delhi.

IX. LIABILITY

The Council has a liability of Rs. 1,50,000/- in the repayment of the interest free loan to the Government of India.

X. REMOVAL OF NAMES DUE TO DEATH

The Council regrets to record the sad demise of the following architects during the year under report :—

Name of the Architect	Registration No.
S/Shri	
1. Ramlal Laxman Naik	CA/75/1536
2. J.G. Bodhe	CM/75/1558
3. H.G. Banerjee	CA/77/3624
4. U.P. Ghatge	CA/83/7662
5. P.D. Mungale	CA/85/8847
6. V.B. Parhate	CA/75/1141
7. M.W. Indapwar	CA/75/1152
8. M.K. Dave	CA/75/412
9. Bimal Sharma	CA/75/1538
10. J.N. Gupta	CA/76/3142

XI. DIRECTORY OF ARCHITECTS

The Council had published for the first time a comprehensive Directory of Architects containing not only a list of architects, registered with the Council in an alphabetic manner, State/Citywise but also documents of the Council including the Architects' Act, Rules, Regulations of Minimum Standards of Architectural Education, Guidelines for Architectural Competition, Professional Conduct, Regulations etc. The publication of this Directory had been possible by generous assistance given by the manfacturers, building material suppliers and other institutes concerned with built environment. These Directories are available for sale with the Office of the Council of Architecture. The Council has sent complimentary copies of Directory of Architects to all the members of the Council, Schools of Architecture in India, The Indian Institute of Architects, IIA Chapters and PEATA, Heads of Public Undertakings and Departments of the Govt. concerned with built environment.

XII. CA NEWS

The Council of Architecture published two more issues of CA News during the period under report, with a view to keep members informed of the important activities and seek members interaction as to the issues involved. Both these two issues were sent to members of the Council, Schools of Architecture and all the registered architects numbering around 16000 and others interested in the activities of the Council. Most architects have appreciated the efforts of the Council in bringing out 'CA News'. Efforts are on to publish regular issues of CA News atleast 3 a year for the information of architects.

XIII. INSPECTION OF SCHOOLS OF ARCHITECTURE

The Committees of Experts appointed by the Executive Committee of the Council inspected the following institutions during the year under report. The reports of these Committees wherever received have been forwarded to the concerned authorities for taking remedial action on the recommendations. The reports have also been sent to the members of the Executive Committee.

Name of the Institution	Date of Inspection	Name of Experts
1	2	3
1. Dept. of Architecture University of Roorkee *Roorkee*	3-1-192 & 4-11-92	1. Prof. M.M. Rana (Conv.) 2. Shri J.M. Benjamin 3. Shri Aditya Prakash
2 Dept. of Architecture M.S. University of Baroda Baroda	Report awaited	1. Prof. M.R. Agnihotri (Conv.) 2 Shri Hasmukh Patel
3. Dept. of Architecture Regional Engineering College, Tiruch.rappli	20-2-92 (Report furnished in June, 1993)	1. Prof. S.A. Tungare (Conv.) 2. Shri C.N. Raghabendran

1	2	3
4. Sushant School of Art & Architecture *Haryana.*	20-10-92 & 21-10-92	1. Shri Jasbir Sahchdev (Conv.) 2. Prof. M.R. Agnihotri 3. Shri Kulbhusan Jain
5. Goa College of Architecture, *Goa*	21-10-92	1 Prof. S.A. Tungare (Conv.) 2. Shri N.A. Badheka 7. Shri A.K. Biswal
6. Deot. of Architecture T.K.M. College of Engg. *Quilon,* (Kerala).	18-7-93 & 12-3-93	1. Shri C.N. Raghavendran (Conv.) 2. Dr. K.S. Anantha Krishna.

XIV. ALL INDIA BOARD OF STUDIES IN ARCHITECTURE CREATED UNDER MEMORENDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN GOA AND AICTE

Under the Memorandum of Understanding signed between the COA and AICTE, the All India Board of Studies in Architecture & Town Planning met in New Delhi on 10th June, 1992; 4th December, 1992 and 19th March, 1993 and discussed in dettail the following proposals for start of new institutions in architectural education and allied sujects at undergraduate/post-graduate level :

1. Hingne Stree Shikshan Samasta's College of Architecture, Pune;
2. NTV's College of Architecture, Nandurbar, Distt. Dhule (M.S.);
3. (a) Bharti Vidyapeeth's College of Architecture, Katraj-Dhankavadi, Pune
   (b) Bharati Vidyapeeth's College of Architecture, C.B.D., New Bombay;
4. Dr. D. Y. Patil College of Architecture, CBD New Bombay;
5. Piloo-Mody College of Architecture promoted by Ajay Binay Institute of Technology, Cuttack;
6. SECAB Association, Naubag, Bijapur;
7. BLDE Association; Bijapur;
8. Adhiyamaan Education & Research Institution, Madras;
9. School of Planning & Architecture, New Delhi (Post-graduate course);
10. Lady Amritbai Daga College for Women, Nagpur;
11. Zakir Hussain College of Engineering & Technology, Aligarh Muslim University, Aligarh;
12. Hindustan College of Engineering, Padur, Chingleput; Distt.
13. Mohammed Sathak Trust, Kilakarai;
14. Bharat Institute of Science & Technology, Selaiyur, Tambaram, Madras;
15. Sathyabama Engineering College, Jeppiaar Nagar, Madras;
16. Arumigu Meenakshi Amman College of Engineering Vadamavandal, Cheyyar Taluka, T S District, Tamil Nadu;
17. Shri V B Patil Trust's Appasaheb College of Architecture, Sangli, (M.S.);
18. Shri Siddheswar Shikshan Mandal's College of Architecture, Solapur, (M.S.);
19. Andhra University, Visakhapatnam;
20. Chandigarh College of Architecture (M. Arch. (Course), Chandigarh;
21. Karunya Institute of Technology, Karunya Nagar, Coimbatore;
22. Vivekananda Institute of Technology, Pune; and
23. Birla Institute of Technology, Ranchi,

The Board continues to receive fresh proposals from authorities wishing to start courses at undergraduate level in architecture. The Secretariat of the Council has been shouldering this extra responsibility ever since the signing of the Memorandum of Understanding between COA and AICTE. The Board has evaluated most of the above mentioned proposals with the assistance of the Committees of Experts constituted for each proposal. The Board has finally recomended to the AICTE the following proposals for according approval :

1. Higne Stree Shikshan Samasta's College of Architecture; Pune;
2. NTV's College of Architecture, Nandurbar, Distt. Dhule, (M.S.);
3. Bharti Vidyapeeth's College of Architecture, CBD, New Bombay;
4. Dr. D. Y. Patil College of Architecture, CBD, New Bombay;
5. Piloo-Mody College of Architecture promoted by Ajay-Binay Institute of Technology, Cuttack;
6. Adhiyamaan Education & Research Institution, Madras;
7. School of Planning & Architecture, New Delhi (Post-graduate course);
8. Lady Amritabai Daga College for Women, Nagpur;
9. Zakir Hussain College of Engineering & Technology, Aligarh Muslim University, Aligarh;
10. Hindustan College of Engineering, Padur, Distt. Chingleput, (Tamil Nadu);
11. Mohammed Sathak Trust, Kilakarai;
12. Bharat Institute of Science & Technology, Selaiyur, Tambaram, Madras;
13. Sathyabama Engineering College, Jeppiaar Nagar, Madras;
14. Arulmigu Meenkshi Amman College of Engineering, Vadamavandal, Cheyyar Taluka, T S District, Tamil Nadu;
15. Shri V B Patil Trust's Appasaheb College of Architecture, Sangli (M.S.);
16. Shri Siddheswar Shikshan Mandal's College of Architecture, Solapur (M,S.);
17. Andhra University, Visakhapatnam;
18. Karunya Institute of Technology, Karunya Nagar, Coimbatore;
19. Vivekananda Institute of Technology, Pune; and
20. Birla Institute of Technology, Ranchi.

XV. REGISTRATION OF FOREIGN NATIONALS

A number of foreign nationals having qualifications recognised under the Act have applied for registration under Section 25(a) of the Architects' Act, 1972. The Council has referred these appliations to the Ministry of Human resource Development, Govt. of India, New Delhi for obtaining a 'No Objection' before these foreign nationals are registered under the Act. The matter is being pursued with the Ministry for obtaining early clearance so that these foreign nationals having recognised qualifications under the Act could be registered.

XVI. AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT 1972

The Council of Architecture at its 25th Meeting held on 1st February, 1993 at Bhopal discussed in detail the proposal for amendments of certain clauses of the Architects' Act, 1972 and on the basis of the discussion, the Council approved amendments to certain clauses of the provisions of the Architects Act, 1972. The amendments as approved by the Council have been sent to the Central Govt. for approval.

XVII. COUNCIL OF ARCHITECTURE (MINIMUM STANDARDS OF ARCHITECTURAL EDUCATION) REGULATIONS.

The revised document on Minimum Standards of Architectural Education has been sent for approval to the Central Govt. in the Ministry of Human Resource Development. The approval of the Central Govt. is likely to be obtained in due course of time and the same will be sent for its notification in the Official Gazette for its enforcement.

XVIII. MISCELLANEOUS

The Council continues to attend to a large number of enquiries made by the clients from Private, Government and Semi-Govt. Organisations with regard to the appointments of architects, conditions of engagement and scale of fees etc. The Council continues to draw the attention of public Undertakings and other Organisations and have sought their full cooperation, whenever architects are called upon to submit designs in competitions or submit tenders in sealed covers to follow the guidelines for architectural competition laid down by the Council of Architecture. The Council has informed the authorities of the State Public Service Commissions and the State Governments the decision of the Central Govt. regarding recognition of the Associate Membership of the Indian Institute of Architects (By Examination) as at par with a Bachelor's Degree in Architecture of a recognised Indian University for the purpose of employment to posts and services under the Central Govt. requesting them to incorporate this qualification in their recruitment rules with a copy of the same to the nominees of the State Governments representing the Council with a request to pursue the matter with the respective Govt.

Inspite of the constraints of space and other facilities, the Office of the Council of Architecture continues to function from the premises of the Northern Chapter, Indian Institute of Architects, as alternate suitable accommodation is still under final stages of construction.

The Council is grateful to the following Organisations for extending their facilities for holding meetings of the Council/Committees of the Council :

1. School of Planning & Architecture, New Delhi;
2. Sir J J College of Architecture, Bombay;
3. Indian Institute of Architects, Bombay;
4. PEATA, Bombay;
5. Government of Himachal Pradesh;
6. Government of Madhya Pradesh;
7. Government of Haryana;
8. M/s. Stein, Doshi, Bhalla, New Delhi; and
9. Indian Institute of Architects (Northern Chapter), New Delhi.

The Council is thankful to all the Schools of Architecture inspected during the year under reports for their alround cooperation during the course of inspection. The Council is also thankful to the experts who have inspected the Schools of Architecture during the year under report.

The Council records its thanks to the retiring members of the Council and its Committees/Sub-Committees as well as special invitees for their valuable contribution and assistance in the affairs of the Council during their tenure.

The Council would further like to record its thanks to the Northern Chapter of the Indian Institute of Architects, New Delhi, in particular, for kindly permitting the Council to continue to function from their premises during the year under report.

The Council would like to record its thanks to the Ministry of Human Resource Development (Dept. of Education), Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi for their cooperation in the enforcement of the Architects' Act, 1972.

The Council would like to record its thanks to the authorities of All India Council for Technical Education, New Delhi for their cooperation.

The Council would also like to place on record its appreciation to M/s Ravi K. Tandon, Chartered Accountants, New Delhi for assisting the Council in the audit of its accounts for the year under report.

S. K. RANJAN,
Registrar.

RAVI K. TANDON & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

AUDITOR'S REPORT

New Delhi, the 20th July 1993

We have audited the annexed Balanse Sheet of 'COUNCIL OF ARCHITECTURE', 8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi as on 31st March, 1993 and also Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 1993 with the accounts books and vouchers as produced to us, we do hereby report as follows :

(i) we have obtained all informations and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the Council so far as appears from our examination of such books;

(iii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with report are in agreement with the books of account;

(iv) In our opinion and to the best of our information according to the explanations given to us the said statement of accounts give a true and fair view :—

(a) in case of Balance Sheet of the state of affairs of the Council as at 31st March, 1993; and

(b) in case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure of the year ended on that date.

for RAVI K. TANDON,
Chartered Accountants.
RAVI K. TANDON,
PROP.

RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated under the Architects Act, 1972)

8-B, SHANKAR MARKET : CONNAUGHT CIRCUS : NEW DELHI-1.

New Delhi, the 20th July 1993

NOTES ON ACCOUNTS FORMING PART OF THE STATEMENT OF ACCOUNTS AS ON 31st MARCH, 1993

1. Figures of previous year have been regrouped and rearranged wherever necessary;

2. Books of accounts have been maintained mainly on receipt basis;

3. A sum of Rs. 8,50,000/- has been transferred to Building Fund India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi from General Reserve during the year under consideration the total amount transferred till date is Rs. 35,00,000/-.

for & ON BEHALF OF COUNCIL

(J.R. BHALLA)
President

(ASHOK YADAV
REGISTRAR.

for RAVI K. TANDON & CO.,
Chartered Accountants.

RAVI K. TANDON,
PROP.

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1993

Previous Year	LIABILITIES		AMOUNT	Previous Year.	ASSETS		AMOUNT
1196358.37	**GENERAL RESERVE**			35341.44	**FIXED ASSETS**		1676068.38
	Balance as on 1-4-92	1196358.37					
	Add: Excess of Income over Expenditure	993338.90		819511.80	**INVESTMENTS** (1) Building (Alloted) at MADAM BHIKAJI CAMA BHAWAN, N. Delhi under D D.A's S.F.S.	819511.80	
		2189697.27			Add: Addition During the year	827254.20	
	Less: Amt. tfd. to Building Fund INDIA HABITAT CENTRE	850000.00	1339697.27			1646766.00	
	C.A. NEWS LETTER (Subscription) Fund		3433.00		Less: Amt. tfd. to Fixed Assets	1646766.00	
	BUILDING FUNDS :			2000000.00	(ii) Building (Alloted) at INDIA HABITAT CENTRE, Lodi Road, New Delhi	2000000.00	
1650000.00	(1) MADAM BHIKAJI CAMA BHAWA		1650000.00		Add: Addition during the year	900000.00	2900000.00
2650000.00	(A) INDIA HABITAT CENTRE Lodi Road New Delhi			1953738.95	**FIXED DEPOSIT RECEIPTS**		1653738.95
	Balance as on 1.4.92	2650000.00		47819.19	**LOANS AND ADVANCES**		11331.19
	Add: Tfd. during the year	850000.00	350000.00		**CASH & BANK BALANCES**		
	LOANS			821925.12	(i) S.B.I, Main Branch C/A 22/66334	624519.27	
150000.00	Loan from Govt. of India		150000.00	77609.94	(ii) Syndicate Bank Super Bazar Building, Connaught Circus, New Delhi C/A 3370	102033.46	726652.73
	OTHER LIABILITIES						
10304.62	SEMINAR (Unspent) (As per last year)		10304.62				
99283.45	UNSPENT EVALUATION FEES		314256.36				
5755946.44			6967691.25	5755946.44			6967691.25

NOTES: Building at Madam Bhikaji Cama Bhawan of Rs. 1646766/- has been tfd. to Fixed Assets.

for AND ON BEHALF OF COUNCIL

(J.R. BHALLA)
PRESIDENT.

(ASHOK YADAV)
REGISTRAR

Dated: 20 JUL 1993
Place: NEW DELHI

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE.

for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAVI K. TANDON)

INCOME TEX EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH,1993

Previous Year	PARTICULARS		AMOUNT
50800.20	To Pay & Establishment		614668.50
8013.00	To Gratuity Provision		5618.00
50956.42	To Printing & Stationary		48343.17
52520.00	To Notification charges		—
56416.05	To Postage (Net)		44453.85
33118.55	To Travelling Allowance		67674.00
7759.10	To Conveyance Hire charges		10747.30
38188.00	To Telephone Exp. (Net)		47145.00
338.55	To Cleaning Materials		371.15
2571.95	To Refreshment charges		6244.85
1208.36	To Liveries		—
5637.85	To Electricity charges		6648.00
3433.30	To Electricity goods		818.75
—	To Water charges		500.00
1500.00	To Publication charges		—
6246.93	To Misc. Expenses (Net)		4540.18
10000.00	To Rent		20000.00
4575.00	To Legal Exp.		9900.00
2000.00	To Audit Fee		2000.00
3813.80	To Office Books & Periodicals		
	Newspapers & Periodicals	3617.20	
	Office Books	490.07	4107.27
6388.00	To Repair & Maintenance		6619.67
	To Seminar Exp. Work-Shop on Architectural Education		1905.60
294.00	To Generator Maintenance		—
48500.00	To Income Tax A.Y. 1993-94		67509.00
1100.00	To Consultation Fee		1100.00
—	To Directory of Architects (Net)		60760.50
—	To Insurance Premium		1220.00

Previous Year	PARTICULARS		AMOUNT
1919793.35	By Fees Received—		
	Registration Fee (Net)	235000.00	
	Renewal Fee (Net)	1248811.00	
	Restoration Fee (Net)	251230.00	
	Duplicate Registration Certificate Fee (Net)	4320.00	
	Additional Qualification Fee	70.00	
	Other Fee	100.00	1739531.00
10823.00	By Sale of Publications		6370.00
131410.02	By Interest on FDR (Gross)		202185.90
192.50	By Bank Commission (Net)		15139.10
9500.00	By C.A. News letter (Net)		—
79625.00	By Directory of Architects (Net)		—
—	By Sale of Directory of Architects		83805.00

Previous Year	PARTICULARS	AMOUNT		Previous Year	PARTICULARS	AMOUNT
9373.81	To Depreciation—					
	Equipment	6285.98				
	Furniture	1151.33	7437.31			
1246609.01	To Excess of Income Over Expenditure to General Reserbe A/c		993338.99			
2151343.87			2033461.00	2151343.87		203345.00

for AND ON BEHALF OF COUNCIL

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE
for RAVI K TANDON & CO.

Dated: 20 JUL 1993
Place: NEW DELHI

(J.R. BHALLA) PRESIDENT

(ASHOK YADAV) REGISTRA

(RAVI K. TANDON) PROP.

ALL INDIA BOARD OF STUDIES IN ARCHITECTURAL & TOWN PLANNING RECEIPTS ADN PAYMENTS ACCOUNT AS ON 31ST MARCH, 1993

Previous Year	RECEIPTS	AMOUNT	Previous Year	PAYMENTS		AMOUNT
—	To Openig Balance	99,283.45	1,15,971.70	By CAPITAL EXPENDITURE:		
				Electronic Typewriter	10000.00	
3,25,000.00	To Evaluation Fee			Automatic Plain Paper Copier	100000.00	1,10000.00
	(23 Institutions Rs. 25000/- each)	5,75000.00				
				By EVALUATION EXPENSES:		
			25,976.00	Pay & Establishment		40,783.00
			44,000.00	Honorarium		93,600.00
			21,133.85	Travelling Allowance		49,178.00
			13750.00	Conveyance Hire Charges		24193.00
			1,722.50	Telephone Expenses		18,312.00
			—	Printing & Stationary		14,585.60
			—	Repair & Maintenance		6,480.00
			1,000.00	Refreshment Charges		1,888.50
			510.00	Postage		395.00
			—	Bank Commission		50.00
			652.50	Misc. Expenses		41.50
			—	Generator Maintenance		520.49
			99,283.45	Balance Unspent Carried to Balance Sheet		3,14256.35
3,25,000.00		6,74,283.45	3,25,000.00			6,74,283.45

FOR AND BEHALF OF A.I.B.S.I.A. & TP

(J.R. BHALLA) CHAIRMAN

(ASHOK. YADAV) MEMBER SECRETARY.

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE
for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAVI K. TANDON)
Prop.

Dated 20 JUL 1993
Place: NEW DELHI

RAVI K. TANDON & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

AUDITOR'S REPORTS

New Delhi, the 20th July 1993

We have audited the annexed Balance Sheet of 'COUNCIL OF ARCHITECTURE CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND ACCOUNT, 8-B Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-110001 with the books of Accounts and Vouchers produced to us and we report as follows :

1. We have obtained all the information and explanations which to best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
2. In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the Council of Architecture Contributory Provident Fund Account so far as appears from our examination of such books;
3. The Balance Sheet is in agreement with the books of Accounts; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the said statement of accounts give a true and fair view, in the case of Balance Sheet of the state of affairs as at 31st March, 1993.

for RAVI K. TANDON & CO.,
Chartered Accountants.

RAVI K. TANDON.
PROP.

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated Under the Architects Act, 1972)
CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH— 1993

Previous Year	LIABILITIES		AMOUNT	Previous Year	ASSETS	AMOUNT
	COUNCIL OF ARCHITECTURE				**INVESTMENT**	
137050.00	C.P.F. Contribution	137050.00		444145.00	Fixed Deposits Receipts with Syndicate Bank	486545.00
	Add: Contribution during the year	13394.00				
	Add: Intt. on C.P.F. contribution	16448.00	166892.00		**LOANS / ADVANCES**	
118873.00	C.P.F. Subscription—	118873.00		3595.00	C.P.F. Advance	9945.00
	Add: Subscription during the year	13806.00			**CASH & BANK BALANCES**	
	Add: Intt. on C.P.F. subscription	13974.00		23148.51	With Syndicate Bank— S.B. A/c No. 30554	76969.71
	Add: Intt. on C.P.F. Advance	920.00	147573.00			
214965.51	**RESERVE FUND**					
	Opening Balance	214965.51				
	Add: Intt. on S.B. A/c	1348.00				
	Add: Intt. on Fixed Deposit	42701.20	259014.71			
470888.51			573479.71	470888.51		573479.71

Dated: 20th JUL 1993
Place: New Delhi

for and on behalf of Council

(J.R. BHALLA)
PRESIDENT

(ASHOK YADAV)
REGISTRAR.

for RAVI K. TANDON & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAVI K. TANDON)
PROP.

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH 1993

Previous Year	RECEIPTS		AMOUNT	Previous Year	PAYMENTS	AMOUNT
	OPENING BALANCE				**FIXED DEPOSIT**	
55693.07	With Syndicate Bank		23448.51	222445.00	PURCHASED & RENEWED DURING THE YEAR	244100.00
	CONTRIBUTION			4920.00	C.P.F. ADVANCES	12360.00
16564.00	Employee's Subscription		13806.00	25000.00	NON-REFUNDABLE WITHDRAWAL FROM CPF	—
15268.00	Council's Contribution		13394.00			
8865.00	RECOVERY OF ADVANCE		5990.00		PAYMENT OF PROVIDENT FUND ON RETIREMENT & DEATH	
41170.44	INTEREST ON FIXED DEPOSIT					
	GROSS	44051.20		27724.00	Employee's Subscription	—
	Less : Tax Deduction at source	1650.00	42701.20	18599.00	Council's Contribution	—
1312.00	INTEREST ON SAVING BANK A/c		1348.00			
1155.00	INTEREST ON C.P.F. ADVANCE		920.00		**BALANCES**	
51100.00	FIXED DEPOSIT (Matured during the year)		201700.00	23148.51	With Syndicate Bank A/c No. 30554	76969.71
	INTEREST RECEIVED ON —					
15098.00	Employee's Subscription		13974.00			
15281.00	Council's Contribution		16448.00			
321836.51			333429.71	321836.51		333429.71

FOR AND ON BEHALF OF COUNCIL

(J.R. BHALLA)
PRESIDENT

(ASHOK YADAV)
REGISTRAR

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAVI K. TANDON)
Prop.

Dated: 20 JUL 1993
Place: New Delhi

RAVI K. TANDON & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

AUDITOR'S REPORTS

New Delhi ,the 20th July 1993

We have audited the annexed Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE". GRATUITY FUND, 8-B, Shankar Market, Connaught Circus, New Delhi-110001, with the books of accounts and Vouchers produced to us and we report as follows :

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. In our opinion books of accounts as required by law have been kept by the Council of Arcitecture Gratuity Fund so far as appears from our examinaiton of such books;

3. The Balance Sheet is in agreement with books of accounts; and

4. In our opinion and to the best of uor information and according to the explanations given to us, the said statement of account gives a true and fair view in the case of Balance Sheet of the state of affairs as at 31st March, 1993.

for RAVI K. TANDON & CO.,
Chartered Accountants.

RAVI K. TANDON,
PROP.

7—89GI/94

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act 1972)

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 1993 (GRATUITY FUND)

Previous Year	LIABILITIES		AMOUNT		Previous Year	ASSETS		AMOUNT
—	**GRATUITY FUND**				17073.50	**INVESTMENT**		
	Opening Balance		—			F.D.R. with Syndicate Bank		
	Add: Addition during the year		11638.00			A-985584/7728	5000.00	
	Less: Drawing during the year		11638.00	—		D-0968170/16596	6073.50	11073.50
27958.27	**RESERVE FUND**				10884.77	**CASH/BANK BALANCES**		
	Opening Balance		27958.27			Syndicate Bank A/c No. 35584		12217.17
	Add: Intt. on		1270.40					
	F.D.R.	1310.40						
	Less: T.D.S.	40.00	Less:					
	Add: Intt. on S.B. A/c		72.00					
			29300.67					
	Less: Drawings during the year for Gratuity paid		6010.00	23290.67				
27958.27				23290.67	27958.27			23290.67

NOTES: 1. A sum of Rs. 6010/- has been transferred from Reserve Fund to Gratuity Fund to meet the shortfall in Gratuity Fund on account of payment of Gratuity.
2. Interest on F.D.R. has been taken on receipt basis.

IN TERMS OF OUR SEPARATES REPORT OF EVEN DATE

for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCUNTANTS

(RAVI K. TANDON)
PROP.

Dated : 20th JULY 1993 for and on Behaof of Council

Place : NEW DELHI (J.R. BHALLA) PRESIDENT (ASHOK YADAV) REGISTRAR

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF CULTURE)

RAMPUR RAZA LIBRARY BOARD, RAMPUR

Rampur-244901, the 16th May 1994

No. F.8-4/RRL/84.—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Rampur Raza Library Act, 1975 (No. 22 of 1975), the Rampur Raza Library Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. *Short title and commencement* :—(1) These regulations may be called the Rampur Raza Library Service Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Application* :—These regulations shall apply to all employees under the Rampur Raza Library Board, Rampur;

Provided that they shall not apply to persons :—

(i) not in the whole-time employment of the Board;

(ii) employed on daily wages;

(iii) whose services have been borrowed from Government Offices or from other institutions, unless the concerned person, with the approval of the lending authority, opts to be governed by these regulations;

(iv) who are governed by special contracts which contain specified terms and conditions of service unless the concerned person opts to be governed by these regulations.

3. *Definitions* :—In these regulations unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Rampur Raza Library Act, 1975 (No. 22 of 1975);

(b) "Appointing Authority" in relation to any post means the authority competent to make appointments under regulation 6;

(c) "Board" means the Rampur Raza Library Board;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(e) "Director" means the Director of the Library;

(f) "Government" means the Government of India;

(g) "Rules" mean the Rampur Raza Library Rules, 1975;

(h) "Schedule" means the schedules attached to these regulations;

(i) "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Board;

4. *Creation of posts* :—Subject to provisions of the Act and such conditions as may be specified by the Central Government in this behalf, the Board may—

(i) create such posts as may be necessary for the management of the Library, both of temporary and permanent nature, in Groups "B", "C" and "D" services and in Group "A" services carrying prescribed scales of pay, provided that for such posts in the scale of pay the maximum of which exceeds Rs. 4,500 per mensem, prior approval of Government is necessary.

(ii) fix or alter grades, scales of pay and allowances for such posts :

Provided that such scales of pay and allowances shall in no case be better than those obtaining for comparable posts in or under the Central Government and prior approval of the Central Government is obtained for creation of posts the maximum of which exceeds Rs. 4,500 per mensem;

(iii) determine the number of posts, determine whether any post shall be temporary or permanent, specify the period for which a temporary post is to be created and determine the duties attached to various posts.

5. *Classification of posts* :—The posts in the Library as specified in the First Schedule shall be classified into the following categories, namely :—

Post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of	Classification of posts
Rs. 4,000 and above	Group A
Rs. 2,900—Rs. 3,999	Group B
Rs. 1,151—Rs. 2,899	Group C
upto Rs 1,150	Group D

Provided that in the case of retired Government servants whose services are engaged on contract and who draw pension in addition to fixed amount monthly, the classification shall be on the basis of total pension and pay.

Explanation :—For the purpose of classification of posts, pay means basic pay only as follows :—

the pay, other than special pay or pay granted in view of personal qualificaions, which has been sanctioned for a post held by an employee substantively or in an officiating capacity, or to which he/she is entitled by reason of his/her position in a cadre;

6 *Appointing authority* :—Appointment to a post under the Board shall be made :—

(i) in the case of Groups A and B, by the Board;

(ii) in the case of Groups C and D, by the Director.

7. *Methods of recruitment* :—(i) Recruitment to a post under the Board may be made—

(i) by promotion;

(ii) by direct recruitment;

(iii) by transfer on deputation or loan or otherwise from State or Central Government or quasi-Government organisations or other statutory bodies;

(iv) on contract on mutually agreed terms and conditions of service.

(2) The following procedure shall be adopted when a vacancy in a Group A, Group B, Group C or Group D post is to be filled up by direct recruitment, namely :—

(a) in the case of Group A or Group B posts, the vacancy shall be advertised in newspapers.

(b) in the case of Group C or Group D posts, the vacancy shall be notified to the Employment Exchange and advertisement in newspapers shall be made only after the Employment Exchange has issued a non-availability certificate.

8. *Recruitment by promotion* :—(1) Appointment to a post by promotion shall be made in accordance with the Second Schedule.

(2) Appointment by promotion, whether on the basis of seniority-cum-fitness or on the basis of selection on merit, shall be made on the recommendation of a Departmental Promotion Committee as provided in the Third Schedule.

9. *Direct recruitment* :—Appointment by direct recruitment to any post may be made in accordance with the Second Schedule and on the recommendations of a Selection Committee as provided in the Third Schedule,—

(i) from amongst candidates applying in response to any advertisement; or

(ii) from amongst candidates recommended by the Employment Exchange on requisition; or

(iii) from amongst candidates employed in Government, autonomous or statutory organisations who apply in response to any circular.

10. *Appointment of borrowed employees* :—Borrowed employees may be appointed on the basis of transfer or deputation to any post with the approval of a Selection Committee on such terms and conditions as may be agreed to between the Board and the lending authority as per sub-regulation (iii) of the proviso to regulation 2.

11. *Recruitment by other methods when promotion is not possible* :—In regard to posts reserved for departmental promotion, recourse shall be had to direct recruitment or appointment by transfer of an employee from another organisation only if the Board certifies that none of the candidates eligible for promotion is suitable or no candidate is eligible for promotion.

12. *Qualifications* :— The qualifications for appointment to any post shall be such as prescribed in the Second Schedule for the post concerned :

Provided that the Board may relax, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee/Selection Committee, the prescribed qualifications in the case of candidates who are otherwise well qualified.

13. *Age at entry* :—The minimum age of direct recruits to the posts in Groups C and D shall be 18 years and the maximum age shall be 35 years. For posts in other Groups the age limits shall be such as are prescribed in the Second Schedule. However, the age limit is relaxable upto five years in case of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates and such other categories as are specified by Government of India from time to time.

Every person newly appointed shall, at the time of appointment declare his date of birth with as far as possible confirmatory documentary evidence.

14. *Fitness at initial appointment* :—No person may be appointed to any post by direct recruitment unless :—

(i) he is declared medically fit in the form specified in Fourth Schedule, in the case of Group A and Group B employees, by a Medical Officer of the rank of Civil Surgeon/Medical Superintendent of State or Central Government and in the case of Group C and Group D employees by a Medical Officer as the Board may specify in this behalf.

Note : The following classes of employees are exempt from the production of a medical certificate of fitness on appointment :—

(a) persons appointed to a temporary vacancy of less than three months duration;

(b) a retired employees re-employed immediately after retirement;

(c) an employee who has already been medically examined for appointment to a lower or equivalent post;

(d) a person in respect of whom the Board may, for reasons to be recorded in writing, grant exemption from the operation of this rule.

15. *Verification of character and antecedents* :—No person may be appointed to any post by direct recruitment unless his character and antecedents have been verified in detail in accordance with the rules issued by the Government of India from time to time in respect of appointments to similar classes of posts under their control.

16. *Special representation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, etc.* :—Vacancies shall be reserved for the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-servicemen and filled up according to the orders issued by the Government of India from time to time in this regard;

17. *Disqualification* :—No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or who, having a spouse living has entered into or contracted marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any post governed by these regulations :

Provided that the Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

18. *Tenure* :—All appointments shall take effect from the on which the appointee reports himself for duty with the

19. *Probation and termination of probation* :— (1) Every person appointed to a post under the Board, whether by promotion or by direct recruitment shall be on probation in such post for a period of two years :

Provided that the appointing authority may, in any individual case, for reasons to be recorded in writing, extend or curtail the period of probation not exceeding one year.

(2) Where a person appointed to a post under the Board on probation is, during his period of probation, found unsuitable for holding that post, or has not completed his period of probation satisfactorily, the appointing authority may,

(i) in the case of a person appointed by promotion, revert him to the post held by him immediately before such appointment, and

(ii) in the case of a person appointed by direct recruitment, terminate his services under the Board without notice.

20 *Temporary and permanent service* :— (1) An employee shall be deemed to be a temporary employee on his first appointment to a post under the Board and shall remain a temporary employee until he is appointed substantively to a permanent post under the Board.

(2) An employee appointed substantively to any permanent post under the Board shall be a permanent employee of the Board.

21. *Substantive appointment* :—(1) All substantive appointments shall be made in order of seniority with due consideration of merit.

(2) No employee shall be appointed substantively to any post unless,—

(i) such post is permanent and nobody else has been substantively appointed to it;

(ii) he has satisfactorily completed the period of probation or extended period of probation.

(3) Substantive appointments may be made with retrospective effect from any date provided that,—

(i) a permanent vacancy existed on that date or from an earlier date;

(ii) the employee concerned was on the relevant date actually holding otherwise than as a purely temporary measure or would have held that post but for his appointment to a higher or equivalent post;

(iii) in the case of a selection post, the employee concerned has already been selected on the relevant date when he previously officiated in that post otherwise than as a purely temporary arrangement;

(iv) other requirements regulating appointments and confirmations are satisfied.

(4) *Erroneous substantive appointment* :—

Orders for substantive appointment contrary to the relevant rules or administrative instructions shall be cancelled straightaway by the authority competent to fill the post :

Provided that a show cause notice shall be given to the affected employees before revoking the orders of substantive appointment.

22 *Honorarium, special pay personal pay to employees* :—

The Board may sanction to any employee in any spacial circumstances such special pay, personal pay, honorarium or any other fee on such conditions as it may deem fit : subject to satisfaction of the relevant rules.

Provided that if any funds are required for the purpose from the Central Government, prior approval of the Central Government shall be necessary for the sanction of such pay, honorarium fee.

23. *Termination of Service* :—(1) The service of an employee may be terminated by the appointing authority without assigning any reasons at any time by notice given by the appointing authority to the employee or at any time without notice on payment of pay and allowances for one month or for such period that falls short of one month's notice.

(2) without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), the service of a temporary employee shall be terminated;

(i) if his appointment is made for a specified period, on the expiry of such period unless the appointment is extended for a further period; or

(ii) if his appointment is made against a temporary post, on the abolition of the post or on the expiry of the period for which the post is created;

(3) The service of a permanent employee may be terminated by a notice of three months or on payment of pay for such period as the notice falls short of three months or without notice on payment of three month's pay of the post, if the post to which he is substantively appointed is abolished.

(4) An employee who is given notice of termination of service under sub-regulation (3) may be granted, during the period of notice, such earned leave as may be admissible to him, and where the leave so admissible and granted is more than three months, his services shall be terminated on expiry of such leave.

24. *Retirement* :—(1) An employee shall retire from the service of the Board,—

(i) on his attaining the age of sixty years in case he was on the strength of the Library before the date of publication of these Regulations in the Official Gazette and also such employees whose terms of appointment so provide;

(ii) in other cases on his attaining the age of fifty eight years in respect of Groups A, B & C and 60 years in respect of Group D employees;

(iii) on his being declared medically unfit for service by a Medical Board designated by the Board in this behalf; or

(iv) on the imposition of the penalty of compulsory retirement.

Provided that in exceptional cases an employee appointed on contract may, at the discretion of the Board (which shall be absolute), be retained in service after the age of 58 years. While exercising the discretion, the Board will ensure that the criteria laid down below are fulfilled;

(a) the services of the person concerned are absolutely essential for the discharge of the functions/duties enjoined upon the Board under the Act;

(b) the retention in service of the person concerned is in public interest and in the interest of the Board;

(c) the person concerned is mentally and physically fit to discharge the functions and duties entrusted to him; and

(d) such retention shall be for one year at a time but the total period shall not exceed two years.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub-regulation (1), the appointing authority shall, if it is of the opinion that it is in the Board's interest to do so, have the absolute right to retire any employee, for reasons to be recorded in writing, by giving him notice of not less than three months in writing or three month's pay and allowances in lieu of such notice, after he has attained the age of fifty years, provided this power shall not be exercised to retire an employee on grounds of misconduct or as a short cut to avoid formal disciplinary proceedings.

(3) Any employee may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service after he has attained the age of 50 years;

Provided that it shall be open to the appointing authority to withhold permission to any employee under suspension who seeks to retire under this sub-regulation.

(4) In a special case the Board may re-employ the services of any employee for one year at a time but the total period of such re-employment shall not exceed two years.

2. *Resignation* :—(1) A temporary employee may, by notice of one month in writing, resign from the service of the Board The appointing authority may, if it deems proper in any special circumstances, permit a temporary employee to resign from the service of the Board by notice of less than one month.

(2) A permanent employee may, in writing resign from the service of the Board after giving three month's notice or after depositing an amount equal to pay and allowances for such period as the notice falls short of three months or without notice on depositing three month's pay and allowances with the Library. He shall be relieved of his duties when his resignation is accepted by the appointing authority

(3) The resignation shall be effective from the date of its acceptance by the appointing authority.

26. *Scale of pay* :—The scale of pay for the posts under the Board shall be as specified in the First Schedule.

27. *Initial Pay* :—An employee shall, on his appointment to a post on a time-scale of pay, draw pay at the minimum of the time-scale. In the case of direct recruits to any category of posts the Board may grant not more than five advance increments on the recommendation of the Selection Committee.

28. *Fixation of initial pay, increments, leave salary etc.* :—Government rules regarding fixation of initial pay, drawal of increments and salary and allowances during leave of various kinds or suspensions shall apply mutatis mutandis to the employees of the Board save as specifically provided herein.

29. *Pay of re-employed persons* :—(1) The pay of persons who are re-employed after retirement from Government service or service of a university of Government undertaking or Government aided autonomous organisation shall be fixed in accordance with the Government's rules and orders in force.

30. *Drawal of pay* :—(1) An employee shall be entitled to the pay of the post to which he is appointed from the date on which he assumes charge of the post.

(2) Pay in respect of any month shall become payable on the first working day of the following month.

(3) An employee resigning from the service of the Board without the notice prescribed under regulation 25 shall not, unless the Board directs otherwise, be allowed to draw pay due but not drawn.

Provided that the pay not so allowed to be drawn shall not exceed the pay for the notice period prescribed.

31. *Allowances, advances and other benefits* :—The employees shall be eligible to draw all allowances as are admissible to the Central Government employees from time to time.

(2) The employees shall also be eligible to draw allowances like festival advance, house building advance, advance for purchase of conveyance etc. as are admissible to Central Government employees from time to time and on the same terms and conditions.

(3) The employees shall also be eligible for children's educational allowance, facility for treatment admissible under the medical attendance rules, leave travel concession and encashment of earned leave on retirement as are admissible to Central Government employees from time to time and on the same terms and conditions.

32. *Leave* :—The employees shall be governed by the Revised Leave Rules, 1972 as amended from time to time, as applicable to the Central Government employees.

33. *Conduct* :— The employees of the Board shall be subject to the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, as amended from time to time.

34. *Service books and character rolls* :—(1) The Library shall maintain a service book and a character roll of each employee in the form prescribed by the Central Government for its employees.

(2) The entries in the service book of an employee shall be made by the Head Clerk and countersigned by his superior officer.

(3) The entries in the character roll of an employee shall be made by the authority to whom such employee is immediately subordinate and shall be countersigned by the superior authority, if any, with his remarks.

(4) Adverse entries made in the character roll shall be communicated to the person concerned by the Director. Representations against the adverse entries shall be considered & finally disposed of by the Chairman.

35. *Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme and General Provident-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme* :—The Board shall maintain a provident fund known as the Rampur Raza Library General Provident Fund.

(2) All employees of the Board to whom these regulations apply, except those who have opted to be governed by the existing Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme shall subscribe to the Fund after they complete one year's continuous service.

Provided that for those employees who have opted for the existing Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme, the Board's contribution shall be regulated as per the Government of India's orders/instructions in this regard from the date of adoption of these regulations.

(3) The subscription, rates of interest, advances, withdrawals, nominations and all other incidental matters connected with and relating to the Fund shall be governed by the rules contained in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 as modified and amended from time to time and orders issued by the Government of India thereunder, subject to such modifications as may be necessary and expedient due to the fact that the Fund is being maintained by the Board, and not by the Central Government.

(4) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the terms "Head of Office" or "Head of Department" wherever they occur in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 shall mean the Director and the term Department of the Government' wherever it occurs in the said rules shall mean the Board, in their application to the Rampur Raza Library, Rampur.

(5) (a) Notwithstanding anything contained in the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, all subscriptions and moneys belonging to the Fund shall be kept in the State Bank of India or any other scheduled bank approved by the Board, in a separate account/fixed deposit in the name of the Fund;

(b) The bank account shall be operated by the Director;

(c) Any money not required for immediate use of the Fund may, with prior approval of the Board, be loged in a fixed deposit account', called deposit account, or short term deposit in the State Bank of India or any scheduled bank as may be specified by the Board or may be otherwise invested in the name of the Fund, according to specific instructions of the Board in any investment that is for the time being approved by the Central Government or any law in force in India for investment of trust funds.

36. *Pension* :—(1) The employees of the Board to whom these regulations apply shall be governed by the rules contained in the Central Civil Services (Pension) Rules 1972 and the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules 1981, as modified and amended from time to time in regard to pension (including family pension, extraordinary pension, commutation of pension) and gratuity payable to them.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the terms "Head of Officer" or "Head of Department", wherever they occur in the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, shall mean the Director and the term "Department of Government" shall mean the Board

Explanation 1—The amount of dearness allowance that will count as emoluments for pension shall be such, if any, as may be ordered by the Board from time to time. Orders of the Central Government in this respect applicable to its employees shall not be automatically applicable to employees of the Board.

Explanation 2—The relief and adhoc relief sanctioned by the Government of India to its pensioners from time to time shall be admissible to pensioners granted pension under this rule, only to such extent and from such date, if any, as may be ordered by the Board from time to time.

(3) (a) Subject to the provisions of sub-regulation (4), all employees of the Board who are covered under these regulations shall be governed by these regulations in so far as their provident fund, pension, gratuity and other retirement benefits are concerned.

(b) All employees covered by clause (a) shall cease to be governed by and cease to be members of the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme, General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, Tripple Benefit Scheme or any other rules, regulations scheme to which they may be subject to or entitled to as on the date of commencement of these regulations in respect of provident fund, pension, gratuity and any other retirement benefits or any matter to which these regulations apply.

(c) Amount outstanding in the credit of an existing employee, to whom regulations 35 and 36 apply, in his Contributory Provident Fund or General Provident Fund as on the date of commencement of these regulations in respect of his own contributions plus interest thereon shall be transferred to his credit in the, Rampur Raza Library General Provident Fund constituted under regulation 35. All other moneys and benefits to which he was entitled under the rules in force prior to the commencement of these regulations shall lapse including, interalia, employer's contribution to Contributory Provident Fund and interest thereon and shall be resumed by the Board.

(4) (a) An existing employee who is holding substantively a permanent post under the Board as on the date of commencement of these regulations, may not to continue to be governed by the existing Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or any other rules governing retirement benefits under the Rampur Raza Library Establishment Rules, 1961 to which he was subject on the date of the commencement of these regulations.

(b) An existing employee, whose services have been engaged on contract on mutually agreed terms and conditions after retirement from Government service and who draws a fixed amount per mensem in addition to pension as on the date of commencement of these regulations, shall continue to be governed by the existing Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or any other rule governing retirement benefits to which he was subject on the date of the commencement of these regulations

(c) The option under clause (a) shall be exercised within three months from the date of commencement of these regulations or before the date or retirement of the employee, whichever is earlier.

(d) The option shall be exercised in writing and shall be communicated by the employees to the Director in such form as may be prescribed by the Director who will countersign it and cause it to be pasted in the service book or other records of service of the employee. Option once exercised shall be final.

(e) An existing employee who does not exercise his option to continue to be governed by the existing rules as whole to which he was subject prior to the date of commencement of these regulations shall be governed by these regulations from the date of such commencement.

37. Discipline, penalty, appeals and reviews :—(1) The employees of the Board shall subject to the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time in matters of discipline, imposition of penalties, appeals and review.

(2) (a) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority specified in the fifth Schedule may place an employee under suspension :

(i) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or

(i) where in the opinion of the authority aforesaid he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state; or

(ii) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, enquiry or trial;

Provided that where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made.

Explanation : Disciplinary authority means an authority competent under these regulations to impose on an employee any of the penalties specified in sub-regulation (3).

(b) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority.

(i) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty eight hours;

(ii) with effect from the date of his conviction if, in the event of conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forthwith dismissed, removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation : The period of forty eight referred to in clause (ii) of this sub-regulation shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(c) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirment from service imposed upon an employee under suspension is set aside in an appeal or review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the Original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(d) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further enquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original orders of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(e) (i) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(ii) Where an employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded in writing, direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(iii) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may, at any time, be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority subordinate.

(3) The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on an employee :

Minor Penalties :—Censure;

(ii) withholding of his promotion and/or withholding of increments of pay;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Board by negligence or breach of orders.

Major Penalties :—(iv) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(v) reduction to a lower time-scale of pay, grade or post which shall ordinarily be a bar to the promotion of the employee to the time scale of pay, grade or post from which he was reduced, with or without further directions regarding condition of restoration to the grade or post from which the employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade or post;

(vi) compulsory retirement;

(vii) removal or dismissal from service.

Explanation :—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation, namely :—

(i) withholding of increments of pay of an employee for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) stoppage of an employee at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(iii) non-promotion of an employee, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case to a grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion of an employee officiating in a higher grade, or post to a lower grade or post on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) reversion of an employee, appointed on probation to any other grade or post, to his permanent grade or post during or at the time of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;

(vi) repatriation of an employee whose service had been borrowed from the Central Government or State Government or the authority from which the services of such employee had been borrowed;

(vii) premature retirement of an employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;

(viii) termination of the service,—

(a) of an employee appointed on probation, in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation;

(b) of a temporary employee in accordance with the provisions of these regulations;

(c) of an employee employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

(4) (a) The Board may impose any of the penalties specified in sub regulation (3) on an employee.

(b) without prejudice to the provision contained in clause (a) but subject to the provision contained in clause (c) any of the penalties specified in sub-regulation (3) may be imposed on a person appointed to a post under the Board by the authority specified in this behalf by a general or special order of the Board or, where no such order has been made, by the appointing authority or the authority specified in Sixth Schedule.

(c) Notwithstanding anything contained in this regulation, no penalty specified in clause (iv) to (vii) of sub-regulation (3) shall be imposed by any authority subordinate to the appointing authority.

(5) (a) The Board or any other authority empowered by it by general or special order may,—

(i) institute disciplinary proceedings against an employee;

(ii) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any employee on whom that disciplinary authority is competent to impose under these regulations any of the penalties specified in sub-regulation (3).

(b) A disciplinary authority competent under these regulation, may impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of sub regulation (3) notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under hese regulaions to impose any of the later penalties.

(6) (i) No order imposing any of the penalties specified in clause (iv) to (vii) of sub-regulation (3) shall be made except after following the procedure laid down in this regulation.

(ii) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for enquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself enquire into or appoint an authority to enquire into the truth thereof. Where the disciplinary authority itself holds the enquiry, any reference to the enquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(iii) Where it is proposed to hold an enquiry against an employee under this regulation the disciplinary authority shall inform the employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to take action and give him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal.

(iv) (a) On receipt of the writtten statement of defence the disciplinary authority may itself enquire into such of the articles of charge as are not admitted, or if it considers it necessary to do so, appoint, under clause (ii), an enquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the employee in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record his findings on each charge as it may think fit and shall act in the manner laid down under clause (ix).

(b) If no written statement of defence is submitted by the employee, the disciplinary authority may itself enquire into the articles of charge or may, if it considers it necessary to do so, appoint under clause (ii) an enquiring authority, for the purpose.

(v) The enquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee pleads guilty.

(vi) If the employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered does not submit the written statement of defence on or before the dates spcified for the purpose or does not appear in person before the enquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this regulation or the orders of the enquiring authority, the enquiring authority may hold the enquiry exparte.

(vii) (a) Where a disciplinary authority, competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of sub-regulation (3) but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of sub-regulation (3) has itself enquired into or caused to be enquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any enquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of sub-regulation (3) should be imposed on on the employee, that authority shall forward the records of the enquiry to such disciplinary authoriyt as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The disciplinary authority to which the records are so farwarded may act on the evidence on record or may, if it is of the opinion that further enquiry is necessary in the interest of justice, do so and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these regulations.

(viii) After the conclusion of the enquiry, a report shall be prepared and submitted to the disciplinary authority.

(ix) (a) The disciplinary authority, if i is not itself the enquiring authority, may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the enquiring authority for further enquiry and report, and the enquiring authority shall, thereupon proceed to hold the enquiry according to the provisions of this regulation as far at may be.

(b) The disciplinary authority shall, if it disagrees with the findings of the enquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings, on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(c) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the charges, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of sub-regulation (3) should be imposed on the employee, shall make an order imposing sush penalty :

Provided that in the case of the Director, the record of the enquiry shall be forwarded by the disciplinary authority to the Government of India for its advice and such advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the Director

(d) (i) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of sub-regulation (3) should be imposed on the employee, it shall,—

(a) furnish to the employee a copy of the report of the enquiry held by it and its findings on each article of charge, or where the enquiring authority has been appointed by it a copy of the report of such authority and statement of its findings on each article of charge together with brief reason for its disagreement, if any, with the findings of the enquiring Authority;

(b) in the case of the Director a copy of the advice, if any, given by the Government of India and where the disciplinary authority has not accepted the advice of the Government of India, a brief statement of the reasons for such non-acceptance may also be supplied to him;

(c) give the employee a notice stating the penalty proposed to be imposed on him and calling upon him to submit within fifteen days of receipt of the notice or such further time not exceeding fifteen days as may be allowed, such representation as he may wish to make on the proposed penalty on the basis of the evidence adduced during the enquiry held under this regulation.

(ii) The disciplinary authority shall thereafter consider the representation, if any, made by the employee in, pursuance of the notice given to him under clause (i) and determine what penalty, if any, should be imposed on him and make such order as it may deem fit.

(7) Subject to the provision of sub-clause (c) of clause (ix) of sub-regulation (6) no order imposing on an employee any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of sub-regulation (3) shall be made except after;

(a) informing the employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputation of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to take action and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(b) taking into consideration the representation, if any, submitted by the employee under clause (a);

(c) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour;

(d) consulting the Government of India in the case of the Director

(8) Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the employee.

(9) (1) Where two or more employees are concerned in any case, the Board or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

Note :—If the authority to impose the penalty of dismissal on such employees are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others

(2) Any such order shall specify,—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceedings;

(ii) the penalties specified in sub-regulation (3) which such disciplinary authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in this regulation shall be followed in the proceedings.

(10) Notwithstanding anything contained in this regulation :—

(i) Where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a ciminal charge; or

(ii) the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit where it is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an enquiry in the manner provided in these regulations.

(11) (1) Where the services of an employee are lent to the Central Government, State Government, Semi Government or autonomous organisations (hereinafter in this sub-regulation referred to as "the borrowing authority") the borrowing authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing such employees under suspension and of the disciplinary authority for the purpose of conducting disciplinary proceedings against him.

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of the employee (hereinafter in this sub-regulation referred to as "lending authority"), of the circumstances leading to the order of suspension of such employee or of the commencement of disciplinary proceedings, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against the employee—

(i) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iii) of sub-regulation (3) should be imposed on the employee, it may after consultation with the lending authority make such orders as it deems necessary.

Provided that in the even of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the lending authority;

(ii) if the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (vii) of sub-regulation (3) should be imposed on the employee, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the enquiry and thereupon the lending authority, if it is the disciplinary authority, shall pass such orders thereon as it may deem necessary; or if it is not the disciplinary authority, submit the case to the disciplinary authority which shall pass orders as it may deem necessary;

Provided that before passing any such orders the disciplinary authority shall comply with the provisions of sub-clause (d) of clause (ix) of sub-regulation (6)

(12) (a) Where an order of suspension is made or disciplinary proceeding is commenced against a borrowed employee, the lending authority shall forwith be informed of the circumstances, leading to the order of suspension or commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be;

(b) in the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against such employees,—

(i) if the authority imposing the penalty is of the opinion that any of the penalties specified in clause (iv) to (vii) sub-regulation (3) should be imposed on him, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the enquiry for such action as it deems necessary; and

(ii) if the authority imposing the penalty is of the opinion that any other penalty should be imposed on him it may, after consultation with the lending authority, pass such orders as it deems necessary;

Provided that in the event of a difference of opinion between the lending authority and the authority imposing the penalty, the Services of the employee shall be replaced at the disposal of the lending authority.

Explanation :—In this sub-regulation the expression Lending Authority' means the authority which has placed the services of the borrowed employee at the disposal of the Board.

(13) Appeal and review :—(1) Notwithstanding anything contained in this regulation, no appeal shall lie against,—

(i) any order made by the Board;

(ii) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-aid or the final disposal of a disciplinary proceedings, other than order of suspension ;

(iii) any order passed by an enquiring authority in the course of an enquiry ;

(2) Orders against which appeal lies.

Subect to the provisions of clause (1) an employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely :—

(i) an order of suspension made or deemed to have been made under sub-regulation (2);

(ii) an order imposing any of the penalties specified in sub-regulation (3) whether made by the disciplinary authority or by any appellate or reviewing authority;

(iii) an order enhancing any penalty imposed under sub-regulation (3);

(iv) an order which,—

(a) denies or varies, to his disadvantage, his pay, allowance, pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement; or

(b) interprets to his disadvantage the provisions of any such rules or agreements;

(v) in order,—

(a) stopping him at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;

(b) reverting him while officiating in a higher grade or post to a lower grade or post otherwise than as penalty;

(c) reducing or withholding the retirement benefits or denying the maximum retirement benefits admissible to him under the rules;

(d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;

(e) determining his pay and allowances,—

(i) for the period of suspension, or

(ii) for the period from the date of his reduction to a lower grade, post, timescale or stage in a time scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post, or

(f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower grade, post, time scale of pay or stage in a timescale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation : In this sub-regulation;

(i) the expression 'employee' includes a person who has ceased to be in the service of the Board;

(ii) the expression "retirement benefits" includes, contributory provident fund, gratuity and any other retirement benefits.

(14) (a) An appeal shall be from any original order made—

(i) by the Director to the Chairman, and

(ii) by the Chairman to the Board.

(b) No appeal shall be entertained unless it is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant :

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(c) (i) Every person preferring an appeal shall do separately and in his own name.

(ii) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(iii) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the appellate authority.

(d) The appellate authority shall consider every appeal in such manner as it deems fit and pass such orders as it deems proper in the circumstances of the case:

Provided that no order imposing an enhanced penalty shall be passed unless the appellant is given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty.

(15) (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Board may at any time either on its motion or otherwise review its own order or call for the records of any enquiry in respect of any order made under these regulations by any other authority and may—

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of case; or

(d) pass such other order as it may deem fit :

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the Board unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and except after consultation with the Central Government where such consultation is necessary.

(2) No proceeding for revision shall be commenced until after—

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal; or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred;

(3) An application for review or revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these regulations.

(16) Every order, notice and other programmes made or issued under these regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post.

(17) Save as otherwise specifically provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.

(18) Wherever the Central Government is consulted in the case of imposing a penalty on the Director, a copy of the advice by that Government, and where such advice has not been accepted, also a brief statement of the reasons for such non-acceptance, shall be furnished to the Director alongwith a copy of the order passed in the case by the authority making the order.

38. Whole-time employment : (1) The whole time of an employee shall be at the disposal of the Board, and he may be employed by the Board for the performance of such duties as may be assigned to him;

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1)

(i) an employee may be required to undergo a course of study or instruction within or outside India;

(ii) an employee may be required to serve the Board at any place in India and in any post not lower than the post to which he is employed unless he is reduced as a measure of punishment in accordance with the provision in regulation 37;

(iii) an employee may be transferred to foreign service or sent on deputation within or out side India.

39. Oath of allegiance : All employees will on first appointment, take an oath of allegiance to the Constitution of India on the prescribed form in Fourth Schedule. The existing employees, who have not undertaken such an oath previously, will also be required to do so.

40. Conditions of Service : (1) Powers of the Board relating to these regulations and various Fundamental Rules and Supplementary Rules of the Government of India are delegated to the subordinate authority as shown in the Seventh Schedule.

(2) The conditions of service of the officers and other employees in respect of matters for which no provision is made in these regulations shall be the same as are for the time being applicable to officers and other employees of the Government of India of corresponding category.

41. Authentication : All orders and decisions of the Board and of its committees shall be authenticated by the signature of Director or by such other authority as may be specified by the Board in this behalf.

42. Holidays : The Library shall observe such holidays, as are specified by the Government of India and such other holidays as may be determined by the Board.

43. Power to relax : Notwithstanding anything contained in these regulations the Board may, in the case of any employee, relax any of the provisions of these regulations to relieve him of any undue hardship arising from the operation of such provisions, or in the interest of the Board.

44. Repeal : (i) With effect from the date of commencement of these regulations, 'The Rampur Raza Library Establishment Rules, 1961', which were being followed by the Board and were governing the service conditions of the employees shall cease to be in force;

Provided that an existing employee who is holding substantively a permanent post under the Board as on the date of commencement of these regulations may opt to continue to be governed by the existing 'The Rampur Raza Library Establishment Rules, 1961', as a whole, to which he was subject on the date of the commencement of these regulations.

(ii) The option shall be exercised within three months from the date of commencement of these regulations or before the date of retirement of the employee under these regulations, whichever is earlier;

(iii) The option shall be exercised in writing and shall be communicated by the employees to the Director in such form as may be prescribed by the Director who will countersign it and cause it to be pasted in the service book or other records of service of the employee. Option once exercised shall be final;

(iv) An existing employee who does not exercise his option to continue to be governed by the existing rules as a whole to which he was subject prior to the date of commencement of these regulations will be governed by these regulations from the date of such commencement.

45. Removal of doubts : Where a doubt arises, as to whether any authority of the Board is superior to any other authority or as to the interpretation or application of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board thereon shall be final.

W. H. SIDDIQUI
Officer on Special Duty
Rampur Raza Library

FIRST SCHEDULE

(See regulation 5)

CLASSES OF POSTS IN THE LIBRARY

Serial No.	*Class*	*Designation of Post*	*Scale of pay*	*No. of post*
1	2	3	4	5
1.	Group 'A' (according to classification in the pre-revised scale of pay)	Director	Rs. 1500-60-1800 (Pre-revised)	1
2.	Group 'A' (according to classification in the pre-revised scale of pay)	Additional Director	Rs. 800-50-1450 (Pre-revised)	1
		OR		
	Group 'B'	Librarian	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	
3.	Group 'B'	Assistant Librarian	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	
4.	Group 'B'	Senior Technical Assistant (Reprography)	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	2
5.	Group 'B'	Senior Technical Assistant (Preservation)	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	
6.	Group 'C'	Technical Assistant (Photo)	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	1
7.	Group 'C'	Technical Assistant (Preservation)	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	1
8	Group 'C'	Senior Library Assistant	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	1

1	2	3	3	5
9.	Group 'C'	Head Clerk	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	1
10.	Group 'C'	Library Assistant	Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200	1
11.	Group 'C'	Upper Division Clerk	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	1
12.	Group 'C'	Lower Division Clerk	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	2
13.	Group 'C'	Senior Binder	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	1
14.	Group 'C'	Senior Library Attendant	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	1
15.	Group 'C'	Binder	Rs. 825-15-900-EB-20-1200	1
16.	Group 'D'	Library Attendant	Rs 800-15-1010-EB-20-1150	4
17.	Group 'D'	Mender	Rs. 800-15-1010-EB-20-1150	1
18.	Group 'D'	Chowkidar	Rs 750-12-870-EB-14-940	3
19.	Group 'D'	Duster	Rs 750-12-870-EB-14-940	2
20.	Group 'D'	Mali	Rs 750-12-870-EB-14-940	1
21.	Group 'D'	Farrash-cum-Peon	Rs. 750-12-870-EB-14-940	3
			Total	31

Note : In addition the services of part time safai karamcharis can be engaged as per actual requirements.

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	6a
1. Director	1	Group A (according to classification in the pre-revised scale of pay)	Rs. 1500-60-1800 (Pre-revised)	Not applicable	Between 35—45 years	Yes
2. Additional Director	1	Group A (according to classification in the pre-revisied scale of pay)	Rs. 800-50-1450 (Pre-revised)	Not applicable	Between 35—45 Years	Yes
						OR
Librarian	1	Group B	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Not applicable	Between 25—35 Years	Yes
3. Assistant Librarian (Arabic, Persian, Urdu-1, Sanskrit Hindi-1)	2	Group B	Rs. 1650-60-2600-EB-75-2900	Selection	Between 25—35 Years	Yes

SCHEDULE
8, 9*and* 12)
RULES

Education and the qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualificaiions Prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by Promoiion or by contract or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methous	In case of recruitment by Promotion or deputaiion or transfer grades from which promotion or deputaiion or transfer is to be made.
7	8	9	10
(a) At least 2nd class Master's degree in Arabic/Persian/Islamics/Medieval Indian History or High academic qualifications in these subjects. (b) Degree of Ph. D. in Arabic Persian/Islamics/Medieval Indian History. (c) Degree in Library Science. (d) Published research work of high academic standard. (e) Ability to guide research scholors, (f) Knowledge of Indian civilization. EXPERIENCE : A least ten year's experience of administration or guiding research or of both in a recognised institulon.	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
(a) At east second class Master's Degree in Arabic Persian/Islamics/Medieval Indian History or outstanding scholarship of national level. (b) Degree in Library Science. (c) Abiliiy to guide research scholars. (d) Knowledge of Indian civilization and Culture. EXPERIENCE : At least seven year's experience of administration and organization in a library of standing.	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
(a) At least 2nd class Master's Degree in Arabic/Persian/Islamics/Medieval Indian History or high academic qualification in these subjects. (b) Degree in Library Science. EXPERIENCE : At least seven year's experience of administration and organization in a library of standing.	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
(a) Graduate or equivalent degree of a recognised institution in Arabic Persian/Sanskrit/Medieval Indian History or high academic qualifications in these subjects. (b) Degree in Library science. EXPERIENCE At least five year's experience of working in a Library of Standing.	Not applicable	50% promotion and 50% by direct recruitment.	*Promotion :* From the old grade of Cutaloguer having at least five year's service in the grade.

1	2	3	4	5	6	6a
4. Senior Technical Assistant (Reprography)	1	Group B	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Selection	Between 25—35 Years	Yes
5. Senior Technical Assistant (Preservation)	1	Group B	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Selection	Between 25—35 Years	Yes
6. Technica Assistant (Photo)	1	Group C	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Selection	Between 21—30 Years	Yes
7 Technical Assistant (Preservation)	1	Group C	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Selection	Between 21—30 Years	Yes
8. Senior Library Assistant	1	Group C	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Selection	Between 21—30 Years	Yes

7	8	9	10
B.Sc. or equivalent degree with Physics as a subject. *Experience* At least three year's experience of working in reprography in a recognised institution.	Age : No Educational Qualifications : Yes	By transfer on deputation failing which by direct recruitment	*Transfer on deputation* From persons holding comparable posts in Central/State Government Libraries/Museums etc. with five year's regular service.
B.Sc. or equivalent degree with Chemistry as a subject. *Experience* At least three year's experience of working in conservation of records in a recognised institution. *Desireable* Certificate in repair & conservation of records from a recognised institution	Age : No Educational Qualifications : Yes	By transfer on deputation failing which by direct recruitment	*Transfer on deputation* From persons holding comparable posts in Central/State Government Libraries/Museums etc. with five year's regular service.
(a) B. Sc. or equivalent degree with Physics as a subject. (b) Diploma/Certificate in Photography from a recognised institution. *Experiance* At least one year experience in Photography to be judged by a trade test. *Desireable.* Certificate in repair and conservation of records from a recognised institution	Age : No Educational Qualifications : Yes	By transfer on deputation failing which by direct recruitment	*Transfer on deputation* From persons holding comparable posts in Central /State Government Libraries/Museums etc with three year's regular service.
B.Sc. or equivalent degree with Chemistry as a subject. *Experience* At least one year practical experience in the field of conservation of records in a recognised institution. *Desirable* Certificate in repair and conservation of records from a recognised institution	Age : No Educational Qualifications : Yes	By transfer on deputation failing wich by direct recruitment	*Transfer on deputation* From persons holding comparable posts in Central/ State Government Libraries/Museums etc. wiih three year's regular service
(a) At least second class Master's degree in Arabic/Persian/Medieval Indian History or high academic qualifications in these subjects.	Age : No Educational Qualifications : Yes	By promotion failing which by direct recruitment	*promotion* From the grade of Library Assistant with five year's regular service.

1	2	3	4	5	6	6 a
9. Head Clerk	1	Group C	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300	Selection	Between 25—35 Years	No
10. Library Assistant	1	Group C	Rs. 1350-30-1440-1800 EB-50-2200	Not applicable	Between 21—30 Years	No
11. Upper Division Clerk	1	Group C	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Selection	Between 25—35 Years	No
12. Lower Division Clerk	2	Group C	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable	Between 18—25 Years	No
13. Senior Binder	1	Group C	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Selection	Between 18—25 Years	No
14. Senior Library Attendant	1	Group C	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Selection	Between 18—25 Years	No
15. Binder	1	Group C	Rs. 825-15-900-EB-20-1200	Selection	Between 18—25 Years	No
16. Library Attendant	1	Group C	Rs. 800-15-1010-EB-20-1150	Selection	Between 18—25 Years	No

7	8	9	10
Matriculate with knowledge of accounts, office procedure and rules and regulations applicabe to Government Departments *Experience* : At least five year's experience of adminstration and accounts work preferably in a Government office. *Desirable* : Good knowledge of Urdu, Hindi and English typing.	Not Applicable	By promotion failing which by direct recruitment	*Promotion* : From Upper Divison Clerk with five year's sservice in the grade failing which from Lower Division Clerks with seven year's service in the grade.
(a) Graduate from a recognised University. (b) Proficiency upto matriculation or equivalent standard in Urdu/Hindi. (c) Diploma in Library Science. *Experience* : At least one year experience of working in a library of standing.	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
(a) Matriculate with knowlege of accounts, office procedure and rules and regulations applicable to Government Departments. (b) 30 words per minute speed in English/Hindi/Urdu typing. *Experience* : At least three year's experience in a clerical job.	Not applicable	By Promotion falling which by direct recruitment	Prmotion : From Lower Division Clerks with five year's service in the grade.
(a) Matriculation or equivalent. (b) Minimum speed of 30 words per minute in English/25 words per minute in Hindi/Urdu typing to be Judged by a typing test.	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
(a) Middle School Standard Pass *Experience* : At least five year's experience of binding and repairing of manuscripts, delicate documents and old books in a commercial or Government Organisation. Skill in these fields to be judged by a trade test.	Not applicable	By promotion failing which by direct recruitment	*Promotion* : From the grade of Binder with five year's regular service in the grade.
Middle School Standard Certificate. *Experience* : Three year's experience of handling of books, manuscripts and attending to readers in a library of standing.	Not applicable	By promotion failing which by direct recruitment	*Promotion* : From Library Attendent with three year's service in the grade or from other Group D posts with five year's service in the grade.
Middle School Standard Certificate *Experience* : Three year's experience of high class binding work in a commercial or Government organisation Skill to be Judged by a trade test.	Not applicable	By promotion failing which by direct recruitment	*Promotion* : From the grade of Mendo having three year's regular service in the grade or from other Group D posts with five year's regular service in the grade hav'ng requisite experience.
(a) Middle School Standard Certificate. (b) Knowledge of Hindi and Urdu languages.	Not applicable	By promotion failing which by direct recruitment	*Promotion* - From Chowkidar, Duster, Mali and Farrash cum-Peon having five year's service in the grade.

1	2	3	4	5	6	6 a
17. Mender	1	Group D	Rs. 800-15-1010-EB-20-1150	Not applicable	Between 18—25 Years	No
18. Chowkidar	3	Group D	Rs. 750-12-870-—EB-14-940	Not applicable	Between 18—25 Years	No
19. Duster	2	Group D	Rs. 750-12-870-EB-14-940	Not applicable	Between 18—25 Years	No
20 Mali	1	Group D	Rs. 750-12-870-EB-14-940	Not applicable	Between 18—25 Years	No
21. Farrash cum-Peon	3	Group D	Rs. 750-12-870-EB-14-940	Not applicable	Between 18—25 Years	No

Note:—The post of Additional Director will lapse after it is vacated by the present incumbent. The post of Librarian will be shall be abolished when the Director is appointed. The total staff strength of the Library would, therefore, be

7	8	9	10
(a) Middle School Standard Certificate *Experience* : At least one year practical experience of binding and repairing of manuscripts and printed books. Skill to be Judged by a trade test.	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
(a) Middle School Standard Certificate (b) At least five year's service in Army / Police / Home Guard or Para-Military Forces.	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
Middle School Standard Certificate	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
(a) Primary School Standard Pass (b) Knowledge of seeds, manure and technique of growing flowers and maintenance of lawns. *Experience* : At least three year's experience of working as a Mali in a standard garden	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable
Primary School Standard Pass.	Not applicable	Direct recruitment	Not applicable

Note: The post of Additional Director will lapse after it is vacated by the present incumbent. The post of Librarian will be filled up after the existing post of Additional Director is vacated and abolished. The post of officer on Special Duty shall be abolished when the Director is appointed. The total staff strength of the Library would, therefore, be 31 at any given time.

THIRD SCHEDULE

(See regulations 8 and 9)

COMPOSITION OF SELECTION COMMITTEE AND DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

A. SELECTION COMMITTEE

(for post to be filled by direct recruitment)

(i) For Group 'A' posts

(1) Chairman/Vice Chairman or his nominee	—Chairman
(2) A nominee of the Government of Inida	—Member
(3) A member to be nominated by the Board from amongst themselves	—Member
(4) An expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Selection Committee	—Member
(5) An Officer of Governor's Secretariat, Uttar Pradesh to be nominated by the Chairman	—Member
(6) Director or in his absence an Officer to be nominated by the Board under Section 24 of the Act	—Member Secretary

The Chairman will have a casting vote in case the members of the Selection Committee are equally divided on any issue.

(ii) For Group 'B' and Group 'C' posts other than ministerial posts .

(1) A member to be nominated by the Board from amongst themselves	—Chairman
(2) A nominee of the Government of India.	—Member
(3) An expert on the subject to be co-opted with the approval of the Chairman of the Selection Committee	—Member
(4) Director or in his absence a officer to be nominated by the Board under section 24 of the Act	—Member Secretary

The Chairman will have a casting vote in case the members of the Selection Committee are equally divided on any issue.

(iii) For Group 'C' ministerial posts and Group 'D' posts

(1) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under Section 24 of the Act	—Chairman
(2) A nominee of the District Magistrate and Collector, Rampur	—Member
(3) An expert to be co-opted, if necessary, by the Chairman of the Selection Committee	—Member

The Chairman will have a casting vote in case the members of the Selection Committee are equally, divided on any issue.

B. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

(for posts to be filled by promotion)

(i) Group 'A' and Group 'B' posts

(1) A member to be nominated by the Board from amongst themselves	—Chairman
(2) A nominee of the Government of Inida	—Member
(3) An officer of the Governor's Secretariat, Uttar Pradesh to be nominated by the Chairman	—Member
(4) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under Section 24 of the Act	—Member

The Chairman will have a casting vote in case the members of the Departmental Promotion —Committee are equally divided on any issue.

(ii) For Group 'C' and Group 'D' posts

(1) Director or in his absence an officer to be nominated by the Board under Section 24 of the Act.	—Chairman
(2) A nominee of the District Magistrate and Collector Rampur	—Member

The Chairman will have a casting vote in case the members of the Departmental Promotion on Committee are equally divided on any issue.

FOURTH SCHEDULE

(See regulations 14 & 39)

(i) Form of Medical Fitness Certificate

I hereby, certify that I have examined Shri/Shrimati..... a candidate for appointment under the Rampur Raza Library Board and cannot discover that he/she has any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness or bodily infirmity except..... I do not consider this a disqualification for employment in the Rampur Raza Library Board Shri/Shrimati..... ..... age is according to his/her own statement..... years and by appearance about.....years.

Civil Surgeon/Medical Superintendent/
Medical Officer

(ii) Form of Oath of Allegiance

"I do sweer/solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly, and with impartiality.

(So help me God)"

FIFTH SCHEDULE

[(See regulation 37 (2) (a))]

Authorities empowered to suspend the employees of the Board

Description of posts	Appointing Authority	Authority competent to suspend the employees
1-Group A Posts	Board	Chairman
2-Group B Posts	Board	Chairman
3-Group C Posts	Director	Director
4-Group D Posts	Director	Director

SIXTH SCHEDULE

[(See regulation 37 (4) (b)]

Authorities competent to impose penalties on the employees of the Board

Description of posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties	
		Authority	Penality
1-Group A posts	Board	Chairman	All
2-Group B Posts	Boprd	Chairman	All
3-Group C Posts	Director	Director	All
4-Group D Posts	Director	Director	All

SEVENTH SCHEDULE

SHOWING THE DELEGATION MADE TO SUBORDINATE AUTHORITIES

[(See regulation—40(1)]

Sl. No.	Ref. to F.R. & S.R.	Nature of power	Authority to which the power is delegated	Extent of power delegated
1	2	3	4	5
		POWERS RELATING TO FUNDAMENTAL RULES		
(1)—	F.R. 9 (6) (b)	Power to issue orders that Board employees should in certain circumstances be treated as on duty.	Chairman	Full power

1	2	3	4	5
(2)—	F.R. 10	Power to dispense with a medical certificate of fitness before appointment to Board service, in individual cases.	(1)-Chairman (2)-Director	Full power Full power except in case of Group A posts.
(3)—	F.R. 15	Power to transfer an employee from one post to another.	Director	Full power
(4)—	F.R. 24	Power to withhold increments	Any authoriiy which has power to make a substantive appointmeut to the post which an employee holds or an authority empowered under the regulations to withhold increments.	Full power
(5)—	F.R. 36	Power to issue general of special orders allowing acting promotions to be made in place of employees treated as on duiy.	(1)-Chairman (2)-Director	Full power Full power except in the case of Group A posts.
(6)—	F.R 46 (b)	Power to sanction the undertaking of work for which an honorarium is offered and the grant or acceptance of honorarium.	(1)-Chairman	Full power upto a maximum of Rs. 1000 in each case of recurring honorarium; this limit applies to the total of the recurring payments made to an individual in a financial year.
			(2)-Director	Full power upto a maximum of Rs. 500 in each case of recurring honorarium; this limit applies to the total of the recurring payments made to an individual in a financial year.
(7)	F.R. 56	Power to retain an employee in service after the age of 58 years	(1)-Chairman	Full power provided that extentions are limited to a period of one year at a time.
			(2)-Director	Full power except in the case of Group A Officers provided that extentions are limited to a period of one year at a time.
(8)	F.R. 83	Power to grant special disability leave.	Chairman	Full power
		POWERS RELATING TO SUPPLEMENTARY RULES		
(9)	S.R. 11	Power to sanction the undertaking of work for which a fee is offered at the acceptance of a fee.	(1)-Chairman (2)-Director	Full power Full power upto a maximum of Rs. 1200 in each case. In the case of recurring fees, this limit applies to the total of the recurring payments made to an individual in a year.
(10)	S.R. 20	Power to declare the grade in which a part-time or fee-paid employee shall rank.	Chairman	Full power
(11)	S.R. 48 (ii)	Power to sanction travel by air.	Chairman	Full power
(12)	S.R. 52	Power to allow daily allowance at higher rates than that of the employee's grade.	Chairman	Full power

1	2	3	4	
13.	Proviso under S.R. 67	Power to allow change of double permanent travelling allowance for mileage allowance.	Chairman	Full power
14.	S.R. 73	Power to grant exemption from the rule limiting a halt to ten days.	1- Chairman 2- Director	[redacted]l power [redacted]l power upto a limit of [redacted] days.
15.	Proviso (a) to S.R. 128	Power to sanction halts at hill stations in excess of 10 days	1- Chairman 2 -Director	[redacted]ull power Full power upto a limit of 30 days.
16.	S.R. 135	Power to sanction travelling allowance as for a journey on tour to an employee who is required while on leave in India to perform any public duty at a place other than one where he is spending his leave.	1- Chairman	Full powers provided travelling allowance may not be granted for a journey while proceeding on leave or while returning from leave.
			2- Director	Full power subject to the proviso stated above in case of Group B., C. & D. employees only.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1994